खण्ड-117, अंक-4
गुरूवार, 18 पौष, शक संवत् 1874
(8 जनवरी, 1953 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 117 में 6 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५६

मूल्य : बिना महसूल 4 आने, महसूल सहित 5 आने |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, ८ जनवरी, १९५३

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३५९)

अजीज इमाम, श्री
अतहर हुसैन ख्वाजा, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
अब्दुल रऊफ खां, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधशरण वर्मा, श्री
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अवधेश प्रताप सिंह, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
इसरारुल हक़, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेद सिंह, श्री
उल्फत सिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
ओंकार सिंह, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह, श्री
कमाल अहमद रिजवी, श्री
करण सिंह यादव, श्री
करन सिंह, श्री
कल्याण राय, श्री
कामता प्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किन्दरलाल, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केदारनाथ, श्री
केवल सिंह, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री

गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरू प्रसाद पांडेय, श्री
गुलजार, श्री
गेंदा सिंह, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गोविन्द वल्लभ पन्त, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्याम दास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रपाल वाजपेयी, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रभानु शरण सिंह, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रहास, श्री
चरण सिंह, श्री
चित्तर सिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथबख्श दास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगपति सिंह, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जोरावर वर्मा, श्री
ज्वाला प्रसाद सिन्हा, श्री
झारखंडे राय, श्री
टीकाराम, श्री
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तुलसीराम, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवमूर्ति राम, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र प्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री
द्वारकाप्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्म सिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री

मत्थू सिंह, श्री
नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाज़िम अली, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नारायणदीन, श्री
निरंजन सिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरी राम, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवान सिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिन बिहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभुदयाल, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फ़ज़लुल हक, श्री
फ़तेह सिंह राणा, श्री
फूलसिंह, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बनारसी दास, श्री
बलदेव सिंह, श्री
बलभद्रप्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्त सिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बाबूलाल मीत्तल, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
बिशम्भर सिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बैजनाथ प्रसाद सिंह, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवती प्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवानदीन मिश्र, श्री
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवानसहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भूपाल सिंह खाती, श्री
भोला सिंह यादव, श्री
मकसूद आलम खां, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदन गोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखान सिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मिहरबान सिंह, श्री

मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक अली खां, श्री
मुहम्मद अदील अब्बासी, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ़, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफ़िज
मुहम्मद तक़ी हादी, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद शाहिद फाखरी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहन सिंह शाक्य, श्री
यमुना सिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथ प्रसाद, श्री
रघुवीर सिंह श्री
रणंजय सिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमानाथ खैरा, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राघवेन्द्रप्रताप सिंह, राजा
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्र दत्त, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअधीन सिंह यादव, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध सिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचरण लाल गंगवार, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती

लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लताफत हुसैन, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वशिष्टनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेव प्रसाद मिश्र, श्री
विजय शंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्वनाथ सिंह, श्री
विश्वम्भरनाथ पांडेय, श्री
बिष्णुदयाल वर्मा, श्री
बिष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रनाथ मिश्र, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रविक्रम सिंह, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजभुशग मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासीलाल, श्री
व्रजविहारी मिश्र, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवदान सिंह, श्री
शिवनाथ काटजू, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराजवली सिंह, श्री
शिवराज सिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवशरण लाल श्रीवास्तव, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुकदेव प्रसाद, श्री
शुगनचन्द्र, श्री
श्यामममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्री चन्द, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथ राम, श्री
श्री निवास, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
सईदजहां मखफ़ी शेरवानी, श्रीमती
संग्राम सिंह, श्री
सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जन देवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायण दत्त, श्री
सावित्री देवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरलाल, श्री
सुरुजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्य्यबली पांडेय, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आजमी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरखयाल सिंह, श्री
हरगोबिन्द पन्त, श्री
हरगोबिन्द सिंह, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिश्चन्द्र वाजपेयी, श्री
हरि सिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुना, श्री
होतीलाल दास, श्री

उद्योग मंत्री श्री हुक्म सिंह भी उपस्थित थे ।

प्रश्नोत्तर

तारांकित प्रश्न

कुमायूं डिवीजन में प्राइवेट फारेस्ट ऐक्ट का लागू होना

*१—श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि प्राइवेट फारेस्ट ऐक्ट कुमायूं डिवीजन में भी लागू होता है?

वन उपमंत्री (श्री जगमोहन सिंह नेगी)—प्राइवेट फारेस्ट ऐक्ट उस भूमि को छोड़कर जिसका वर्णन उसकी धारा २ में है, कुमायूं डिवीजन में लागू है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतलायेंगे कि आज तक इस प्राइवेट फारेस्ट ऐक्ट के मातहत वाइलेशन के कुमायूं डिवीजन में कितने केस हुये हैं?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—इसकी ठीक सूचना तो मेरे पास नहीं है मगर मुझे स्मरण है कि एक आध केस हुआ था।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी अपनी स्मरण शक्ति से बतलायेंगे कि वह केस कहां हुआ था?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—वह किसी माफीदारी के मुताल्लिक था।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि जौंस स्टेट नैनीताल में प्राइवेट फारेस्ट ऐक्ट के वाइलेशन में आज भी सैकड़ों पेड़ काटे जाते हैं?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—इसकी कोई रिपोर्ट सरकार के पास अभी नहीं पहुंची है। अगर माननीय सदस्य इसकी रिपोर्ट करें तो विचार किया जायगा।

सचिवालय का कार्य समय बढ़ाने पर सिविल सेक्रेटेरियट एसोसियेशन का आक्षेप

*२—श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या उत्तर प्रदेश सिविल सेक्रेटेरियट एसोसियेशन ने सरकार के पास २४ सितम्बर, १९५२ ई० को लिखा था कि कार्यालय में काम करने के समय में जो एक घंटे की वृद्धि कर दी गई है, वह अवैध है? यदि हां, तो सरकार उस पर क्या विचार कर रही है?

मुख्य मंत्री (श्री गोविन्द बल्लभ पन्त)—एसोसियेशन की इच्छा के अनुसार उनका २४ सितम्बर, १९५२ का पत्र लौटा लिया हुआ मान लिया गया है।

श्री नारायण दत्त तिवारी—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी कृपया बतलायेंगे कि जो १ घंटे की वृद्धि कार्यालय के काम करने में की गई है उसके बारे में एसोसियेशन की राय क्या है?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—एसोसियेशन की राय क्या है यह तो बताना जरूरी नहीं मगर बाज लोग चाहते हैं कि एसोसियेशन के मेम्बर्स काम कम करें जो कि पब्लिक इंटररेस्ट में ठीक नहीं है, फायदेमन्द नहीं है।

सचिवालय के सहायकों के लिये क्वार्टर्स

*३—श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश सिविल सेक्रेटेरियट एसोसियेशन से जी० ओ० नं० २७७३/जी० ई० ओ०-५१ दिनांक ५ मई, सन् १९५१ ई० को कहा था कि सचिवालय के सहायकों के लिये वह क्वार्टर बनवायेगी और पुनः जी० ओ० नं० ४४७४-ई०/२०-२८(१)-५१, दिनांक ३० अप्रैल, १९५२ ई० में इन्कार करते हुये उनसे राय भी मांगी है? इस पर एसोसियेशन ने क्या राय दी है?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त---पहिला जी० ओ० असल में चीफ इंजीनियर को भेजा गया था और दूसरे जी० ओ० में स्थिति बतलाई गई थी और राय भी मांगी गई थी। मामला विचाराधीन है।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतलायेंगे कि सिविल सेक्रेटेरियेट (सचिवालय) के सहायकों के लिये क्वार्टर्स बनाने की योजना जो विचाराधीन है उस पर कब तक विचार पूरा हो जायगा, कब तक कोई योजना बनेगी ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त---जब तक क्वार्टर्स न बनें तब तक विचार जारी रहेगा।

इण्डस्ट्रियल फाइनेन्शियल कारपोरेशन की शाखायें खोलने पर विचार

*४---श्री देवकी नन्दन विभव (जिला आगरा)---क्या उद्योग मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या उन्होंने भारतीय सरकार से Industrial financial Corporation की शाखायें उत्तर प्रदेश में खोलने के संबंध में पत्र व्यवहार किया है? यदि हां, तो उसका परिणाम क्या निकला ?

उद्योग मंत्री (श्री हुकुम सिंह)---नहीं।

श्री देवकी नन्दन विभव---क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने का कष्ट करेंगे कि इस प्रदेश के उद्योग धंधों को कारपोरेशन से कुछ सहायता मिली है ?

श्री हुकुम सिंह---अभी तक तो नहीं।

श्री देवकी नन्दन विभव---क्या माननीय मंत्री जी को विदित है कि यू० पी० को चेम्बर आफ कामर्स ने यह मांग की थी कि प्रदेश का ही कोई कारपोरेशन स्थापित किया जाय ?

श्री हुकुम सिंह ---हां, मांग तो की थी।

श्री देवकी नन्दन विभव---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि माननीय मंत्री जी ने कारपोरेशन की शाखायें यहां खोलने के लिये क्यों नहीं प्रयत्न किया, उसका क्या कारण है?

श्री हुकुम सिंह---अभी उसकी जरूरत नहीं समझी गई।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुना (जिला इलाहाबाद)---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि फाइनेंशल कारपोरेशन से यहां के छोटे उद्योग धंधों को मदद मिलने की गुंजाइश उस कानून में है भी या नहीं जिसके मातहत वह कारपोरेशन काम करता है?

श्री हुकुम सिंह---किसी वकील से पूछा जाय तो अच्छी राय देगा।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात की तरफ आप का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि मिनिस्टर की तरफ से ऐसे एवेजिव रेप्लाई दिये जाते हैं जिनसे हमारी मंशा नहीं पूरी होती है, आप इसकी व्यवस्था करें।

श्री अध्यक्ष---मिनिस्टर को बाध्य नहीं कर सकते। माननीय सदस्य स्पष्टीकरण के लिये पूरक प्रश्न कर सकते हैं।

कुटीर उद्योग में रुपया लगाने के लिये रिज़र्व बैंक से सुविधायें

*५---श्री देवकी नन्दन विभव---क्या उद्योग मंत्री ने कुटीर उद्योग को Finance करने के लिये रिजर्व बैंक से कोई सुविधायें प्राप्त की हैं? यदि हां, तो वह कुटीर उद्योगों को किस प्रकार प्राप्त होंगी ?

श्री हुकुम सिंह---कुटीर उद्योग को फाइनेन्स करने के लिये रिजर्व बैंक से कोई सुविधायें प्राप्त नहीं की गई हैं।

श्री देवकी नन्दन विभव---क्या माननीय मंत्री जी को यह विदित है कि प्रदेश के कुटीर उद्योग फाइनेंसेज की कमी के कारण बराबर गिरते जा रहे हैं?

श्री हुकुम सिंह---महज फाइनेंसेज की कमी ही एक कारण नहीं है, और बहुत से कारण हैं जिन की वजह से स्लम्प है।

श्री देवकी नन्दन विभव---क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने का कष्ट करेंगे की जो फाइनेंसेज की कमी का कारण है उसको दूर करने के लिये वे क्या विचार रख रहे हैं?

श्री हुकुम सिंह---उचित कार्यवाही करने के लिये हमेशा सरकार तैयार है और उसपर विचार कर सकती है।

*६---७---**श्री भगवान सहाय** (जिला शाहजहांपुर)---[अस्वीकृत किये गये।]

गुड़ उन्नति योजना

*८---**श्री व्रजविहारी मिश्र** (जिला आजमगढ़)---क्या सरकार को मालूम है कि आजमगढ़ जिले के फूलपुर उत्तरी क्षेत्र (अहरौला से नरियांव) तक का सारा गन्ना कोल्हू में पेरा जाता है और उस क्षेत्र के गन्ने का कोई भाग मिलों में नहीं जाता?

श्री हुकुम सिंह---जी नहीं, ऐसा नहीं है। हालांकि इस क्षेत्र का गन्ना अधिकतर गुड़ और खंड़सारी शक्कर के बनाने में खपता है, कुछ गांवों से गन्ना शाहगंज (जौनपुर) की चीनी मिल में भेजा जाता है।

*९---**श्री व्रजविहारी मिश्र**---क्या सरकार को मालूम है कि उक्त क्षेत्र में अब तक गुड़ उन्नति योजना के अन्तर्गत कोई काम नहीं हुआ है?

श्री हुकुम सिंह---जी हां।

*१०---**श्री व्रजविहारी मिश्र**---क्या सरकार का विचार इस वर्ष उक्त क्षेत्र में गुड़ उन्नति योजना को लागू करने का है?

श्री हुकुम सिंह---जिला आजमगढ़ में गुड़ उन्नति योजना का जो कार्य क्षेत्र इस वर्ष चुना गया है उसमें फूलपुर उत्तरी क्षेत्र सम्मिलित नहीं किया जा सका।

श्री व्रजविहारी मिश्र---माननीय मंत्री जी कृपया बतलायेंगे कि क्या कारण है कि उस क्षेत्र में कोई योजना कार्यान्वित नहीं की गयी?

श्री हुकुम सिंह---धन की कमी मुख्य कारण है।

श्री व्रजविहारी मिश्र---क्या यह सही है कि केवल एक आदमी ही सारी योजना को कार्यान्वित करने के लिये आजमगढ़ जिले में रखा गया है?

श्री हुकुम सिंह---हां, जहां तक खयाल है कि एक ही रखा गया है।

श्री व्रजविहारी मिश्र---तो क्या उसकी संख्या बढ़ाने के प्रश्न पर माननीय उद्योग मंत्री विचार कर सकते हैं?

श्री हुकुम सिंह—धन के अभाव से विचार करना जरा दिक्कततलब बात मालूम होती है।

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)—क्या माननीय उद्योग मंत्री जी बतलाने की मेहरबानी करेंगे कि पिछले बजट में जो एक लाख रुपया इस विभाग में खर्च करने के लिये रखा गया था वह रुपया भी नहीं खर्च किया गया, और अगर नहीं खर्च किया गया तो वह रुपया क्या हुआ?

श्री हुकुम सिंह—खर्च कर रहे हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—माननीय उद्योग मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले का कौन कौन भाग उन्नति योजना में लिया गया है?

श्री हुकुम सिंह—इसके लिये नोटिस की जरूरत है। इस वक्त बताना मुश्किल है।

*११—श्री गेंदा सिंह—[२१ जनवरी, १९५३ के लिये संख्या ४० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।

*१२–१४—श्री श्रीचन्द (जिला मुजफ्फरनगर)—[संख्या ११–१३ के अन्तर्गत ३ फरवरी, १९५२ के लिये स्थानान्तरित किये गये।]

*१५—श्री रामसुन्दर पांडेय—[२२ जनवरी, १९५३ के लिये स्थगित किया गया।]

सुअर के बालों का निर्यात

*१६—श्री बाबू नन्दन (जिला जौनपुर)—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि इस प्रांन्त से कितना सुअर का बाल विदेशों को भेजा जाता है?

श्री हुकुम सिंह—इस प्रांत में कानपुर ही सुअर के बालों के निर्यात का केन्द्र है जहां से सन् १९५०–५१ में सुअर के बाल लगभग ४२,६०० पौंड निर्यात हुये थे। इसका मूल्य लगभग ९०,००० रुपया था।

श्री बाबू नन्दन—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इसकी खपत इस देश में नहीं है केवल विदेशों को भेजा जाता है?

श्री हुकुम सिंह—अगर खपत होती तो निर्यात न किया जाता।

श्री बाबू नन्दन—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इसका यहाँ उपयोग करने की व्यवस्था सरकार कर रही है?

श्री हुकुम सिंह—जहां तक मेरी याददाश्त काम करती है कोई ऐसी योजना नहीं है।

*१७—श्री बाबू नन्दन—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि इस प्रान्त में कितने लोगों के पास सुअर के बाल को बाहर भेजने का लाइसेंस है और उन्हें कितनी ड्यूटी देनी पड़ती है?

श्री हुकुम सिंह—निर्यात के लाइसेंस बालों तथा ड्यूटी की सूचना सरकार के पास नहीं है।

श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)—क्या सूचना आने की आशा भी नहीं है?

श्री हुकुम सिंह—जहां तक इस स्टेट का ताल्लुक है वाकई हमारे पास तो कोई सूचना नहीं है और न आपको मुझसे इस संबंध में आशा करनी चाहिये।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुना—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि ये सुअर के बाल साफ्ट्स करेंसी एरियाज को भेजे जाते हैं या हार्ड करेंसी एरियाज को भेजे जाते हैं ?

श्री हुकुम सिंह—यह बताना इस वक्त असंभव है।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि ये सुअर प्रदेश के किस हिस्से में पाये जाते हैं ?

श्री हुकुम सिंह—पश्चिमी हिस्से में ।

नन्धौर रेंज, हल्द्वानी फारेस्ट डिवीज़न जिला नैनीताल में किसानों पर चराई कर

*१८—श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि नन्धौर रेंज, हल्दवानी फारेस्ट डिवीजन, जिला नैनीताल में किसानों से मवेशी चराने पर चराई ली जाती है, जब कि अन्य किसी रेंज में ऐसी कोई चराई नहीं ली जाती है ? अगर हां, तो क्यों और क्या सरकार इस व्यवस्था को समाप्त करने के हेतु कोई कदम उठाने वाली है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—हल्दवानी डिवीजन की सब रेंजों में उन ग्रामवासियों और किसानों से, जिनका अधिकार निर्धारित रक्षित बनों में है, किसी प्रकार की चराई फीस नहीं ली जाती है। हां, उन गोठियों से जो पहाड़ों से उतर कर जाडे में भिन्न-भिन्न गोठों में बसते हैं, चराई फीस ली जाती है और यह फीस सब रेंजों में ली जाती है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतलायेंगे कि इस प्रकार की चराई फीस से कुल कितनी आमदनी सरकार को अबतक होती है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी।

श्री नारायण दत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतलायेंगे कि इस प्रकार की चराई की फीस अलग अलग पशुओं के हिसाब से क्या ली जाती है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—यह भिन्न भिन्न बनों में भिन्न भिन्न प्रकार की है कहीं पर कुछ रेट है, कहीं पर कुछ रेट प्रान्त में एक ही रेट, सब जगह नहीं है।

जिला नैनीताल की बंजर भूमि को भूमिहीन ग्रामवासियों को देने का विचार

*१९—श्री नारायण दत्त तिवारी—क्या सरकार को मालूम है कि इस नन्धौर रेंज में मैंडा चक, निलोटी चक, चौदानचक , चौरसा चक आदि कई ऐसे बंजर खेती योग्य भूमि स्थल हैं, जिनमें कोई पेड़ नहीं हैं ? क्या सरकार ऐसे भूमि स्थलों को भूमि हीन ग्रामवासियों को देने पर विचार कर रही है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—प्रश्न में उल्लिखित चकों में जो भूमि है उसमें अभी पेड़ तो नहीं हैं परन्तु भिन्न भिन्न वृक्ष अंकुरित होते जा रहे हैं। इस भूमि को भूमिहीन ग्रामवासियों को देने का कोई विचार नहीं है।

गवर्नमेंट यू० पी० हैण्डी क्राफ्ट्स, लखनऊ की आय तथा व्यय

*२०—श्री इस्तफा हुसैन (जिला गोरखपुर)——क्या उद्योग मंत्री मेहरबानी कर के बतलायेंगे कि साल १९४८–४९, १९४९–५०, १९५०–५१ ई० में Government U. P. Handicraft, Lucknow में कितना कितना नफा हुआ और Establishment पर हर साल कितनी रकम उठती है ?

श्री हुकुम सिंह—गवर्नमेंट यू० पी० हैण्डीक्राफ्ट्स के हानि लाभ तथा Establishment पर हुये खर्च का विवरण अधोलिखित है—

१९४८–४९

		रुपया आना पाई
लाभ	..	.. २३,२८५–४–९
कर्मचारियों का वेतन	..	.. १,३५,५९७–३–०
भत्ता	..	.. ३७,६०८–५–०
	१९४९–५०	
*हानि	..	.. २,४४,६७७–११–९
कर्मचारियों का वेतन	..	.. १,१४,८९५–१–०
भत्ता	..	.. ६३,६५१–८–९
	१९५०–५१	
*हानि	..	.. १,४५,१२२–२–११
कर्मचारियों का वेतन	..	.. १,१०,०६५–१४–०
भत्ता	..	.. ५२,०१६–०–०

श्री इस्तफ़ा हुसैन—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जो सन् १९४८–४९ ई० के हिसाब का ब्यौरा दिया गया है उसके लाभ में कर्मचारियों का वेतन और भत्ता भी शामिल है?

श्री हुकुम सिंह—निश्चित रूप से तो मैं नहीं कह सकता लेकिन संभवतः ऐसा हो क्योंकि इस समय मेरे पास कोई सूचना नहीं है।

श्री इस्तफ़ा हुसैन—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि यह नुक्सान दो साल का जो है वह क्यों है?

श्री हुकुम सिंह—जो सामान इस हैण्डीक्राफ्ट में है उसकी कास्ट आफ प्रोडक्शन ज्यादा होती है और हम मिल को कम्पीट नहीं कर सकते हैं और हमारे देश के लोग ज्यादा दाम देकर हैण्डीक्राफ्ट को प्रोत्साहन नहीं देते हैं।

श्री इस्तफ़ा हुसैन—क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि यू० पी० हैण्डीक्राफ्ट में हैण्डलूम के अलावा और भी कई दस्तकारियों का सामान बिकता है?

श्री हुकुम सिंह—जी हां।

श्री अध्यक्ष—आप पूरा प्रश्न पूछिये टुकड़े टुकड़े करके न पूछिये। जिस तरह से क्रास एक्जामिनेशन होता है उस तरह से सवाल न पूछिये।

श्री इस्तफ़ा हुसैन—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि यह हैण्डीक्राफ्ट का सामान आम तौर पर बाजार भाव से ज्यादा भाव पर बिकता है?

श्री हुकुम सिंह—जी हां, ज्यादा दाम पड़ता है।

---

*इस हानि में कर्मचारियों का वेतन तथा भत्ता भी शामिल है।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि १९४९–५० में दो लाख रुपये की हानि होने के क्या विशेष कारण हैं ?

श्री हुकुम सिंह—बिक्री कम हुई।

श्री नेकराम शर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस घाटे को मिटाने के लिये सरकार क्या प्रयत्न कर रही है ?

श्री हुकुम सिंह—माननीय सदस्यों की सहायता चाहता हूं। सब लोग पैट्रोनाइज करें और माल बिकने लगे तो सब घाटा पूरा हो जायगा।

जिला आजमगढ़ के बुनकरों की सहायता

*२१—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या उद्योग मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि मऊ, कोपागज, मुबारकपुर, चिरैयाकोर्ट व नरियांव, जिला आजमगढ़ में कितने बुनकर हैं ?

श्री हुकुम सिंह—मऊ में ५९४३, कोपागंज में २१७१, मुबारकपुर में ३११८, चिरैयाकोट में ३६४ व नरियांव में ६३० बुनकर हैं।

*२२—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या यह सत्य है कि जिले के समस्त बुनकरों के करघे अधिकांश बन्द हैं तथा जीवन निर्वाह खतरे में पड़ा हुआ है ? यदि हां तो क्या इस समय उनके गुजारे के लिये तकावी दी जा सकती है ?

श्री हुकुम सिंह—(अ) इस समय मिल के बने हुये कपड़े पर से नियंत्रण कम हो जाने से मिल के कपड़े की इफरात हो गई है। इस कारण से हैन्डलूम कपड़े की मांग कम हो गई है जिस की वजह से बहुत से करघे बन्द हो गये हैं और बुनकरों की आय कम हो गई है।

(ब) सरकार बुनकरों को सहायता देने के प्रश्न पर विचारकर रही है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या उद्योग मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि मऊ और मुबारकपुर का बना हुआ कपड़ा प्रदेश के अतिरिक्त और किन प्रदेशों में जाता था ?

श्री हुकुम सिंह—कुछ एक्सपोर्ट जरूर होता था।

श्री रामसुन्दर पांडेय—माननीय उद्योग मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि करघे का बना हुआ उन बुनकरों के कपड़े की खपत के लिये सरकार के किन किन विभागों में उसका इस्तेमाल होता है ?

श्री हुकुम सिंह—तफसील विभागों की देना मुश्किल है लेकिन अमूमन यह आर्डर है कि जहां तक हो सके करघे के बने कपड़े इस्तेमाल किये जायं।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय उद्योग मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रान्तीय सरकार कितने रूपये सालाना का यह कपड़ा खरीद कर अपने विभागों को देती है ?

श्री हुकुम सिंह—विभागों की तफसील देना मुश्किल है लेकिन अमूमन यह आर्डर है कि जहां तक हो सके कर्घे के बने कपड़े इस्तेमाल किये जायं।

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि मुबारकपुर के आसपास गांवों में रेशम का काम करने वाले ४ हजार बुनकर बाहर चले गये हैं ?

श्री हुकुम सिंह—इसकी कोई सूचना हमारे पास नहीं है।

श्री इस्तफ़ा हुसैन—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इस हैण्डलूम की सनअत को तबाही से बचाने के लिये जो तजवीज राजी जी की मदरास में है उसके बारे में मंत्री जी की क्या राय है ?

श्री हुकुम सिंह—मेरी राय बड़ी गड़बड़ है।

श्री श्रीचन्द—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इन स्थानों पर सूतकाता जाता है या सूत बाहर से मंगाया जाता है।

श्री हुकुम सिंह—नोटिस की आवश्यकता है।

श्री व्रजविहारी मिश्र—माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इन बुनकरों को सहायता देने के प्रश्न का कबतक निर्णय होने वाला है ?

श्री हुकुम सिंह—जल्दी से जल्दी।

श्री श्रीनाथ (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इन स्थानों पर निकासी न होने की वजह से माल बाजार में भरा पड़ा है ?

श्री हुकुम सिंह—जी हां माल काफ़ी भरा है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय उद्योग मंत्री को पता है कि सूबे के बुनकर सम्मेलन ने उनके पास सहायता के लिये कोई तजवीज भेजी है ?

श्री हुकुम सिंह—इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

श्री गेंदा सिंह—क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रान्त भर के बुनकरों की बेकारी की जो समस्या है उसको हल करने के लिये सरकार बड़ी गम्भीरता से विचार कर रही है ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—इस समय बुनकरों का माल बिक नहीं रहा है। उनको तकलीफ है। इस मसले के ऊपर सरकार विचार कर रही है। सरकार ने यह तजवीज भी किया था कि जो मिलों का माल बनता है उस पर १ रुपया में एक पैसा सेस लगा दिया जाय और मिलो को हुक्म दे दिया है कि कुछ चीजें जो बुनकर बनाते हैं वह न बनायें। इस तरह से जो एक पैसा सेस लग जायगा और मिलों में जो चीजें बनाना बन्द कर दिया गया है उसके फलस्वरूप कुछ मदद उनको मिल सकेगी जिससे उनकी दिक्कतें कम हो सकेंगी। अभी गवर्नमेंट आफ इंडिया से यह नहीं मालूम हो सका कि जो सेस लगेगा उसके जरिये से जो पैसा मिलेगा उसका कितना हिस्सा बुनकरों को मिल सकेगा। इसलिये अभी कोई प्रोग्राम बन नहीं पाया है, लेकिन हम चाहते हैं कि जो कुछ मदद हम कर सकें, वह करें।

राज्य कर्मचारियों में अमरीकन

*२३—श्री झारखंडेराय—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश भर में प्रदेशीय सरकारी नौकरियों में कुल कितने अमरीकन हैं ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—कोई नहीं।

*२४—श्री झारखंडेराय—क्या सरकार बतायेगी कि इनमें प्रदेश की पहाड़ी सीमान्त क्षेत्र में कितने अमरीकन काम कर रहे हैं ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—प्रश्न नहीं उठता।

मैं आपकी इजाजत से और श्री झारखंडेराय की रजामन्दी से पहले जवाब को बदलना चाहता हूं कि जो उनको दिया गया। उस समय इत्तिला नहीं थी। उसका कारण यह था कि पहले जो सवालों का नोटिस दिया गया था वह बहुत ज्यादा विस्तृत था जिसका उत्तर देना कठिन था। अब वह सीमित है। मैंने इसके जवाब के बारेमें फिर जांच की ताकि आपको उसका पूरा जवाब मिल सके। उत्तर इस तरह से हैं ।

२३—कोई नहीं।

२४—प्रश्न नहीं उठता ।

इसके अलावा मैं इतना और बतला दूं कि एक तो हमारे यहां श्री अलबर्ट मेयर हैं जो कभी कभी इस देश में प्लानिंग के बारे में हमको सलाह देने के लिये आते हैं। वह हमारे परमानेंट इम्पलायी नहीं है और न उनको कोई वक्त मुकर्रर है बल्कि एडवाइज़र के रूप में जब कभी आते हैं तो हमको मदद देते हैं।

इसके अलावा श्री एस० के० स्मिथ हैं जो अग्रीकलचर एक्सटैन्शन एक्सपर्ट हैं ।

एक श्री मैकिन राय हैं जो एक्सटेन्शन एक्सपर्ट आन ट्रेनिंग हैं। एक श्री के० एच० आर० के० स्टैवन हैं जो एडवाइजर टु गवर्नमेंट आन अग्रीकलचर एक्सटैन्शन रिगार्डिंग प्राइवेट प्रोजेक्ट्स हैं।

यह तीन ऐसे हैं जिनको अमेरिकन गवर्नमेंट तनख्वाह देती है हम नहीं देते हैं। मगर जब कभी वह यहां पर काम करने के लिये आते हैं तो उनको सफर खर्च दिया जाता है ।

एक मिसेज एलिस डैविस हैं जो मारकेटिंग एक्पर्ट हैं। उनको भी यू० एन० ओ० से तनख्वाह मिलती है और हमारे इम्पलायी नहीं हैं। यह चार अमेरिकन है जो हमको समय समय पर फायदा पहुंचाते रहते हैं और जिनकी तनख्वाह अमेरिकन गवर्नमेंट या यू० एन० ओ० से मिलती है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बतलायेंगे कि श्री अलबर्ट मेयर जिनका जिकर किया गया है उनको कितनी तनख्वाह या भत्ता सरकार देती है ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—मैं समझता हूं कि जब वह यहां पर आते हैं और हमारे यहां काम करते हैं तो ४ हजार रुपया उनको वेतन मिलता है।

श्री नारायण दत्त तिवारी—क्या माननीय मुख्य मंत्री बतलायेंगे कि यह तीन अमेरिकन जिनको अमेरिकन सरकार से तनख्वाह मिलती है, उनको हमारी सरकार किस दर पर सफर भत्ता देती है ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—मैं समझता हूं कि जो हमारा तरीका सफर खर्च देने का वही उनके लिये भी लागू होगा।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इन चार अमेरिकन को सालाना कितना भत्ता दिया जाता है ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—अभी तो साल पूरा नहीं हुआ मगर जो कुछ खर्च हमको उठाना पड़ेगा, सफर खर्च के अलावा कुछ और भी अगर देना पड़े तो उनकी जितनी तनख्वाह होती उस सब से वह बहुत कम होगा । इस बात के लिये हमको उनका कृतज्ञ होना चाहिये जिन्होंने उनको मदद देने के लिये यहां पर भेजा है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार का इरादा भविष्य में भी कुछ अमेरिकन एक्सपर्ट और प्राप्त करने के लिये है ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—जी हां, सारी दुनियां से जहां अच्छे आदमी मिल सकें और हमारी गुंजायश हो तो हम उनको जरूर लेने की कोशिश करेंगे।

बलरामपुर म्युनिसिपैलिटी के मेहतरों की हड़ताल के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष—कल जो झारखंडे राय जी का कामरोको प्रस्ताव था उसके विषय में मेरे पास कुछ स्टेटमेंट और रिपोर्ट माननीय स्वाशासन मंत्री ने भेजी हैं। उसको देखते हुये मैं उचित समझता हूं कि श्री झारखंडे राय जी अपने उस प्रस्ताव को अनुमति के लिये उस सदन में मूव कर सकते हैं और सदन अगर इजाजत देगा और उचित संख्या में यदि सदस्य इसके समर्थक होंगे तब इसकी इजाजत दी जायगी और इसके विशेष महत्व के बारे में यह सदन ही निर्णय करेगा, यही मैं निश्चित करता हूं।

श्री झारखण्डे राय (जिला आजमगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, सब से पहले मैं सदन का ध्यान एक विशेष बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि यह हड़ताल जो बलरामपुर म्युनिसिपैलिटी में चल रही है.....

श्री अध्यक्ष—आप पहले सदन की अनुमति के लिये अपना प्रस्ताव पेश करें।

श्री झारखण्डे राय—मैं आप की आज्ञा से यह प्रस्ताव पेश करता हूं कि "बलरामपुर (गोंडा) की म्युनिसिपैलिटी के सभी मेहतरों ने गत २१ दिसम्बर से पूरी हड़ताल कर रखी है, शहर में दफ़ा १४४ लगी हुई है। ६४ मेहतर और उनके नेता गिरफ्तार हो चुके हैं। गन्दगी के कारण सारे शहर में बीमारी फैलने का खतरा है। सभी अधिकारियों के पास अपनी फ़रियाद सुना कर जब वे विफल हो गये तब मेहतरों ने आखिरी हथियार उठाया है।

अतः मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस गम्भीर स्थिति पर विचार करने के लिये कृपया आप सदन का कार्य स्थगित कर के इसके लिये अवसर दें।"

माननीय अध्यक्ष महोदय, सब से पहले मुझे इस बात पर ताज्जुब हुआ जैसा कि कल माननीय स्वशासन मंत्री जी ने बताया कि इतनी पुरानी हड़ताल जो २१ दिसम्बर से चल रही जिसके बारे में ताजी खबर यह है कि बजाय ६४ व्यक्तियों के अब ८५ गिरफ्तार हो चुके हैं और सारे शहर में गन्दगी की वजह से बीमारी फैलने का अन्देशा है लेकिन इतने पर भी जिला अधिकारियों ने इस बारे में कोई इत्तला सरकार को नहीं दी। मैं माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि वह इस मामले में उन अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करें कि जो इस तरह से अपने फ़र्ज को पूरा नहीं करते कि इस गम्भीर परिस्थिति की सूचना सरकार को देते। इतना ही नहीं, इस हड़ताल की वजह से वहां की जो आम जनता है उनके यहां जो मेहतर काम करते हैं उनका काम भी बन्द है, मैंने वहां बीसों घरों में खुद जाकर जांच की और देखा कि इतनी ज्यादा गन्दगी वहां घरों में हो गयी है कि वह २३००० की आबादी का सारा शहर परेशान है। मैं आप के द्वारा माननीय सदस्यों का ध्यान इस बात की ओर खींचना चाहता हूं कि उनकी कौन कौन सी मांगे हैं कि जो पूरी नहीं की जा रही हैं। पूरे बलरामपुर शहर में कोई गाड़ी या भैंसा गाड़ी नहीं है जिसमें लाद कर कूड़ा या गन्दगी बाहर पहुंचाई जा सके और उन लोगों को अपने सिर पर लाद कर इस कूड़े को दो दो मील दूर जाकर जमीन में गाड़ना पड़ता है, झाड़ू तक उनको नहीं दी जाती हैं, एक चीज और लोहे की होती है सफाई करने के लिये जिसका नाम मैं नहीं जानता, वह भी उनके पास नहीं है, इस जाड़े में भी उनको कोई वर्दी नहीं दी गयी है। जो बहुत ही बुनियादी जरूरी और मामूली चीजें हैं वह तक उनको नहीं दी जाती है। इसी के विरोध में उनकी हड़ताल २१ तारीख से चल रही है और कितने ही लोग उसमें गिरफ्तार भी हो चुके हैं। वहां एक रोज किसी भंगी को म्युनिसिपैलिटी के एक्जिक्यूटिव आफिसर ने गाली भी दी, उसने कुछ कहा तो उन्हों ने उस पर हाथ भी उठाया, आखिर फिर इंसान तो इन्सान ही है उसको भी बरदाश्त नहीं हुआ और इस पर

[श्री झारखंडे राय]

दो तीन भंगियों ने मिल कर उनकी अच्छी मरम्मत की । इस तरह से वहां दोनों तरफ से यह हिंसात्मक कार्य भी शुरू हो गये हैं । इस तरह की परिस्थिति में मैं समझता हूं कि सदन जरूर इस ओर ध्यान देगा और इस ओर सरकार का ध्यान खींचने के लिये मेरे इस संकल्प को अवश्य मंजूर करेगा । माननीय अध्यक्ष महोदय, उनकी तनख्वाहें.....

श्री अध्यक्ष—यह तो आप डिटेल में जा रहे हैं । आप केवल थोड़े शब्दों में अपनी बात कहें ।

श्री झारखंडे राय—संक्षेप में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारा काम रोको प्रस्ताव ५०० आदमियों के जीवन मरण से संबंध रखता है । उनकी मामूली मांगें पूरी नहीं की जा रही हैं । २३,००० जनसंख्या का जीवन खतरे में पड़ सकता है । इस बात का अंदेशा है कि आसपास के शहरों में भी यह हड़ताल फैल जाय और सब से बड़ी बात यह है कि सारे शहर में एक टेंशन का वातावरण फैला हुआ है । इन ५,६ कारणों से मैं चाहता हूं कि सदन मुझे इसकी अनुमति देगा ।

वित्त मंत्री (श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम)—जनाबवाला, जो कहा गया मैं उसका विरोध करता हूं । मैं कुछ हालात और वाक़यात हाउस के सामने इस सिलसिले में रखना चाहता हूं जो कि हाउस को इस बात में मदद देंगे कि यह मोशन डिस्कस किया जाय या नहीं । जिला मैजिस्ट्रेट की रिपोर्ट पर मैं यह बयान करता हूं जो वहां से गवर्नमेंट के पास आई है । यह स्ट्राइक २१ दिसम्बर को शुरू हुआ । इसे रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी के मेम्बरान ने वहां के भंगियों को उभार कर शुरू कराया । इसमें १०० भंगी शरीक थे। उन्होंने मतालबे जो किये वे ये हैं–तनख्वाह बढ़ाई जाय; जरसीज मुफ्त दी जावें; जिस जमाने में कोई शख़्स छुट्टी पर रहे उस जमाने की तनख्वाह दीजाय और कुछ बक़ाया तनख्वाह किसी की है वह दीजाय। यह स्ट्राइक ख़िलाफ क़ानून है इसलिये कि इसका कोई नोटिस पहले नहीं दिया गया। यह यकलख़्त कर दिया गया। वहां की म्युनिसिपैलीटी आज कल सुपरसीडेड है और अतरौला के एस० डी ओ० उसके इनचार्ज हैं। उन्होंने स्ट्राइक करने वाले साहबानको बुला कर यह कहा कि गवर्नमेंट के हुकुम के मातहत जो चीज मिलनी चाहिये वह सब मिलेगी। अगर कोई इस समय नहीं मिलती है तो वह भी मिलेगी और इस बात का फैसला किया जायगा और जो तनख्वाह उनको मिल रही है वह पे कमेटी १९४७ की सिफ़ारिशात के मुताबिक़ जो तनख्वाह और मंहगाई मिलनी चाहिये थी वह मिल रही है। लेकिन वे इस पर भी नहीं माने। जब भंगियों ने स्ट्राइक कर दिया तो बाहर से आदमी बुलाये गये और उनसे सफाई का काम कराया गया । बाहर से आने वालों के साथ वहां के भंगियों ने इंटरफीयेरेंस करना शुरू कर दिया कि उनको वे काम नहीं करने देंगे। जो कुछ आगे हुआ और गिरफ्तारियां हुई उनके सिलसिले में यह बात नजर रखने की है । जब कि उनकी इंटरफेयरेंस ने यह दर्जा अख्तियार कर लिया और उसके ऊपर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने ऐक्शन लिया उसने वहां एस० डी० ओ० के जरिये से दफा १४४ नाफिज़ कर दी । पहले जो स्ट्राइकर्स ने म्युनिसिपैलिटी का काम रोका था लेकिन तारीख़ २८ से उन्होंने घरों की सफाई भी बन्द कर दी। इस पर वहां जो रहने वाले आदमी थे, छोटे बड़े हर क़िस्म के, उन्होंने इस पर नाराज़गी जाहिर की। उन लोगों ने इसके ख़िलाफ एक मीटिंग भी की। इस मीटिंग में उस रिजोल्यूशन को, जो तारीख़ ३ दिसम्बर को झारखंडे राय जी ने स्ट्राइक करने वालों की हमदर्दी में मीटिंग कर के पास किया था, टर्न डाउन कर दिया और वहां के प्रोमीनेण्ट लोगों तथा तालिबइल्मों ने सफाई करने का इंतिजाम किया और एक सफाई करने वाली जमात बनायी गयी । इस तारीख़ से स्ट्राइकर्स में से कुछ ने घरों की सफ़ाई का काम शुरू किया उसमें स्ट्राइकर्स ने फिर मुखालिफत की और उन लोगों को रोकना शुरू किया । इस तरह से उन लोगों में दो पार्टियां हो गयीं । इस झगड़े के सिलसिले में जो रिजेंटमेंट था उसी के सिलसिले में कुछ साहबान ने एक्जीक्यूटिव आफिसर के घर और दरवाजे पर, और म्युनिसिपल आफिसर

के सामने 'रबिश' डालना शुरू किया । इसी सिलसिले में उन्होंने ऐक्जीक्यूटिव आफिसर को मारा भी । इस पर उन लोगों के नाम दफ़ा १४७, १४९ और ३२३ के तहत मुक़द्दमे भी रजिस्टर हुये । इसके अलावा उन लोगों ने उनको काम करने से रोका जो बाहर से बुलाये गये थे और वे लोग इस बात पर भी आमादा हुये कि लोग घरों को साफ न करें । इन सब बातों का नतीजा यह हुआ कि अब तक ६३ आदमी गिरफ्तार किये जा चुके हैं । इस तादाद में श्री बंसराज सिंह, रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी के लीडर हैं । नौज और १० आदमी उसी पार्टी के मेम्बरान हैं, बाक़ी भंगी हैं । कुछ और गिरफ्तारियां दफ़ा १४३ में हुई जिसके ख़िलाफ़ पब्लिक में रिजेंटमेंट होने की वजह से उन लोगों में से कुछ ने ६ तारीख से घरों की सफाई शुरू कर दी थी । वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ३ दफा जा चुके हैं और वहां की इतमीनानी, बेइतमीनानी, तकलीफ, बे तक़लीफ हर बात की तरफ उन्होंने वहां जांच की है और मालूम किया है कि वहां की हालत क्या है । वहां की हालत यही है कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट वहां ३ दफा जा चुके हैं । ३६ मेहतर बाहर से बुलाये गये हैं और कुछ आदमी जो वहां हैं, जो इस काम को करने को तैयार हुये हैं, वे सब लोग मिल कर वहां सफाई का काम कर रहे हैं । उनकी इस रिपोर्ट में कहा गया है कि वे शहर में सफाई रखे हुये हैं और गलाजत वग़ैरह बढ़ने की वजह से वहां सेनीटेशन ख़राब होने और बीमारियों के पैदा होने का कोई अंदेशा नहीं है । ऐसी कोई बात वहां पैदा होने वाली नहीं है । एक ट्रक की जरूरत थी वह बाहर से मंगाई गयी । ये चीजें बाहर से मंगाई गयीं । इनको तफसील में बढ़ने की जरूरत नहीं है लेकिन जो चीजें उनके पास मौजूद नहीं थीं वे मंगवाई गयीं । जैसे ठेला और फावडा उनके पास होता है जिसके जरिये वे कूड़ा-कर्कट उठा कर फेंकते हैं । तो ये सब चीजें भी स्ट्राइकर्स अपने पास लेकर बैठ गये और म्युनिसिपैलिटी को नहीं दिया । इस पर उनको इन चीजों की जरूरत हुई और इस क़िस्म से बाहर से मंगायी गयीं । मगर अब उन्होंने इन चीजों को उनसे रिकवर कर लिया है । तो वहां पर इस क़िस्म की कोई कैफियत नहीं है जिस क़िस्म के ख़तरे का जिक्र मेरे दोस्त श्री झारखंडे राय ने किया । हिस्टरी देने की जरूरत नहीं है कि वहां के लोग पहले भी स्ट्राइक कर चुके हैं इसलिये उनको तो मैं छोड़ देता हूं । लेकिन खुलासा यह है कि इस तरह से वहां स्ट्राइक पैदा हुई, और वहां की हालत को किस तरह से वहां की म्युनिसिपैलिटी ने और वहां के आदमियों ने संभाला। अब यह हाउस के सोचने की बात है कि एक तरफ तो इस तरफ की परेशानियां पैदा की जायं, आये दिन स्ट्राइक होती रहे और यहां काम रोको प्रस्ताव आता रहे तो इन सब बातों को हाउस सोच ले और इजाजत देनी हो तो दे दे । मैंने तो हाउस के कंसीडरेशन के लिये ये सब चीजें रख दी हैं । वे बातें क्या हैं और क्या नहीं हैं उन सबको छेड़ता नहीं हूं । इस वक्त इन सब बातों की रोशनी में आप फैसला कर लें ।

श्री अध्यक्ष—अब जो माननीय सदस्य अनुमति देने के पक्ष में हों वे कृपा करके अपने-अपने स्थानों पर खड़े हो जायं ।

(केवल १९ सदस्य अपने-अपने स्थान पर खड़े हुये ।)

श्री अध्यक्ष—इसके पक्ष में १९ सदस्य हैं । अनुमति के लिये ३६ सदस्य होने चाहिये । इसलिये मैं इसकी अनुमति नहीं देता हूं । सदन की यह राय है ।

विकास तथा नियोजन समिति के एक रिक्त स्थान की पूर्ति के लिये निर्वाचन का कार्य-क्रम

श्री अध्यक्ष—अब मैं एक सूचना देना चाहता हूं । विकास तथा नियोजन समिति की सदस्यता से श्री नारायण दत्त तिवारी ने इस्तीफा दे दिया है । तो वहां के लिये एक सदस्य

[श्री अध्यक्ष]

चुने जाने के लिये यह कार्यक्रम है---

नामांकन आज ही एक बजे तक हो जाना चाहिये। सूक्ष्म परीक्षा १ बज कर १५ मिनट पर होगी और नाम वापस होने के लिये ४ बजे तक का समय दिया गया है और अगर इसके लिये चुनाव की आवश्यकता पड़ी तो उसके लिये बाद में समय निर्धारित किया जायगा।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)---माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर आप यहीं नाम मांग लें.....

श्री अध्यक्ष---मैं निश्चित कर चुका हूं। अब उसी के अनुसार कार्य होगा।

श्री हुकुम सिंह के सदन में बैठने पर आपत्ति

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आप की इजाजत से एक प्वाइंट आफ आर्डर माननीय उद्योग मंत्री, श्रीहुकुम सिंह के सदन में बैठने के संबंध में उठाना चाहता हूं। विधान की धारा १६४ का सब-सेक्शन (४) इस प्रकार है.....

"A Minister who for any period of six consecutive months is not a member of the legislature of the state shall at the expiration of that period cease to be a Minister.

[कोई मंत्री जो निरंतर ६ मासों की किसी काला वधि तक राज्य के विधान-मंडल का सदस्य रहे, उस कालावधि की समाप्ति पर मंत्री न रहेगा।]

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस धारा का यह अर्थ है कि जो कभी भी लेजिस्लेचर में न आया हो और सरकार उसे अपनी आवश्यकतानुसार ऐज ए मिनिस्टर एप्वायंट करना चाहे तो कर सकती है। लेकिन माननीय हुकुम सिंह एक ट्रिब्यूनल द्वारा अनसीटेड घोषित हो चुके हैं और टिब्युनलके पब्लिकेशन गजट में भी हो चुका है। इस तरह से वे सदन में बैठने के लिये अनअथराइज्ड हैं। अगर सरकार को इस बात की आवश्यकता हो कि माननीय हुकुम सिंह ऐज ए मिनिस्टर रहें तो उनको रिजाइन करना चाहिये और फिर माननीय मुख्य मंत्री जी को पूरी स्वतंत्रता है कि वे उनकी नामजंगी गवर्नर द्वारा करा लें इसलिये मैं इस संबंध में आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष---जो आपत्ति उठायी गयी है और माननीय रामनारायण जी त्रिपाठी ने जो विधान का अनुच्छेद १६४ (४) पढ़ करसुनाई या उसका अर्थ जिस तरह से लगाते हैं वह मेरी समझ में नहीं आया। उसमें तो स्पष्ट दिया हुआ है कि ६ महीने जो मिनिस्टर लेजिस्लेचर्स का मेम्बर न रहा हो तो ६ महीने के बाद वह मिनिस्टर मिनिस्टर नहीं रह सकेगा। ६ महीने फैसले के लिये तो हुये नहीं और इस बीच में ही यह आपत्ति उठा दी गयी। यह आपत्ति अवैध है और मैं इसके ऊपर यह भी उचित नहीं समझता कि सरकार को कष्ट दूं कि वह जवाब दे।

कांस्टीट्यूशन (सेकण्ड अमेंडमेंट) बिल, १९५२ के अनुसमर्थन में संकल्प

मुख्य मंत्री (श्री गोविन्द वल्लभ पन्त)---अध्यक्ष महोदय, मैं यह संकल्प उपस्थित करता हूं---

"क्योंकि संसद के दोनों सदनों ने कांस्टीट्यूशन (सेकेण्ड अमेंडमेंट) बिल, १९५२ को, जिससे संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व से संबंधित भारत संविधान के अनुच्छेद ८१ में संशोधन किया जाना है, पारित कर दिया है ---

और क्योंकि संविधान के अनुच्छेद ३६८ के प्रतिबन्ध के अनुसार यह आवश्यक है कि यदि ऐसा कोई संविधान करना हो जिससे संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व में कोई परिवर्तन हो उसे राष्ट्रपति के समक्ष अनुमति के लिये उपस्थित किये जाने के पहले प्रथम अनुसूची के भाग (क) और (ख) में उल्लिखित राज्यों में से कम से कम आधों के विधान मंडलों से पारित संकल्प द्वारा उसका समर्थन हो ।

यह सदन संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कांस्टीट्यूशन (सेकेण्ड अमेंडमेंट) बिल १९५२ द्वारा संविधान के अनुच्छेद ८१ में प्रस्तावित संशोधन का अनुसमर्थन करता है।"

हमारे विधान के अनुसार हाउस आफ पीपुल के लिये यह आवश्यक था कि कम से कम ५ लाख वहां के निवासी हों जहां से एक सदस्य चुना जाय और अधिक से अधिक साढ़े सात लाख हों । इसके अनुसार संख्या निश्चित की गयी थी । और हमारे प्रदेश की संख्या हाउस आफ पीपुल के लिये ८६ निर्धारित की गई और हमारी इस असेम्बली की ४३० की संख्या रही। उस वक्त जब कि प्रेसीडेंट का इस संबंध में जो आर्डर निकला था उसमें जो आबादी समझी गयी थी उसके मुकाबले में जब आखिर में मर्दमशुमारी १९५१ की हुई तो उसके आंकड़े जो निकले वह पहले से क़रीब क़रीब हर प्रांत में अनुमानित किये गये थे उससे ज्यादा निकले । हमारे संविधान में यह भी लिखा हुआ है कि हर मर्दुमशुमारी के बाद फिर जो कि कांस्टीटुयेंसीज हैं या जो नियम इस संबंध में हैं उनमें उस संख्या के अनुसार जो कि मर्दुमशुमारी में है जैसा उचित हो वैसा संशोधन किया जायगा । उसके अनुसार अब जो जन संख्या ५१ की मर्दुमशुमारी के मुताबिक़ निकली है उससे जो पहले पांच सौ और सात सौ के बीच में संख्या निर्धारित की गयी थी यदि वही रहे तो हाउस आफ पिपुल की संख्या बढ़ानी है क्योंकि क़रीब-क़रीब औसतन सात लाख बीस हजार में एक सदस्य वहां का था । अब जब कि आबादी बढ़ गयी है तो कुछ निर्वाचन क्षेत्र ऐसे होंगे जिन में कि संख्या साढ़े सात लाख से भी ऊपर जाय। इसके लिये संशोधन करना आवश्यक होगा। तो पहले जो बिल वहां हाउस आफ पीपुल में पेश किया गया था उसमें यहा कहा गया था कि कम से कम पांच लाख के बदले साढ़े छः लाख होंगे, यानी साढ़े ६ लाख से कम की तादाद से कोई सदस्य नहीं चुना जायगा, जहां कि इतने वोटर हैं और जहां पर ऊपर की संख्या जो साढ़े सात लाख थी उसके बदले वह साढ़े आठ लाख की जाय । परन्तु उस पर फिर विचार कर के हाउस आफ पीपुल ने अन्त में यह निश्चय किया कि जो पहले ही उसमें पांच लाख की मिनिमम कैद थी वह तो बनी रहे, मगर जो साढ़े सात लाख की कैद थी वह हटा दी जाय तो इसी तरह से यह बिल वहां पार्लियामेंट के दोनों सदनों से हाउस आफ पीपुल और काउंसिल आफ स्टेट्स से पास हुआ यानी दफ़ा ८१ में जो साढ़े सात लाख की ऊपर की लिमिट है वह अलग कर दी जाय । इतना ही बिल पास हुआ । नीचे की लिमिट पांच लाख की क़ायम रही । ऊपर की साढ़े सात लाख की लिमिट हटा दी गयी। अब प्रेसीडेंट ऊपर की लिमिट अवस्था को देख कर बढ़ा सकते हैं । इससे हमें कुछ एक तरह से फायदा हुआ और एक तरह से कुछ निश्चितता भी हुई। फायदा तो इस तरह से हुआ कि अगर साठे आठ लाख उस तरह से रख दिया जाय तो हमारी संख्या ८६ से ८४ हो जायगी। निश्चित सा होता था। परन्तु अब कोई ऐसी संख्या ऊपर की निर्धारित न होने से इस तरह से परिवर्तन और संशोधन होना संभव है कि हमारी संख्या कम न हो । वह ८६ की ८६ बनी रहे । परन्तु हमें कोई अपनी ही दृष्टि से तो बात देखनी नहीं है । सारे देश की अवस्था को देखते हुये पार्लियामेंट में जिसमें कि हमारे प्रदेश के भी काफी सदस्य हैं, क्या हाउस आफ पीपुल में क्या कौंसिल आफ स्टेट्स में, इस संशोधन को स्वीकार किया कि जो ऊपर की हद साढ़े सात लाख की थी वह हटा दी जाय और फिर यह प्रेसीडेंट जैसी अवस्था देखे उसके मुताबिक़ निर्धारित कर दें। इसका यह भी लाभ है कि बराबर परिवर्तन करना नहीं पड़ेगा कानून में। और वह भी हमेशा के लिये एक बना हुआ रहेगा एक आर्डर के जरिये जैसी अवस्था समझी जायगी वैसा कर दिया जायगा में समझता हूं यह भी इससे संभव हो सकता है कि पार्लियामेंट के मेम्बरों की तादाद वही बनी रहे और जो निर्वाचन क्षेत्र हैं उनमें परिवर्त्तन करके जो तादाद थी उसमें परिवर्त्तन करने की आवश्यकता न हो

[श्री गोविन्द वल्लभ पन्त]

यह एक तरह से अच्छा हो सकता है कि कांस्टीटुएंसी की संख्या एक तरह से निश्चित सी रहे । परन्तु आवश्यक होने पर इस नियम के अनुसार जो संशोधन समझें वह किये भी जा सकेंगे । अब क़ानून यह था कि हमारे विधान के इस आर्टिकिल के मुताबिक़ जिस का उल्लेख मैंने अभी किया है आवश्यक है कि संशोधन में कोई ऐसा परिवर्तन हो तो उसको कमी से कम आधे प्रदेशों की रजामन्दी और उनकी ताईद मिले।

और कम से कम आधे देश मे वह उसे स्वीकार और अंगीकार कर लें। इसके लिये यह प्रस्ताव यहां रखा गया है। यह प्रस्ताव यहां स्वीकार हो जायगा और, और भी हमारे देश के कम से कम आधे प्रदेशों में स्वीकार हो जायगा तब इसके अनुसार यह अधिनियम बन जायगा। मैं समझता हूं कि यह कोई ऐसा विवाद-ग्रस्त प्रश्न नहीं है और जो इससे सम्बन्धित बातें हैं वह मैंने सदन के सामने उपस्थित कर दी हैं। मैं आशा करता हूं कि सदन इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेगा।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)—श्रीमन्, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो यह प्रस्ताव सदन के सम्मुख रखा है यह संविधान की ३६८ वीं धारा के द्वारा जो मांग की गई थी उसी के अनुसार यह प्रस्ताव रखा गया है । माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस प्रस्ताव को रखते हुये जो उद्देश्य और कारण बताये हैं कि किन उद्देश्यों और कारणों से प्रेरित होकर इस प्रस्ताव को भारत की पार्लियामेंट के दोनों सदनों ने पास किया, उसको सुनने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि इसका हमें विरोध करना चाहिये। श्रीमन्, आज जिस तरीके से भारत के संविधान की धारायें परिवर्तित की जा रही हैं, उसमें तब्दीली की जा रही है, कांस्टीट्यूशन के आर्टिकल्स चेंज किये जा रहे हैं उन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुये हम यह अपील करना चाहते हैं कि जो आबादी बढ़ी और उस बढ़ती हुई आबादी की समस्या का सामना करने के लिये इस तरह का संशोधन उपस्थित हुआ उसके लिये और कई डेमोक्रेटिक मीन्स (तरीके) थे। पहला तो डेमोक्रेटिक मीन्स (तरीका) यही था कि हम अगर ५०० की संख्या जो निर्धारित कर चुके थे, उसी को बढ़ा देते। उसकी संख्या बढ़ा करके ६०० तक ले जाते या जो भी हमें जरूरत होती जितना बढ़ाने की, उसको बढ़ाते। ऐसा न करके किया क्या गया और इस बात को करने की कोशिश की जा रही है कि जो जनता का प्रतिनिधित्व है वह कम हो जाय और जो निर्वाचन का क्षेत्र है वह व्यापक हो जाय। तो निर्वाचन का क्षेत्र ..... श्रीमन्, बहुत काफी शोर हो रहा है इस सदन में ।

श्री अध्यक्ष—श्री वीरेन्द्र शाह जी आप कृपा करके अपने स्थान पर बैठें ।

श्री राजनारायण—तो श्रीमन् मैं यह अर्ज कर रहा हूं कि यह बड़ा मौलिक सवाल आज इस सदन में प्रस्तुत है और चाहे वह संयुक्त दल के हमारे भाई हों, या हमारे दल के या ट्रेजरी बेंचेज के, जरा इसमें गम्भीरता से विचार करें, इस पर मनन करें। यह प्रतिदिन जो सदन का टाइम बढ़ाने का रिज्योलूशन सरकारी बेंचेज की तरफ से हुआ करता है, उस तरह का कोई रिजोल्यूशन नहीं है। श्रीमन् मैं यह कह रहा था कि आज हमारे भाग्य का निर्णय गलत हो जायगा अगर यह सदन इस पर अच्छे तरीके से, गम्भीरता से विचार विनिमय करके कोई फैसला नहीं लेगा । हम उन बातों की ओर अब आना चाहते हैं जिनसे प्रेरित होकर इस तरह के परिवर्तन करने की जरूरत हुई। तो उसमें एक माननीय मुख्य मंत्री जी ने बताया कि आबादी बढ़ी। आबादी बढ़ी इसको हमने माना। मगर आबादी बढ़ने से क्या कांस्टीट्युएंसीज को बढ़ा देने से या ज्यादा पापुलेशन पर एक रिप्रिजेंटेशन किये जाने से यह सवाल हल हो सकता है, नहीं हल हो सकता है। हम चाहते हैं कि इसको डेमोक्रेटिक तरीका दिया जाय और डेमोक्रेटिक तरीके के लिये श्रीमन् हमने कहा कि जब

धारा ही चेंज करनी है जो जहां ५०० की सीमा है उसी को क्यों नहीं चेंज कर दिया जाता और श्रीमन् अगर इसको चेंज किया जायगा तो एक तर्क दिया जा सकता है कि खर्च बहुत बढ़ रहा है, ज्यादा मेम्बर आयेंगे तो उसमें खर्चा ज्यादा बढ़ेगा। केवल एक यही तर्क है और इसके लिये कोई दूसरा तर्क है नहीं। इसके लिये श्रीमन् मैं अपना यह विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे जो राष्ट्र के प्रेसीडेंट हैं उनकी खिदमत में जाय कि खर्चे को घटाने के कई तरीके हैं। श्रीमन्, जो दो चैम्बर्स (सदन) का प्रोसीजर (तरीका) यहां अख्तियार किया गया वह दो चैम्बर सिस्टम ही क्यों रखा जाय, उसी को ही क्यों न एबालिश (समाप्त) कर दिया जाय। और श्रीमन् जब हम देखते हैं कि धारायें चेंज होती हैं तो ऐसी धाराओं के अन्दर जो खामियां रह गयी हैं और वह खामियां जो कि जनतंत्र से डिमोक्रेसी से मेल नहीं खातीं तो उन खामियों को दूर करके क्यों न इस बढ़ती हुई आबादी के मसले को हल किया जाय। जब मैं अपने इस टू चैम्बर सिस्टम (दो सदन का तरीका) को एबालिश करने की बात कहता हूं और उसे अबालिश करके खर्चे को घटाने की बात करता हूं, तो उसके समर्थन में मैं महात्मा गांधी जी की जो वाणियां हुई हैं, उनके जो उपदेश हुये हैं हिन्दुस्तान के विधान के संबंध में उसको भी आपके द्वारा माननीय मुख्य मंत्री जी की खिदमत में रखना चाहता हूं। श्रीमन्, महात्मा गांधी जब राउन्ड-टेबिल कांफ्रेंस में गये थे तो उन्होंने भारत ऐसे गरीब मुल्क के लिये किस तरह का विधान हो, उसकी चर्चा की थी और उस चर्चा को करते हुये महात्मा जी ने साफ कहा था--

"An All-India Panchayat shall be the only Central Legislature. It shall be uni-cameral because the system of having two chambers is unnecessarily complicated and expensive."

श्रीमन् जब कि बार बार हम सदन में बैठकर बाहर-भीतर महात्मा जी के नाम को लिया करते हैं तो मैं आपके जरिये आज यह बताना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री महोदय से कि वे हमारी भावनाओं में हमारी आकांक्षाओं में अपनी आकांक्षाओं को मिला कर इस सदन की यह सम्मति प्रेसीडेंट महोदय के पास भेजें और उनसे कहें कि उत्तर प्रदेश की जो यह विधान-सभा है वह नहीं चाहती कि इस तरह से आबादी के मसले को मीट (हल) किया जाय। श्रीमन्, अगर गांधियन कांस्टिट्यूशन आफ फ्री इंडिया की और आगे लाइनों को पढ़ा जाय, और पन्नों को उल्टा जाय तो गांधी जी ने इसके बारे में और बहुत सी बातें कही हैं। गांधी जी ने तो यहां तक कह दिया है--

"I am certainly not enamoured of or I do not swear by two legislatures. I have no fear of the popular legislature running away with itself and hastily passing some laws of which afterwards it will have to repent. I will not like to give a bad name to it and then hang the popular legislature. I think that the popular legislature can take care of itself. And since we are dealing with the poorest country in the world, the least expenses we have to bear the better it is for us."

तो श्रीमन् आप के जरिये मैं अपने सदन के सामने माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि क्यों न वह सीमा बढ़ा दी जाय विधान की जिस ने हमें वाध्य किया कि पांच सौ का हाउस हो। अगर उसको हम बढ़ायें तो उसके बढ़ाने पर जो खर्चा की आपत्ति उठायी जाती है वह खर्चे की आपत्ति नहीं उठायी जानी चाहिये। हमारे विधान के अन्दर ऐसी-ऐसी कमियां हैं जिन कमियों और खामियों को, श्रीमन् हम मिटा करके अपनी आज जो जनतांत्रिक प्रणाली और व्यवस्था है उसको कम खर्चीला बना सकते हैं और उसको कम खर्चीला बना करके ही हम पूज्य बापू की आत्मा को शांति दे सकते हैं। श्रीमन्, इसके अतिरिक्त अगर हमारे कुछ माननीय सदस्य इस तर्क को पेश करेंगे कि इससे भी खर्चा कम नहीं होगा, तो मैं आपकी आज्ञा से उनकी सेवा में यह भी अर्ज करना चाहूंगा और यह भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि क्यों नहीं माननीय मुख्या मंत्री, अन्य मंत्री और हम तमाम विधान सभा के सदस्य अपने ऊपर जो खर्चे होते हैं उनको ही कम कर दें।

[श्री राजनारायण]

अगर उनको भी हम कर देंगे, श्रीमन्, तो मैं समझता हूं कि इस खर्चे के सवाल को ले कर जो ऊपर की संख्या को आगे बढ़ा कर निर्धारित करने की बात है वह हल हो जाती है। इसके अतिरिक्त मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी यह भावना जो इस सदन में व्यक्त हो रही है वह केवल हमारी ही भावना नहीं है, जो यहां विरोधी पार्टी बैठी हुई है प्रजा सोशलिस्ट पार्टी केवल उसी की यह भावना नहीं बल्कि आज हमारे देश में जो बड़े-बड़े पंडित हैं, राजनीति के पंडित, दर्शन शास्त्र के पंडित उन तमाम की यह भावना है कि इस तरीके से सदन के काम को सरल बनाया जा सकता है और आगे प्रगति हो सकती है। श्रीमन्, जब हम आपकी इजाजत से यह संशोधन और इस सदन की यह आकांक्षा और भावना को प्रेसीडेंट महोदय के पास भेजने की अपील करते हैं तो हम चाहते हैं कि माननीय मुख्य मंत्री जी गम्भीरता के साथ हमारे इन जजबात पर गौर करें और इनको अपने जजबात बना कर प्रेसीडेंट महोदय के पास भेजें। और आज यह मौका है, श्रीमन्, जब कि भारत के संविधान की धारायें परिवर्तित हो रही हैं, जो जनता से संबंधित हैं रेप्रेजेण्टेशन से संबंधित हैं तभी हम इन जजबात को भेज सकते हैं कि उत्तर प्रदेश दो हाउसेज का सिस्टम नहीं रखना चाहता और उस सिस्टम को तोड़ कर केवल एक हाउस रखना चाहता है, जैसा कि महात्मा गांधी ने कहा था और उन्होंने तो बहुत सही बात कही थी कि दो हाउसेज के सिस्टम को जो लोग रखने की बात करते हैं वह इसलिये कि इसमें कुछ चेक्स लगते हैं और ऊपर के हाउस में जाकर उसमें कुछ और सुझाव और बढ़िया तरमीम आती है। इस तरह के ख्यालात के बारे में श्रीमन्, मैं प्रोफेसर लास्की की कुछ लाइनें आपकी इजाजत से पढ़ देना चाहता हूं।

मैं यही कहना चाहता हूं कि प्रोफेसर लास्की और तमाम बड़े-बड़े विद्वान् इस बात को मान गये हैं कि पार्टी सिस्टम में जो गवर्नमेंट होती है वह अपने सिद्धांतों के अनुसार कानून बनाया करती है तथा उसीकी पार्टी के लोग लोअर हाउस और अपर हाउस में भी होंगे। इसलिये इस तरह की दलील इस सदन में नहीं आना चाहिये। इसी के बाद, श्रीमन्, मैं अपने तमाम सम्मानित सदस्यों के सामने दुनियां के और मुल्कों की भी चर्चा करना चाहूं। अगर दुनियां के और मुल्कों के बारे में देखें तो वह समझेंगे कि आयरलैंड में जो पार्लियामेंट है वहां २० हजार आदमियों के पीछे एक प्रतिनिधि भेजा जाता है, आस्ट्रेलिया में ७५ हजार आदमियों के पीछे एक प्रतिनिधि, दक्षिण अफ्रीका में ५० हजार, न्यूजीलैंड में ७६ हजार, फ्रांस में ७५ हजार, स्वीटजरलैण्ड में २२ हजार और जर्मनी में ६० हजार आदमियों के पीछे, एक प्रतिनिधि जाता है। इसी तरह से और देशों के बारे में भी देखें तो मालूम होगा कि दुनियां के तमाम आंकड़े यह सबित करते हैं कि कांस्टीटुएंसी इस तरह से बनाई जाय ताकि उस कांस्टीटुएंसी के जो रेप्रेजेण्टेटिव चुन कर जायं वे अच्छे तरीके से अपनी कांस्टीटुएन्सीज की बातों को रख सकें चाहे वह विधान सभा का हाउस हो और चाहे वह पार्लियामेंट का सदन हो दोनों में कांस्टीटुएंसी को बढ़ाये जाने की चीज नहीं होनी चाहिये। इसमें अगर खर्चे का सवाल है या और बातें हैं तो खर्चा और तरीकों से कम किया जा सकता है। दो चैम्बर्स के सिस्टम को तोड़ करके खर्चा पूरा किया जा सकता है और दूसरे तरीकों से मीट कर सकते हैं। इसलिये श्रीमन् मैं फिर अंतिम अपील माननीय मुख्य मंत्री से करना चाहता हूं कि जो डेमोक्रेटिकक उसूल महात्मा गांधी जी और प्रोफेसर लास्की के जरिये रखे गये हैं, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के जरिये रखे गये हैं और अभी-अभी डाक्टर राधाकृष्णन से जो हमारी बात चीत हुई गवर्नमेंट हाउस में वे ही इन्हीं प्रिन्सिपिल्स का प्रतिपादन करते हैं, तो मैं चाहता हूं कि वह सदन के इन जजबात को प्रेसीडेंट महोदय के पास भेज कर के यह अपील करें कि डेमोक्रेटिक तरीके पर न चलने की जो अब सेंट्रल गवर्नमेंट की नीति हो रही है उसके विरुद्ध यह उत्तर प्रदेश की विधान सभा है। इन तमाम बातों को कहने के बाद मैं बैठना चाहता हूं।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से संशोधन पेश करना चाहता हूं कि वर्त्तमान संकल्प के प्रथम दो पैरा निकाल दिये जायं।

श्रीमन्, इसके पहले कि मैं अपने संशोधन के समर्थन में कुछ निवेदन करूं मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि विधान के संशोधन के संबंध में जो कोई भी प्रस्ताव अब कभी किसी देश के इतिहास में किसी सदन के सामने आया है।

श्री अध्यक्ष—माननीय सदस्य कृपा करके बैठ जायं । आप प्वाइंट आफ आर्डर उठाना चाहते हैं ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—जी हां। मैं यह निवेदन करना चाहता था कि इन दो अंशोंके निकालने के बाद बाकी जो रहता है वह क्या आपको मंजूर है?

श्री अध्यक्ष—इसका मतलब तो यही निकलता है कि बाकी मंजूर है ।

श्री नारायण दत्त तिवारी—श्रीमन्, जो मुझे निवेदन करना है वह मैंने शुरू ही किया था कि मुझे मंजूर है या नहीं । इसके संबंध में मैं निवेदन करने जा रहा था । हमारे विरोधी दल के नेता ने स्पष्ट शब्दों में पार्टी का दृष्टिकोण व्यक्त कर दिया है।

श्री अध्यक्ष—मैं यह जानना चाहूंगा कि अगर आपको यह नामंजूर है तो फिर मैं आपको मौका नहीं दूंगा कि आप सदन का समय लें। या तो आप संशोधन पेश करें या विरोध करें। मैंने निर्णय दे दिया है कि इसका मतलब यही निकलता है कि आपको प्रस्ताव स्वीकार है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, मेरा विरोधात्मक संशोधन है.....

श्री अध्यक्ष—(मुख्य मन्त्री से) आप कहिये, आपको क्या कहना है।

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—मैं यह समझता हूं कि यह प्रिन्सिपल की बात है । इसलिये इसके बारे में साफ हो जाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—यह मैं उनसे जान लूंगा भाषण में जब वह भाषण देंगे। आप जारी रखिये।

श्री नारायणदत्त तिवारी—अगर माननीय मंत्री जी को आपत्ति है तो मैं अपना संशोधन वापस ले लूं और केवल विरोध शुरू करूं। मैं अपना संशोधन वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं संशोधन पेश करना चाहता हूं माननीय मुख्य मंत्री द्वारा उपस्थित संकल्प में । उसकी अंतिम पंक्ति में "संशोधन का" और "अनुसमर्थन" के बीच में निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय—

"उक्त विधेयक की धारा के अंत में इस प्रतिबन्ध के साथ—

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे क्षेत्रों में जिनमें आबादी का घनत्व बहुत कम हो लोकसभा की एक सदस्यता के लिये ७,५०,००० से अधिक आबादी का आधार न माना जायगा।"

श्री अध्यक्ष—इसको साफ कीजिये।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—यह इस तरह से पढ़ा जायगा। यह जो आखिरी हिस्सा है, "यह सदन संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कांस्टीट्यूशन (सेकेण्ड अमेंटमेंट) बिल,

[श्री मदनमोहन उपाध्याय]

१९५२ द्वारा संविधान के अनुच्छेद ८१ में प्रस्तावित संशोधन का, इसके बाद यह ऐड किया जायगा, "उक्त विधेयक, की धारा (२) के अन्त में निम्नलिखित" प्रतिबन्ध के साथ--

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे क्षेत्रों में जिनमें आबादी का घनत्व बहुत कम है, लोक सभा की एक सदस्यता के लिये ७,५०,००० से अधिक आबादी का आधार नहीं माना जायगा, अनुसमर्थन करता है।"

श्री अध्यक्ष--तो आप इसमें यह प्रतिबन्ध जोड़ना चाहते हैं।

श्री मदनमोहन उपाध्याय--जी हां। इससे मेरा मतलब यह है कि ऐसी जगह जहां आबादी बहुत है और एरिया ज्यादा है वहां साढ़े सात लाख से ज्यादा किसी तरह नहीं होना चाहिये।

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त--प्वाइंट आफ आर्डर। जहां तक मदनमोहन उपाध्याय जी के उद्देश्य से सम्बन्ध है मुझे शायद उससे बहुत आपत्ति न हो मगर जहां तक इस प्रस्ताव से संबंध है वह मेरी समझ में इन आर्डर नहीं है। क्योंकि जो प्रस्ताव हमारे सामने आया है, यह जो विधेयक पार्लियामेंट में बनाया गया है और यहां हमारे सामने आया है उसे या तो हम मंजूर करें या नामंजूर करें। लिहाजा उसकी किसी चीज को हम बदल नहीं सकते। वह तो बिल वहां कानूनी तरीके पर होगा और उसमें कोई परिवर्तन यहां से नहीं हो सकता।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)--कायदे कानून का हवाला दीजिये।

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त--यह तो मुझ से प्रेसीडेंट साहब पूछ सकते हैं। यह बिल धारा ३६८ के मुताबिक आया है कि जब स्टेट्स उसको स्वीकार करें तभी वह पास होगा। जिन्होंने विधान देखा होगा उनको यह दफा मालूम होनी चाहिये। यह तो एक बहुत मामूली चीज है। मगर जिन्होंने नहीं देखी है उसे वे अब देख सकते हैं उसके मुताबिक यह प्रस्ताव यहां आया है।

श्री राजनारायण--आन ए प्वाइंट आफ आर्डर।

श्री अध्यक्ष--प्वाइंट आफ आर्डर पहले से ही रेज किया हुआ है। इस बीच में कोई नया प्वाइंट आफ आर्डर नहीं उठाया जा सकता।

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त--राजनारायण जी अगर गलत समझते हैं तो मुझे सही कर सकते हैं और मुझे खुशी होगी अगर मेरी गलती मुझे मालूम हो जाय। मगर मैं यह समझता हूं कि यह तो एक खास प्रस्ताव है। दफा में वह लिखा हुआ है। उसके पढ़ने से मालूम हो जायगा कि हाउस इसे मंजूर करे या नामंजूर करे। इस बिल के प्राविजन को हमें बदलने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसा हो और ऐसा न हो, इस बिल के प्राविजन्स के खिलाफ हम नहीं जा सकते। हाउस को इसे मंजूर करना है या नामंजूर करना है। सीधा सा सवाल है।

श्री राजनारायण--अगर सेक्शन ३६८ को ध्यान से देखा जाय तो वह यह नहीं कहता कि व्यवस्थापिका सभायें संशोधन नहीं पेश कर सकतीं। ३६८ सेक्शन में साफ लिखा हुआ है कि प्रेसीडेंट के सामने जब यह चीज जायगी तो उस पर प्रेसीडेंट अपनी मोहर लगाने के पहले यह एसर्टेन करेगा (देखेगा) कि फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पार्ट की जो स्टेट्स हैं उनमें से आधी से ज्यादा स्टेट लेजिस्लेचर्स ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है या नहीं।

तो उत्तर प्रदेश की जो यह विधान सभा है इसको यह तमाम राइट है कि यह जिस तरीके से चाहे इसमें संशोधित प्रस्ताव भेज सकती है या जो वहां पार्लियामेंट से पास

हुआ है उस पास हुई धारा में संशोधन करके प्रेसीडेंट साहब के पास मंजूरी के लिये भेज सकती है कि हम इस तरह का संशोधन चाहते हैं। श्रीमन्, मैं इसको स्प्रिट भी बतलाना चाहता हूं। यों तो २/३ से वह सब संशोधन संविधान में हुआ करते हैं लेकिन यह खास धारा है और इसको संशोधित करने से भी खास असर पड़ता है। इसलिये इसमें एक और चेक (प्रतिबंध) लगाया गया है और वह यह है कि जिस धारा को हम संशोधित करने जा रहे हैं उसको पार्लियामेंट के दोनों सदनों ने पास करके यहां पर भेजा है कि हमारी इस विषय में सम्मति क्या है। हमारी वह सम्मति संशोधन के रूप में जा सकती है और उसको हम परिवर्तन या परिवर्द्धन के साथ भेज सकते हैं या उसको घटाना चाहें तो घटा सकते हैं और बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं। मैं केवल यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो इसको कहा कि यह अवैधानिक है सो यह अवैधानिक नहीं है। इसके लिये जैसा मैंने कहा सदन को पूरा अधिकार है। यह सदन जिस तरीके से चाहें इस धारा में संशोधन करके अपनी सम्मति को प्रेसीडेंट के पास भेज सकता है और कहीं पर भी इसके विरुद्ध कोई प्राविजन (धारा) नहीं है।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—माननीय अध्यक्ष महोदय, जो प्वाइंट आफ आर्डर उठाया गया है मैं उसको कुछ समझ नहीं पाया क्यों कि जैसा उन्होंने विधान का अनुच्छेद ३६८ बतलाया उसमें यह लिखा हुआ है..

"The amendment shall also require to be ratified by the Legislatures of not less than one-half of the States specified in parts (*A*) and (*B*) of the First Schedule by resolutions to that effect passed by those Legislatures before the Bill making provision for such amendment is presented to the President for assent."

[कोई परिवर्तन करना चाहता है तो ऐसे उपबन्ध करने वाले विधेयक को राष्ट्रपति के समक्ष अनुमति के लिये उपस्थित किये जाने के लिये पहिले उस संशोधन के लिये प्रथम अनुसूची के भाग (क) और (ख) में उल्लिखित राज्यों में से कम से कम आधों के विधान-मंडलों का उस प्रयोजन के लिये उन विधान मंडलों से पारित संकल्पों द्वारा अनुसमर्थन भी अपेक्षित होगा।]

इसमें कहीं पर यह नहीं लिखा हुआ है जैसा कि विरोधी दल के नेता ने कहा कि हम इसमें संशोधन नहीं कर सकते हैं। यह प्रस्ताव जो सदन के सामने आया है उसमें संशोधन रखने का सदन को पूरा अधिकार है क्योंकि जब यह प्रेसीडेंट साहब के पास असेन्ट के लिये जायगा इस वक्त प्रेसीडेंट साहब के सामने यह हमारा संशोधन भी रहेगा। मैं यह समझता हूं कि यह मंजर होने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी इस संशोधन के जरिये प्रेसीडेंट साहब को यह मालूम हो जायगा कि हमारे प्रदेश का रहने वाला जो विरोधी दल है, अल्पमत है उनकी इस सिलसिले में यह राय है। इसलिये इस सदन को यह पूरा अधिकार है कि इसमें संशोधन रखा जाय। अगर चाहे तो यह सदन इस संशोधन को नामंजूर कर सकता है।

श्री अध्यक्ष—जो वैधानिक आपत्ति उठायी गयी है वह इस संबंध में है कि आया श्री मदनमोहन उपाध्याय जी ने जो संशोधन इसमें पेश किया है वह वैध है या नहीं। इस सदन के सामने इस विषय का संकल्प विचार में है कि आया यह सदन जो संशोधन संसद् ने किया है उसको स्वीकार करता है या नहीं करता है। केवल यह प्रश्न इस सदन के सामने है। संसद् ने संविधान में जो संशोधन किया है उसके विषय में यह सदन इस बात का अधिकारी नहीं है कि उस संविधान में किसी तरह का संशोधन करे। जो संशोधन माननीय उपाध्यक्ष जी ने दिया है वह संशोधन उस धारा का भी संशोधन करने वाला है, जो कि यहां दोनों सदनों से पास होकर आया है। माननीय उपाध्यक्ष जी अपने संशोधन के द्वारा एक बड़ा जबरदस्त अधिकार

[श्री अध्यक्ष]

संशोधन करने का इस सदन के लिये लेना चाहते हैं। वह इस प्रकार से चाहें यह ठीक है लेकिन चूंकि संविधान में संशोधन करने का इस सदन को अधिकार नहीं है इसलिये इस तरह का प्रस्ताव उस दृष्टि से अवैध है। दूसरे साधारण दृष्टि से भी वह अवैध है चूंकि सदन के सामने केवल संकल्प इतना ही है कि इसको स्वीकार किया जाय या न किया जाय और संविधान के अनुच्छेद ३६८ में यह शब्द हैं

" shall also require to be ratified by the Legislatures of not less than one-half of the States....."

[.....राज्यों में से कम से कम आधों के विधान मंडलों का.....अनुसमर्थन भी अपेक्षित होगा ।]

इस प्रकार संविधान में संशोधन : स्टेट्स की विधान सभायें तो सिर्फ रेटिफाई करेंगी, उन को संविधान की धारा में संशोधन करने का अधिकार नहीं होगा और न वह किसी धारा में किसी तरह की कोई नुक्ताचीनी ही कर सकती हैं, वह या तो मंजूर करें या नामंजूर कर दें, इन दोनों में से एक चीज वह कर सकती हैं। संविधान में संशोधन लाने का प्रस्ताव इन दोनों ही दृष्टियों से नही हो सकता, इसलिये मैं इसको अवैध करार देता हूं। हां, अगर वह विरोध करना चाहें तो करसकते हैं।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—हमारी राय तो प्रेसीडेंट के पास भेज दी जायगी ?

श्री अध्यक्ष—आपकी ओपेनियन तो पहुंच जायगी, बहुत से लोग यहां उसको पहुंचाने वाले बैठे हैं।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—माननीय अध्यक्ष महोदय, जो संकल्प माननीय मुख्य मंत्री जी ने सदन के सामने रखा है मैं उसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं और इस का विरोध मैं इसलिये कर रहा हूं कि अगर संविधान में यह संशोधन किया जायगा तो इसका सबसे बड़ा असर हमारे उन प्रदेशों पर पड़ेगा जहां का एरिया तो बहुत ज्यादा है लेकिन आबादी नहीं बढ़ी है, जैसा कि हमारा पर्वतीय इलाका है या राजस्थान के कुछ ऐसे इलाके हैं या जहां पर बहुत दूर दूर गांव बसे हैं, रकबा बहुत है, लेकिन आबादी कम है। इस संविधान में इस तरमीम का मतलब यह है कि जैसा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि कुछ आबादी सन् ५१ के सेन्सस में बढ़ी हैं और उसके मुताबिक जो आजतक के सीलिंग फीगर लिखे गये थे वह अब नहीं रहे, कम से कम हमारे यहां अगर ५ लाख रहेगा तो उसकी सीमा क्या होगी, उसके बारे में वह कुछ निश्चय नहीं करना चाहते हैं और देश की आबादी के मुताबिक वह बाद में सीमा रक्खेंगे । हमें खतरा है कि सीमा बढ़ेगी और अगर सीमा दस लाख रख दी गई तो हमारा पर्वतीय प्रदेश जो तिब्बत के पड़ोस में है, दूसरे मुल्क के साथ उनका संबंध है उनकी तिजारत है, जहां पर दूसरी किस्म की सरकार चल रही है, उन हमारे पर्वतीय इलाकों का प्रतिनिधित्व हमारी लोकसभा में ठीक तौर से नहीं हो सकेगा। अल्मोड़ा के जिले में भी साढ़े सात लाख की आबादी है इसलिये वहां से भी एक सदस्य लोकसभा में जाने का अधिकारी है। नैनीताल की आबादी भी साढ़े तीन लाख की है और इसलिये उस जिले को बरेली जिले की तहसीलों से मिलकार वहां से भी एक प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है इसी तरह से गढ़वाल से भी एक सदस्य जा सकता है, टेहरी और बिजनौर के कुछ हिस्से को लेकर एक प्रतिनिधि जा सकता है, लेकिन यह जो संशोधन किया जा रहा है इसका असर सबसे ज्यादा हम लोगों पर ही पड़ेगा और हमारे इलाके का प्रतिनिधित्व ठीक तरीके से नहीं हो सकेगा। हम चाहते हैं कि कम से कम जितना हमारा प्रतिनिधित्व इस समय है वह तो रहे ही। माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा है कि हमारे प्रदेश की जो ८६ सीट्स है वह कायम रहेंगी। यह आशा है। लेकिन

हमें अन्देशा है कि यह जो ८६ सीट्स हैं वह भी जहां आबादी बढ़ गई होगी वहां मिला दी जायंगी और यह जो तीन चार सीट्स हमारी हैं वह भी आबादी की वजह से हमारे यहां से कम हो जायंगी और इस तरह से हमारा प्रतिनिधित्व ठीक न हो सकेगा। इसका इसलिये हम पर भारी असर पड़ सकता है मुझे अफसोस है कि हमारे यहां के जो प्रतिनिधि लोकसभा में हैं उन्होंने क्यों नहीं इस बारे में कहा और शायद कहा हो गो कि अखबारों से ऐसा पता नहीं चलता। वैसे तो मैंने राजस्थान वगैरह की बात की लेकिन हम पर जो असर पड़ता है उसके लिये मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से आपके जरिये यह निवेदन करूंगा और आशा करूंगा कि वह हमारी राय जरूर राष्ट्रपति तक पहुंचा दें। यह कहना की खर्चा ज्यादा होगा यदि आबादी ज्यादा बढ़ जायगी इसके लिये मैं यह कहूंगा कि अगर संविधान में संशोधन हो सकता है तो वहां भी कर लिया जाय और खर्चा उसी प्रोपोरशन के हिसाब से पार्लियामेंट में कम कर दिया जाय लेकिन हमारा साढ़े सात लाख पर प्रतिनिधि भेजने का हक न मारा जाय। दूसरे मैदानी जिलों के लोग अगर चाहें तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है। हम ज्यादा प्रतिनिधित्व भी नहीं चाहते लेकिन जो है वह तो नहीं घटना चाहिये। हमारे यहां की आबादी बढ़ने की उम्मीद नहीं है।

एक सदस्य—आप आबादी बढ़ाइये।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—इधर तो बर्थ कंट्रोल की बात की जाती है तो फिर आबादी कैसे बढ़ाई जाय? फिर वहां के लोग भी छोटे होते हैं तो कहीं ऐसा न हो कि उनकी आबादी भी न माना जाय। हमारे यहां का एरिया बहुत ज्यादा है और हम आशा करते हैं कि माननीय मुख्य मंत्री जी हमारी बात को राष्ट्रपति जी तक अवश्य पहुंचा देंगे।

वन उपमंत्री (श्री जगमोहन सिंह नेगी)—मैं इस संकल्प का हृदय से समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। जैसा विरोधी दल के नेता राजनारायण जी ने कहा, यह बड़ा महत्वपूर्ण मामला है और हमें उस पर गम्भीरता पूर्वक विचार करना है। मुझे यह भी ख्याल हुआ कि यदि यह बुद्धि हमारे विरोधी दल वालों को उस समय आई होती जिस समय कि संविधान बन रहा था तो सम्भव था कि हमारे संसद को यह संशोधन करने की अब आवश्यकता न आती और जो आज जो बात उपाध्याय जी कह रहे हैं वह उन्हें न कहनी पड़ती। मुझे उनके भय से पूरी सहनुभूति है क्योंकि जिस प्रकार फेमिली प्लानिंग उपाध्याय जी कर रहे हैं उससे ऐसा ही अनुमान लगता है कि पहाड़ों की जनसंख्या कुछ अधिक नहीं बढ़ेगी और उन्हें प्रतिनिधित्व बहुत कम मिलेगा जिस प्रकार कि साढ़े सात लाख पर एक प्रतिनिधि मांगना चाहते हैं। मैदानी इलाकों में संख्या अवश्य बढ़ती जा रही है। अगर इस प्रगति से यह संशोधन स्वीकार न हुआ और संविधान में इस प्रकार का संशोधन न हुआ तो मेरा ख्याल है कि वह पार्लियामेंट न रह जायगी बल्कि उसमें इतनी भीड़ हो जायगी कि वह एक प्रकार से बादरी का सा मेला हो जायगा। इस लिये इस संकल्प को लाने की आवश्यकता है। दूसरी बात जो आज खटकी वह यह है कि हमारे विरोधी दल के भाई बाहर सर्वत्र इस बात का प्रचार करते रहते हैं कि असेम्बली और संसद में इतनी अधिक संख्या हो गई है कि किसी प्रकार का गंभीरतापूर्वक विचार नहीं हो सकता और न किसी सदस्य को अवसर ही प्राप्त होता है कि अपनी बात को सदन के सामने रक्खे। म इस बात को सदन के सम्मुख स्पष्ट सुनाना चाहता था। (एक आवाज)—कब कहा था। मुझे यह कहने की जरूरत नहीं, यह तो आपने जो जो वक्तव्य और भाषण जनता में बाहर दिये हैं उनसे आपको स्वयं ही मालूम होगा। आज के बाद भी यह बात आपको बाहर कहने का मौका नहीं होगा कि कांग्रेस वालों ने ऐसा संविधान बनाया जिसमें आप सम्मिलित नहीं थे और अब अंतिम समय में आप संशोधन करने के लिये तैयार हैं। खैर सुबह का भूला हुआ अगर शाम को वापस आ जाता है तो तो भी वह अच्छा ही है। आज आपने अपनी भूल स्वीकार कर लिया।

श्री अध्यक्ष—माननीय सदस्य मुझे संबोधन करके कहें।

श्री जगमोहन सिंह नेगी—यह भूल तो मैं उनको बता रहा था, वह आपके द्वारा बता रहा था श्री राजनारायण ने कहा कि शायद यह संशोधन संसद ने खर्चे की बचत के दृष्टिकोण को सामने रख कर बनाया था लेकिन मेरा तो विचार यह है कि उनका केवल इसमें मतलब यह था कि जो विधान बनाने का कार्य है उसके लिये जनता का पूरा प्रतिनिधित्व प्राप्त हो तथा उसके कार्य को अत्यन्त सुगमता और ढंग से निभाने के लिये ही यह संशोधन उन्होंने किया।

दो सदनों का भी प्रश्न उठाया गया कि दो सदन नहीं होने चाहिये इससे खर्चे की बचत होगी। यह बचत का सुझाव बहुत अच्छा है लेकिन यह भी भूल उन्हीं की है। संभवतः यदि उस समय हमारे सोशलिस्ट भाइयों ने उसका बायकाट न किया होता, कांस्टीटुएंट असेम्बली में रहे होते तो शायद यह चीज न हुई होती। आप तो वहां थे नहीं। वहां जो भी माननीय सदस्य सब विचार धाराओं के थे उन्होंने जल्दी में होने वाली कार्यों में रुकावट डालने के लिये यह किया। जिससे यदि कोई अधिनियम बने तो जल्दी में न बन जाय। कल आप उसे बदल भी सकते हैं, संविधान में यह बात स्पष्ट भी है। हम भी इसके ज्यादा समर्थक नहीं हैं कि बाईकेमरल सिस्टम जारी रहे। अगर उससे खर्चा ज्यादा होता है और आपकी ओर से उसका कोई संशोधन आया तो हमें कोई विरोध नहीं होगा या होगा, यह प्रश्न इस समय विचाराधीन नहीं है। इस समय तो प्रश्न यह है कि मैक्सीमम प्रतिनिधित्व की जो संख्या है वह क्या हो। मैं समझता हूं कि इससे कोई हानि होने वाली नहीं है। इससे प्रतिनिधित्व की संख्या घटने वाली नहीं है। जैसा कि राजनारायण जी को डर था वह संख्या ४३० से ४२० होने वाली नहीं है, वह घटेगी नहीं वह तो स्थायी रहेगी। घटने का उसमें कोई सवाल नहीं है। मैं तो समझता हूं कि इसमें कोई चिंता की बात या विरोध करने की बात नहीं थी।

श्री राजनारायण—आप ४२० बनाना चाहते थे ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—मैं तो नहीं चाहता था। मैंने तो कहा कि किसी तरह से संख्या इससे घटेगी नहीं, पूरी संख्या रहेगी, शायद आपने ऐसा हिसाब जोड़ा हो और आपका ख्याल हो कि संख्या कम हो जायगी, इस पर मैंने कहा। तो मेरे ख्याल में इस पर ज्यादा कहने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। वे भूलें आपके द्वारा ही की गई थीं जिनका निवारण करने के लिये आप इस प्रकार से संशोधन पेश कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि संकल्प का हृदय से पूर्ण रूप से समर्थन करके ही जो भूलें हैं उनमें कुछ सुधार करेंगे। इन शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करता हूं।

महाराज कुमार बालेन्दु शाह (जिला टेहरी गढ़वाल)—अध्यक्ष महोदय, मैं अपने आपको एक अजीब परिस्थिति में पाता हूं। एक तरफ मैं माननीय मुख्य मंत्री जी के संकल्प का समर्थन करना चाहता हूं, साथ ही साथ जो संशोधन हमारे माननीय नारायण दत्त तिवारी ने पेश किया था जिसको न जाने उन्होंने जल्दी में क्यों वापस कर लिया, उसका भी मैं समर्थन करना चाहता था और अन्त में जो भय श्री उपाध्याय जी ने प्रकट किया है उनका भी मैं समर्थक हूं और उनसे सहमत हूं। इसलिये एक अजीब परिस्थिति में मालूम नहीं क्या करूं ? किन्तु माननीय मुख्य मंत्री जी का संकल्प एक ऐडमिनिस्ट्रेटिव मामला है क्योंकि पिछले चुनाव के समय कंस्टीटुएंसीज एक प्रकार से बनी रहीं और क्योंकि हमारे विचार में जो कंस्टीटुएंसीज हैं वही लिमिटेड हैं इसलिये हम आज उनका विरोध कर रहे हैं। या तो जिस समय विधान बनाया गया था उस समय यह क्लाज उसी में शामिल होता, तो आज इसका कोई भी विरोध नहीं करता। इसलिये जो संकल्प माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा यहां प्रस्तुत किया गया है उसके विरुद्ध कुछ बोलना इस समय न उचित है, न संभव ही है।

माननीय नारायणदत्त तिवारी जी ने जो संशोधन पेश किया था वह बहुत उचित था मगर माननीय मुख्य मंत्री जी ने जब उनसे पूछा कि क्या आप अंतिम खंड को स्वीकार करते हैं

तो यह दुख की बात है कि उन्होंने तुरन्त हां नहीं कहा। इस संकल्प के पहले जो दोनों खंड हैं वे "क्योंकि" शब्द से प्रारम्भ होते हैं। मेरा विचार है कि इस सदन के लिये यह शोभा की बात नहीं है। क्योंकि दिल्ली में कुछ काम हुआ, क्योंकि दिल्ली में कुछ लोगों ने ऐसा फैसला किया इसलिये इस सदन को भी उसे करना, यह उचित नहीं मालूम होता। मेरे विचार में अगर केवल संकल्प ऐसा ही होता कि यह सदन संसद् के दोनों सदनों द्वारा पारित कांस्टीटुयूशन (सेकेण्ड अमेंडमेंट) बिल, १९५२ द्वारा संविधान के अनुच्छेद ८१ में प्रस्तावित संशोधन का अनुसमर्थन करता है तो ज्यादा अच्छा होता। यदि माननीय मुख्य मंत्री जी उचित समझें तो मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि पहले के दोनों खंडों को न रखा जाय और केवल अंतिम खंड से ही उनका तात्पर्य पूरा हो जाता है तो यही इस सदन द्वारा पारित किया जाय ।

माननीय उपाध्याय जी ने जो भय उपस्थित किया है उसके संबंध में मैं केवल यही कहूंगा कि विशेष कर पहाड़ी जिलों के सिलसिले में यह बहुत वास्तविक भय है। हमारे यहां आबादी कम है। मेरे माननीय मिश्र श्री जगमोहन सिंह नेगी ने वहां की आबादी कम होने के विषय में भी कुछ कहा और शायद यह भी कहा कि अगर और कोई कारण न हो तो इस बिल से फायदा उठाने के लिये पहाड़ी जिलों को अपनी आबादी बढ़ानी चाहिये। अगर मैंने गलत समझा हो तो मैं नहीं कह सकता । इस संबंध में मैं मुसोलिनी की करतूत की याद दिलाना चाहता हूं जिसने लड़ाई के जमाने में पोपुलेशन बढ़ाने के लिये कुछ पुरस्कार रखा था लेकिन मैं समझता हूं कि वे ऐसे फैसिस्ट विचार नहीं रखते हैं । यह तो केवल उदाहरण के तौर पर उन्होंने कहा है। माननीय राजनारायण जी ने बाईकेमिरल लेजिस्लेशन के बारे बहुत कुछ कहा जो मैं समझ नहीं पाया और जिसका इस विषय से बहुत कुछ ताल्लुक भी नहीं था। जो मुख्य आपत्ति है और जिसका भय सब लोगों को हो सकता है वह यही है कि कांस्टीटुएंसीज की लिमिट पापुलेशन के बढ़ाने से रिप्रेजेन्टेशन कम न हो जाय। यह एक वास्तविक भय है और जब कि हमारे मुख्य मंत्री जी ने यह आश्वासन दिला दिया है कि विशेष कर उत्तर प्रदेश के संबंध में हमारा रिप्रेजेंटेशन किसी तरह से कम नहीं होगी तो मैं समझता हूं कि हमको इस संकल्प का समर्थन करने में कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं होनी चाहिये।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुना (जिला इलाहाबाद)—श्रीमन्, जो संकल्प मुख्य मंत्री जी द्वारा इस सदन में प्रस्तावित है मैं उसका समर्थन करता हूं। इस संकल्प के संबंध में जब से यह प्रस्तुत हुआ है विरोधी दल के कुछ लोगों ने जो तकरीरें की उनमें से मुझे ऐसा आभास हुआ कि या तो इस संकल्प के संबंध में अपनी किन्हीं विचार धाराओं को वह इस सदन के सामने इस अवसर से लाभ उठाकर रखना चाहते हैं या इस संकल्प से संबंधित या असंबंधित बर्थ कंट्रोल से लेकर के पापुलेशन का घटना और बढ़ना और उपाध्याय जी के कुमायूं का तिब्बत के पास होने या न होने का भय दिखाकर इस सदन का मन इस संकल्प से दूर यानी इसके परे दूसरे विषयों पर ले जाने की कोशिश हुई है। मुख्य मंत्री जी ने अपने भाषण में इस संकल्प को स्पष्ट कर दिया है कि चूंकि आवश्यक है इस सदन की अनुमति रेटीफिकेशन की उस अबसोलूट चीज पर जिसको हमारी संसद् ने दिल्ली में पास किया है इसलिये इसको लाया गया है। माननीय बालेन्दु शाह जी को यह बात खटकी कि क्योंकि दिल्ली ने ऐसा किया इसलिये हम उनकी पूछ बन कर हां करें तो मैं उनको इतना कहा चाहूंगा कि जहां तक संविधान की बात है उसके अन्दर ऐसा है इसलिये हमारी राय में तो बहुत सारे मामलों में उन्हीं के चरणों पर चलना बहुत अच्छा है और दूसरी कोई सूरत हमारे सामने नहीं है। मेरे लिये, सदन के लिये, प्रदेश के लिये और इस देश के लिये जहां तक इस का संबंध है, उनका अनुकरण करना ही अच्छा होगा। एक बात यह कही गई कि पहाड़ों की तादाद कम है इसलिये वहां की जन संख्या के अनुकूल वहां के मेम्बरों की संख्या कम होने की गुंजाइश है अगर यह पास हो गया। इस सिलसिले में मैं अपने मित्रों से पूछना, कहना चाहता हूं कि पहली बात तो यह है

[श्री हेमवती नन्दन बहुगुना]

कि ऊपर की लिमिट अगर हटा दी गई तो यह चीज नहीं है कि पहाड़ी क्षेत्र का मेम्बर नहीं होगा । इसके अलावा भी समय को देखते हुए, स्थान को देखते हुए और अपने देश की हालत को देखते हुए ऊपर की लिमिट के लिये लिखा गया है कि जहां जैसा आवश्यक समझा जायगा उसी रूप में वह ऊपर की लिमिट तय की जायगी । तो माननीय उपाध्याय जी को पहाड़ी प्रदेश जितना प्रिय है मैं ऐसा समझता हूं कि मुझको भी उतना ही प्रिय है, मुख्य मन्त्री जी को भी उतना ही प्रिय है और इस सदन के सभी सदस्यों को भी उतना ही प्रिय है इसलिये कोई विशेष भय की बात इसमें नहीं आती, क्यों कि डेमोक्रेसी के नाम से मैंने माननीय राजनारायण जी के भय को सुना । मैं उनको बताना चाहता हूं कि और आप के द्वारा, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं श्री एटली साहब के भाषण की ओर जो कि अभी-अभी उन्होंने दिया है कि हमारा जो पिछला चुनाव हुआ और हमारे संविधान के अनुसार हुआ जिस संविधान की धाराओं के संबंध में हम कुछ बातें कर रहे है और उस संविधान को पास करने वाली कांस्टीटुएंट असेम्बली के काम की प्रशंसा उन्होंने दिल्ली में आने के बाद की कि दुनिया के सब से बड़े डेमोक्रेटिक तरीके पर चलने वाला प्रजातंत्र को मानने वाला हमारा संविधान है और यह एटली साहब केवल हिन्दुस्तान के नहीं बल्कि एशिया भर के सोशलिस्टों को राय देने के लिये रंगून पधारे हैं। तो मैं उनसे कहूंगा कि भ्रमात्मक बुद्धि से वह दल हर प्रश्न को न देखा करे, कभी-कभी सीधा भी देखा करे, जो दल अपने को अग्रगामी कहता है । मुझे बड़ा खेद है कि संविधान पर अधिक समय लगाया गया और इधर उधर की बातें कह कर कभी संशोधन पेश कर के, फिर जल्दी वापस लेकर चन्द क्षण और मिनट लिये गये । हमारे विरोधी दल की ओर से इतने क्षण किसी दूसरे काम पर लगते, और पहले ही इस बुद्धि से काम लिया जाता कि कम से कम समय में अधिक से अधिक धन की बचत करके ज्यादा से ज्यादा इस देश के रहने वाले ग़रीबों का कल्याण करने का प्रयास हम और हमारा सदन करे। इन शब्दों के साथ मैं माननीयमुख्य मंत्री द्वारा उपस्थित संकल्प का अनुमोदन करता हूं।

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस संकल्प का मुकम्मल तौर पर विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं और इसलिये मुकम्मल तौर पर विरोध करता हूं चूंकि हमको संशोधन पेश करने की इजाजत नहीं है । इसलिये मुझे मुकम्मल तौर पर इसका विरोध करना पड़ रहा है। मैं ऐसा सोचता था कि मैं संशोधन पेश करूं । पहले तो मैं ऐसा समझता था कि शायद संशोधन पेश करने की इजाजत न मिले । लेकिन नारायण दत्त जी का संशोधन आने के बाद माननीय मुख्य मंत्री जी ने दो दलीलें दी उससे मैं इस निर्णय पर पहुंचा कि संशोधन पेश किया जा सकता है और उसके बाद जो दलील उन्होंने बाद वाले संशोधन पर दी वह दूसरी थी । इसमें बिलकुल संशोधन पेश किया ही नहीं जा सकता, तो माननीय मुख्य मंत्री जो जैसे कानून के ज्ञाता से मैं उम्मीद नहीं करता था कि माननीय नारायणदत्त जी ने जो संशोधन पेश किया उस पर वह दूसरी दलील देंगे और माननीय मदनमोहन उपाध्याय जी ने जो संशोधन पेश किया उस पर वह दूसरी दलील देंगे।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि आप ग़लतफहमी में हैं । संशोधन आप ला सकते हैं संकल्प के शब्द में। लेकिन जो वहां संविधान में संशोधन किया गया है उसका संशोधन आप नहीं कर सकते हैं। संकल्प का संशोधन आप कर सकते हैं ।

श्री गेंदा सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, इस समय मैं जो संशोधन सोच रहा था उसको भी निवेदन कर दूंगा यदि माननीय मुख्य मंत्री जी उसे पसन्द करेंगे तो उस तरह

की बात हो सकती है । मैं एक चीज यह सोचता हूं कि यह जो ऊपर की सीमा हटा दी गयी है यह अच्छी बात नहीं है । माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने वक्तव्य के दौरान में यह कहा था कि पहले पार्लियामेंट में इस पर चर्चा हुई थी कि नीचे की सीमा जो है वह साढ़े छः लाख कर दी जाय और ऊपर की सीमा साढ़े आठ लाख से ज्यादा न की जाय । तो मैं ऐसा समझता हूं कि नीचे वाली बात छः लाख की अगर पार्लियामेंट कर देती तो उससे ज्यादा शिकायत की गुंजायश न होती और आज भी मैं यह कह रहा हूं कि इस तरह की बात हमको सोचना चाहिये कि साढ़े छः लाख की जो नीचे की सीमा है वह कम कर दें इससे जो हाउस आफ पोपुल के बढ़ जाने का खतरा हमारे सामने दिखाई देता है वह दूर हो जायगा। और पार्लियामेंट के निर्वाचन क्षेत्र की सीमा साढ़े सात लाख की आबादी बसे ऊपर हम किसी भी हालत में न करें । जिस प्रकार की पार्लियामेंटरी की डिमोक्रेसी हमारे देश में आज प्रचलित है उसे देखते हुए और जितना हमारे देश की पार्लियामेंट को, हमारे देश की जो यूनियन की सरकार है उसको जितनी शक्ति दी गयी है विधान में उसको देखते हुए यह आवश्यक मालूम होता है कि जितना भी अधिक से अधिक निर्वाचकों का अपने पार्लियामेंट के सदस्यों से संपर्क रह सके उतना ही अच्छा होगा।

मैं बिलकुल ठीक आंकड़े तो नहीं दे सकता लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश का दन साढ़ेसात लाख के कुछ ऊपर और नीचे, इसी हद्द पर चुना गया है। तो इस समय जितना निर्वाचकों तथा पार्लियामेंटके सदस्यों का सम्पर्क है उससे अधिक सम्पर्क रहना चाहिये ऐसा हम महसूस करते हैं और यदि यह हद और बढ़ा दी गयी तो बावजूद इसके कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने हमको आश्वासन दिया कि हमारी ८६ सीटें जो हैं वह संख्या सदस्यों की कम न होगी, लेकिन मैं बहुत ही अदब के साथ यह कहना चाहता हूं कि इस बात को कैसे मान लिया जब कि हम एक अधिकार दे रहे हैं दूसरे लोगों के हाथ में, मगर उन्होंने उचित समझा कि साढ़े सात लाख से ऊपर के निर्वाचन क्षेत्र बना दिये जायं तो माननीय मंत्री जी उसे किस प्रकार रोक सकेंगे।

कांस्टीटुएंसीज़ बनाने की जो प्रथा हमारी रही है उसका थोड़ा सा हमें ज्ञान है । उस संबंध में इस समय मैं कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन लोगों को शिकायत थी कांस्टि-ट्युएंसी बनाने में कि किस तरह से उनकी बनावट हुई और किस तरह से उनको डिमा-र्केट किया गया । तो फिर वैसी हालत में माननीय मुख्य मंत्री जी को यह अधिकार हो या उनके हाथ में ऐसी कोई बात हो कि जो कांस्टीट्यूएन्सी बनाने में या ८६ सीटों के कम करने के संबंध में उनका हाथ हो तो आखिर वह भी राजनैतिक दल के नेता है, तो फिर प्रजातंत्र के लिये एक खतरे की बात हो सकती है । यह जहां एक तरफ बहुत अच्छा लगा वहां दूसरी तरफ खतरे की बात भी दिखाई दी और जो थोड़ी मनुष्य में कमजोरी हो सकती है उस कमजोरी से माननीय मुख्य मंत्री जी को भी मैं बाहर नहीं रखता हूं। इसलिये इससे खतरा दिखाई देता है ।

दूसरी बात यह कि दूसरे मुल्कों के बारे में भी मैं माननीय अध्यक्ष महोदय उदाहरण रखना चाहता हूं आप के सन्मुख। अमेरिका में १३,१२,१५,००० की आबादी है और ४३५ सदस्यों की कांग्रेस हैं। इंगलैंड में ४,६२,१३,००० की आबादी है ६४० सदस्यों की पार्लियामेंट है । इटली में ४,४५,३७,००० की आबादी है और ५३५ सदस्यों की पार्लि-यामेंट है। हमारे देश की जो पार्लियामेंट है आज वह ऐसी पार्लियामेंट नहीं है कि बहुत बड़ी कही जाय । इतना बड़ा मुल्क है.....

माल मंत्री (श्री चरण सिंह)—तो इस हिसाब से ४,००० की होनी चाहिये ।

श्री गेंदा सिंह—मैं यह तो नहीं कहता कि ४,००० की कर दी जाय, लेकिन मैं यह कह रहा हूं कि जो इस वक्त की सीमा निर्वाचन क्षेत्र की है उसके ऊपर न ले जाया जाय,यह मैंने निवेदन किया जब दूसरें मुल्कों की हम नक़ल करते हैं । तो अगर इस बात में भी थोड़ा नकल कर लें तो बुरा न होगा।

[श्री गेंदा सिंह]

कुछ और भी बातें कही गयीं, जैसे कि हम लोग एक ही मौके पर दूसरे तरह की अपनी बातें कह लेते हैं। इस समय तो मैं समझता हूं कि कोई किसी दल या अपने दल की बात में नहीं कह रहा हूं। माननीय नेगी जी ने विधान परिषद में न रहने का उलाहना दिया है मैं बार-बार स्वीकार करता हूं और आज भी कहता हूं कि हम विधान सभा में होते तो इस तरह का रद्दी विधान नहीं बनता। तो मैं उनकी इस दलील को मानता हूं और इस दलील को देकर बार-बार उलाहना देना कहां तक मुनासिब है ? कोई कारण थे कि न हम नहीं थे और हो सकता है कि कभी विधान बनने का मौक़ा आवे तो उनकी इच्छा के विरुद्ध भी हम विधान बना कर देश के कल्याण का रास्ता ढूंढेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि कुछ लोगों को कम आबादी की जो पहाड़ों की है उस पर शिकायत है। कहा गया कि हमारी संख्या कम हो जायगी। मैं समझता हूं कि अगर पहाड़ में आबादी की कमी है तो मैं ऐसे क्षेत्र से आता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां आबादी घनी होने की वजह से हम लोग तबाह होते जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार, जो इस समय मौजूद है उसने कुछ व्यवस्था की है कि कुछ लोगों को बलिया, देवरिया, गाजीपुर से किछा की तरफ भेजा जाय और हम कहते हैं कि इस कमी को हम पूरा करने की भरपूर कोशिश करेंगे। अपनी ड्यूटी और फ़र्ज़ अदा करने में हम कुछ उठा नहीं रखेंगे जिसमें कम आबादी की शिकायत उनको न होने पावे। और अन्त में मैं यह बात कहना चाहता हूं कि यह ऊपर एक जो सीमा है उस सीमा को तो बिलकुल निश्चित कर देना चाहिये कि इससे आगे हम निर्वाचन क्षेत्र नहीं बनायेंगे। इतने लोगों का ही निर्वाचन क्षेत्र होना चाहिये और इसके लिये मेरी यह निश्चित राय है कि साढ़े सात लाख से ऊपर नहीं होनी चाहिये। साढ़े सात लाख से ऊपर का निर्वाचन क्षेत्र नहीं होना चाहिये और उसी के साथ अगर यह मालूम होता हो कि पार्लियामेंट बढ़ जायगी क्योंकि हमारी जनसंख्या बढ़ती जा रही है जैसा कि नेगी जी ने कहा कि वह पार्लियामेंट नहीं रह कर कुछ दूसरी चीज हो जायगी, तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि साढ़े छः लाख अगर संख्या नीचे की रख दी जाय तो पार्लियामेंट बिलकुल पार्लियामेंट की तरह रहेगी और वाकई अगर हम लोग उतनी तेजी करते हैं उधर अपनी पार्टी के बढ़ाने की तो आखिर पार्लियामेंट भी तो उसी की रिप्रजेंटेटिव बांडी है। वह भी वैसे ही रहे तो क्या हर्ज है। जो हमारी सारी जनता है, जो निर्वाचक हैं उन निर्वाचकों से अपने को हमें अलग न समझना चाहिये यह मेरी दरख्वास्त है उनसे इस पर वे विचार करेंगे। उधर से यह कहते हैं कि हम पार्टी की बात करते हैं और हम ऐसी बात करते हैं जिसको आप नापसन्द करते हैं तो हम यह कहते हैं कि इस वक्त मैं कतई पार्टी की बात नहीं कह रहा हूं, कोई ऐसी समाजवादी पार्टी की बात नहीं कह रहा हूं जिसको आप पसन्द न करते हों। एक फैसला चूंकि पार्लियामेंट ने ले लिया है इसलिये उस फैसले से हम अपने को बांध लें यह मुनासिब नहीं मालूम होता। हम पार्लियामेंट का सम्मान करते हैं, वह हमारी पार्लियामेंट है, लेकिन सम्मान करते हुए भी हमारी सही राय है वह हमको जरूर देनी चाहिये। अन्त में मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस मौके पर वह बिलकुल इसी दृष्टि से विचार करें। ८६ हमारी जो सीटें हैं वह कम न हों और अगर कम होने की जरूरत हो तो हम उसके लिये भी राजी हों, लेकिन ऐसा करने की जरूरत नहीं है। अगर यह साढ़े छः लाख की लिमिट नीचे की वह करा सकें और साढ़े सात लाख की ऊपर की करा सकें तो मैं समझता हूं कि एक बेहतर व्यवस्था पैदा होगी और सब की शिकायत रफा हो जायगी।

श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)—मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि प्रश्न उपस्थित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—यह प्रस्ताव जो कि यहां पर सदन के सामने पेश किया गया यह तो एक बड़ा सीधा सा प्रस्ताव है । इसमें कोई बहुत ज्यादा लोगों में उत्तेजना की गुंजाइश नहीं है मगर हमारा जो सदन है उसमें सजीवता है इस कारण साधारण प्रश्नों में भी एक महत्व आ सकता है । जो इस संबंध में श्री गैंदा सिंह जी ने कहा, वह तो अब हैं नहीं, मगर उन्होंने कहा था, माफ कीजिये, वह हैं, पीछे बैठ गये हैं, उन्होंने इस बात की शिकायत की कि मैंने नारायण दत्त जी के संशोधन के बारे में कहा कि आप इसको मानते हैं, तीसरे हिस्से को अगर आप देखेंगे तो दोनों संशोधनों में भेद था । नारायण दत्त जी का संशोधन जो कि विधेयक वहां पारित हुआ है उस पर कोई दस्तन्दाजी नहीं करता, जो सिर्फ उसका इंट्रोडक्टरी क्लाज है उसको कहता था कि न रखा जाय । उसके बारे में तो यह मेरा काम नहीं है और मुझे अधिकार भी नहीं है कि मैं यह कहूं कि कोई चीज आर्डर में है या नहीं है, मगर जो आखिरी अंश है जो कि मदनमोहन जी ने कहा था वह तो इस बात को कहता था कि जो बिल पास हुआ है , उसके अन्दर जो बात हुई है उसमें परिवर्तन किया जाय । नारायण दत्त जी का जो संशोधन था वह बिल को, जैसा कि वह पास हुआ उसको स्वीकार करता था, लिहाजा दोनों में अन्तर है । हम नारायण दत्त जी के संशोधन को मानते या न मानते या विरोध करते यह दूसरी बात है मगर वह आर्डर का सवाल इसमें पैदा नहीं होता और मदन मोहन जी के संशोधन में पैदा होता है चूंकि वह विधेयक के परिवर्तन के रूप में होता । इसलिये उन्हें इसमें कोई युक्ति के असंगत होने की बात नहीं मालूम होनी चाहिये और मैं आशा करता हूं कि वे अब इन दो बातों के भेद को स्वीकार करेंगे ।

दूसरी बात बालेन्दुशाह जी ने यह कही कि वे तो चाहते थे कि नारायण दत्त जी की बात मानी जाय मगर उसमें अन्तर यह है कि हमारे सदन के सामने साधारणतया कोई अधिकार नहीं है कि जो विषय पार्लियामेंट के हैं उनको यहां लावें, बल्कि अगर हम यहां ऐसा कोई नियम लावें, कोई प्रस्ताव लावें कि पार्लियामेंट के पास किये हुए किसी कानून को यह सदन पास करे तो बेमानी बात मालूम होती है । आखिर क्या ग़रज है कि इसको पार्लियामेंट के पास किये हुए किसी बिल के यहां लाने के बारे में कोई कारण होने चाहिये कि क्यों हम ऐसा करते हैं । इसलिये उस दीबाचे में देना आवश्यक था कि चूंकि विधान में ऐसा नियम है ३६८ के मुताबिक कि यह विधानसभा इसके बारे में विचार करे इसे अंगीकार करे या अस्वीकर दे । इसलिये इसका यहां पर उल्लेख करना आवश्यक था और इसलिये यह रखा गया ।

जो मदन मोहन उपाध्याय जी ने अपने विचार प्रकट किये, उनसे मेरी सहानुभूत है । मैं भी खुद यह समझता हूं कि जहां विस्तार अधिक हो और संख्या कम हो वहां उसके विस्तार का भी ध्यान रखना चाहिये और संख्या और विस्तार दोनों को सामने रख कर जो कि निर्वाचन क्षेत्र कायम हो, उसके हद हदूद को क़ायम करना चाहिये । मगर यह बात भी जो इन निर्वाचन क्षेत्रों को बनावेंगे उनके अधिकार में है । यह बात यहां कही गयी कि मैंने यह आश्वासन दिया है कि ८६ से कम हमारी संख्या नहीं होगी, लेकिन जैसा मैंने बताया मुझे आश्वासन देने का कोई अधिकार नहीं है मैंने आश्वासन दिया भी नहीं है । मैंने कहा कि जो पहले बिल पेश हुआ था उसमें यह था कि कम से कम साढ़े छः लाख हों और ज्यादा से ज्यादा साढ़े आठ लाख हों । साढ़े आठ लाख में हमारी संख्या ८६ से ८४ होती थी परन्तु जो ऊपर की लिमिट थी जब वह निकाल दी गयी तो यह संभावना है कि हमारी संख्या ८६ की ८६ क़ायम रहे जो कि उसमें कम हो जाती थी । अब यह संभावना कि हमारे ८६ क़ायम रहें, मगर मैंने सिर्फ संभावना बतलाई, कोई आश्वासन देने का मुझे अधिकार नहीं । मैं जानता नहीं कि कौन इसको निश्चय करेंगे मगर मैं यह समझता हूं कि जो कुछ परिवर्तन हुआ है उसके फलस्वरूप मैं आशा करता हूं कि वह ८६ कम से कम क़ायम रह सकेंगे, अगर बढ़ावें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं ।

जहां तक और जो यहां दलीलें दी गयीं वे वास्तव में बहुत दूर की थीं । राजनारायण जी की बातें बहुत गहरी थीं । मैं तो साधारण सी सीधी बातें इसके बारे में पहले कह

[श्री गोविन्द वल्लभ पन्त]

रहा था और वही होता भी हैं। जहां तक अपर हाउस की बात है कि अपर हाउस बिलकुल बेकार है, या नहीं है दूसरे सदन के लिये हमारा कहना बहुत उपयुक्त सा नहीं लगता। हम यह कहें कि हम ही सब कुछ जानने और करने वाले हैं, जो हमारे बीच में नहीं हैं वे सब बेकार हैं, वे कुछ जानते नहीं, उनको तो अलग फेंक देना चाहिये, यह जरा बहुत अच्छा नहीं मालूम होता।

श्री राजनारायण—वे ही यहां आ जायं।

श्री गोविन्द वलभ पन्त—जो यहां न आयें वे कहीं न रहें यह भी बहुत उचित नहीं है। जो यहां न आयें उनके लिये भी तो जगह होनी चाहिये आखिर हम तो यहां थोड़े ही हैं, ४३१ और बाहर ६ करोड़ ३२ लाख में सभी लोग हैं। इसलिये जो हम यहां हैं वे यह समझें कि बाहर जो लोग है वे कुछ हैं ही नहीं तो यह भी उचित नहीं है। उन्हीं के आधार पर हम यहां पर हैं और जो कोई दूसरी जगह हैं वे भी कुछ समझ रखते हैं यह मान लें तो इसमें कोई हानि नहीं है। परन्तु यह सब होने पर भी हमारे विधान में गुंजायश है कि अगर अपर हाउस को न रखना चाहें तो न रखें। मगर यह समझना कि हम ही सब कुछ कर लेंगे, वैसे तो दृढ़ता अच्छी होती है लेकिन बाज वक्त उतनी दूर तक जाना परम आवश्यक भी नहीं होता।

श्री राजनारायण—तो गांधी जी का भी यह समझना ग़लती थी।

श्री गोविन्दवल्लभ पन्त—मैं आप के वचनों की क़द्र कम नहीं कर रहा हूं। जहां तक गांधी जी की बात है, मैं बहुत छोटी मोटी बातों में उनका नाम खींचना नहीं चाहता गांधी जी ऐसे भी थे जो यह भी कह सकते थे कि मैंने हिमालियन ब्लंडर्स कीं। किसी दूसरे में अपने ऊपर इतना भरोसा नहीं होता जो यह कह दे कि मैंने हिमालियन ब्लंडर्स कीं। तो गांधी जी के मतलब को हम सब, मैं समझता हूं, कम श्रद्धा या आदर से नहीं देखते। परन्तु छोटी-छोटी बातों में उनका नाम खींचना परमावश्यक नहीं। जो दलील का सार है या उसके बारे में जो कोई उसके समर्थन में बातें कही जायं वह राजनारायण जी का कहना भी हमारे लिये कम मूल्य नहीं रखता यदि उसमें सार और तत्व हो, न हो या हमें न दीखे तो दूसरी बात है। मैं समझता हूं कि जहां तक अपना खर्चा कम करने की बात है तो अपना खर्चा तो हर एक कम कर ही सकता है। मैं वेतन न लूं तो मुझे कोई रोकने वाला नहीं है। मैं लेता हूं तो मेरी जिम्मेदारी है। इस सदन के कुछ सदस्य ऐसे भी हैं जो उनका जो वेतन होता है उससे कम लेते हैं और भी अगर न लेना चाहें तो खर्चा कम कर सकते हैं। तो मजबूरी यह नहीं है कि हरएक को लेना ही पड़ेगा। हां, मजबूरी यह है कि जितना मिलता है उससे ज्यादा नहीं मिल सकता। लिहाज़ा अगर किसी को ज्यादा लगता हो तो उसको कम करने का अधिकार हरएक को हममें से है। इसलिये खर्चे का कोई ऐसा सवाल नहीं है। अगर १०,२०,५० ज्यादा या कम हों तो खर्चे का बहुत ज्यादा सवाल नहीं होता। मगर सवाल यह होता है कि अगर पार्लियामेंट को अपना काम सोच विचार कर करना है और इस ढंग से करना है कि जिसमें कि समय के भीतर काम भी हो जाय और विचार भी लोगों के मालूम हो जायं तो क्या ५०० से ज्यादा बड़ी पार्लियामेंट होने से देश का हित अधिक होगा या ५०० की संख्या पर्याप्त है। इस तरीक़े पर उसे देखने की जरूरत है। कोई संसद जो ५०० सदस्यों का हो उसमें सभी अच्छे से अच्छे विचारों को रखने की कोई गुंजाइश होगी। उसमें देश के सभी मनुष्य जो ऐसे हों जिनका नेतृत्व हो, विचार शील हों, जिनको कोई बातें रखनी हों उन सबके आने की गुंजायश होती है। और जहां पर आर्गेनाइज्ड पार्टी होती हैं वहां तो ५०० की संख्या पर्याप्त से भी अधिक होती है। जितना बड़ा निर्वाचन क्षेत्र होगा उतना ही प्रतिनिधियों के लिये उनके बीच में काम उतनी ही लग्न से करने में कुछ अड़चनें आ सकती हैं लेकिन उसकी अलग अलग

देशों की स्थिति है। जहां पर जांतिपांति वगैरा की बात वहां निर्वाचन क्षेत्र बड़ा हो तो बुरा नहीं है क्योंकि बड़ा होने से छोटी बातों पर आदमियों का ध्यान नहीं जाता और राष्ट्रीय विचारों को हम देख सकें इसकी गुंजाइश ज्यादा होती है। जब हम पार्लियामेंट के लिये चुनाव करते हैं तो निर्वाचन क्षेत्र ऐसा होना चाहिये जिसमें राष्ट्रीय बातों पर ही विचार हो और छोटी मोटी बातों पर विचार न हो। इसके लिये यदि निर्वाचन क्षेत्र कुछ बड़ा हो तो कोई हानि नहीं है। इससे कोई बड़ा अंतर नहीं होगा। अगर साढ़े सात लाख हैं उसमें अगर दस बीस हजार बढ़ जायं तो कोई बड़ा अंतर नहीं आयेगा। दो प्रतिशत या चार प्रतिशत के बढ़ जाने से कोई बड़ा अंतर नहीं आयेगा। लेकिन विधान में हर वक्त परिवर्तन की आवश्यकता न हो। इसलिये ऐसे नियम बनाना अच्छा है जिनकी आवश्यकता है उनके मुताबिक किया जायं। जितनी संख्या है उससे तो कम होगी नहीं।

श्री राजनारायण—वह तो वोटर्स का हो सकता है, सीट्स का हो सकता है।

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—मैं समझा नहीं। बहुत सी बातें हो सकती हैं। लेकिन जो बात हमारे सामने इस समय है वह हो रही हैं। जब कोई और बातें होंगी तो उन पर विचार किया जायगा। इस समय डेमोक्रेसी की बात कही गई सब से पार्लियामेंट में जिसका कि सबको विश्वास है और जिसमें जनता के प्रतिनिधि हैं, वहां से पास हुआ फिर हमारे यहां आया, नहीं तो पार्लियामेंट में पास हो चुका था वहां हो जाता। यहां क्यों आता। लेकिन यह तो डेमोक्रेसी का आदर किया जाता है कि पार्लियामेंट में पास हो जाने के बाद व्यवस्थापिका सभा में लाया जाय। यह तो डेमोक्रेसी के लिये जो श्रद्धा है उसका द्योतक है। उसके विपरीत बात नहीं पड़ती है। डेमोक्रेसी अच्छी चीज है। लेकिन बाज वक्त एक बात कही जाती है और बाज वक्त दूसरी बात कही जाती है तो यह बात अच्छी नहीं है। यह नहीं कहा गया कि जितने लोग रखे गये हैं उनकी संख्या जरुरत से कम है बल्कि ऐसी आवाज सुनने में आई है कि कांग्रेस वालों ने ज्यादा संख्या रख दी है ताकि वह लोग ऐसी संस्थाओं में जा सकें।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—अपनी आवाज सुनी होगी।

श्री गोविन्दवल्लभ पन्त—मैंने अपनी आवाज सुनी होगी औरों की भी सुन सकता हूं। यह भी हो सकता है कि उनको मालूम होता हों। अब दो मत नहीं हैं और सब समझते हैं कि जो संख्या हमने रखी है वह कम रखी है यानी कांग्रेस ने जो संख्या निर्धारित की है वह ऐसी थी कि अगर सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य यदि बहुमत रखते तो इसको बढ़ाते। कम से कम इस बारे में कोई आलोचना कांग्रेस के विरुद्ध संख्या अधिक रखने की नहीं हो सकी और न भविष्य में होगी और जो बातें कही गई हैं वह मैं समझता हूं कि कोई ऐसी बात नहीं है जहां तक यह विधेयक हमारे सामने आया है इसको तो पार्लियामेंट ने पास किया है और विशेषकर इससे पार्लियामेंट ही संबंध रखता है। और पार्लियामेंट में हमारे ८६ मेम्बर मौजूद हैं, हाउस आफ प्यूपिल में और अपर हाउस में भी मौजूद हैं हमारे प्रतिनिधियों ने इसे स्वीकार किया है और वह ज्यादा ध्यान रखते होंगे कि वहां क्या होना चाहिये, क्या नहीं होना चाहिये, लिहाजा जो बात उन्होंने स्वीकार की है उसको हमें भी स्वीकार कर लेना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि—

"क्योंकि संसद् के दोनों सदनों ने कांस्टीटयूशन (सेकेन्ड अमेंडमेंट) बिल, १९५२ को, जिससे संसद् में राज्यों के प्रतिनिधित्व से संबंधित भारत संविधान के अनुच्छेद ८१ में संशोधन किया जाना है, पारित कर दिया है :

[श्री अध्यक्ष]

और क्योंकि संविधान के अनुच्छेद ३६८ के प्रतिबन्ध के अनुसार यह आवश्यक है कि यदि ऐसा कोई संशोधन करना हो जिससे संसद् में राज्यों के प्रतिनिधित्व में कोई परिवर्तन हो तो उसे राष्ट्रपति के समक्ष अनुमति के लिये उपस्थित किये जाने के पहले प्रथम अनुसूची के भाग (क) और (ख) में उल्लिखित राज्यों में से कम से कम आधों के विधान-मंडलों से पारित संकल्पों द्वारा उसका अनुसमर्थन हो :

यह सदन संसद् के दोनों सदनों द्वारा पारित कांस्टीट्यूशन (सेकेन्ड अमेंडमेंट) बिल, १९५२ द्वारा संविधान के अनुच्छेद ८१ में प्रस्तावित संशोधन का अनुसमर्थन करता है।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(इस समय १ बजकर २५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर ३० मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हरगोविन्द पन्त, की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

*उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, १९५२

खन्ड ३ (क्रमागत)

श्री उपाध्यक्ष—उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, १९५२ पर जैसा कि वह प्रवर समिति द्वारा संशोधित हुआ है, विचार पुनः जारी होगा।

श्री कमला सिंह (जिला गाजीपुर)—श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, भूल अधिनियम की धारा ९ में यह दिया हुआ है कि "किसी आस्थान में स्थित ऐसे सब निजी कुएं, जो खातों, बाग अथवा आबादी में हों या आबादी के पेड़ और सब इमारतें, जो किसी मध्यवर्ती या काश्तकार या दूसरे व्यक्ति की हैं या उसके उपयोग में हों, चाहे वह गांव में रहता हो या न रहता हो, मध्यवर्ती काश्तकार या अन्य व्यक्ति के बने रहेंगे"।

तो जहां तक इस जमींदारी विधेयक का संबंध है पहले जिस वक्त यह जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम पास हुआ था उस वक्त जितने जमीदारान या मध्यवर्ती थे उनके निजी जितने कुएं थे उनमें अधिकार दे दिया गया था और साथ ही साथ इतना ही नहीं बल्कि धारा ९ के अन्तर्गत जो निजी कुएं थे उनका बन्दोबस्त भी उनके साथ कर दिया गया था और इससे जितने बचे हुये कुएं थे सार्वजनिक हित की दृष्टि से उनको ११७ के मातहत गांव सभा को दे दिया गया था और इसके इंतजाम करने का अधिकार भी उनको दे दिया गया था। अब ऐसी स्थिति में यह जो संशोधन इस सदन के सामने आया है उसमें यह देखना है कि आया यह संशोधन किया जा सकता है या नहीं। इसकी बाबत में पहले ला प्वाइंट इस सदन के सामने रखना चाहता हूं और यह बतलाना चाहता हूं कि इस वक्त अब यह जरूरी नहीं है कि निजी कुओं के अलावा जो और कुएं हैं उनमें मध्यवर्ती को किसी किस्म का अधिकार देने के मुताल्लिक जहां तक व्यक्तिगत सम्पति का महत्व है इसके मुताल्लिक कल काफी विवाद हो चुका है। उसके बारे में मैं कुछ जिक्र करना नहीं चाहता लेकिन किसी न किसी तरीके से यह कुएं जिनका अधिकार आप मध्यवर्ती को देने जा रहे हैं उसके लिये कम्पन्सेशन का कोई सवाल नहीं है क्योंकि यह ग्राम सभा को पहले से ही हस्तां-

---

* प्रवर समिति द्वारा संशोधित विधेयक २४ दिसम्बर, १९५२ की कार्यवाही में छपा है।

†७ जनवरी, १९५३ की कार्यवाही में छपा है।

तरित हो चुके हैं। यह सब जानते हैं कि पूर्वी जिले जितने हैं वहां पर नलकूप और नहर वगैरा की कोई योजना नहीं है। वहां की आबपाशी जितनी है वह कुओं पर ही निर्भर है और वहां कुएं ही ज्यादा से ज्यादा तादात में बढ़ायें जा रहे हैं और इसीलिये वहां कुओं को प्रोत्साहन देने के लिये सरकार की ओर से आयोजन किया गया है जिसके अनुसार तकावी के तौर पर लोगों को रुपया दिया जाता है। ऐसे कुएं जिनके संबंध में सरकार यह अधिकार देने जा रही है इस में मध्यवर्तियों के कुंए भी आ सकते हैं और ऐसे काश्तकारों के कुयं भी इसमें आ सकते हैं जिन्होंने अपने परिश्रम से वह कुयें बनाये हैं जिस तरह से कि धारा ९ में काश्तकार शब्द मध्यवर्ती के साथ इस्तेमाल किया गया है। इतना ही नहीं बल्कि एक चीज और है और वह यह है कि यह जितने कुएं हैं वह सार्वजनिक हित की चीज हैं और इस लिये भी वह सरकार के ही पास होने चाहिये, इससे लाभ ही होगा, यह भी ठीक था कि वह गांव सभाओं की प्रापर्टी रहते औरजो आसानी से उनकी मरम्मत और उनका बोरिंग करा सकते थे। आज कोई भी काश्तकार कुएं के लिये तकावी के हेतु जाता है तो उसे तरह तरह से पटवारी, इंस्पेक्टर वगैरह को घूस आदि देना पड़ती है जो उसको पास कराते हैं बल्कि एक और दूसरी कठिनाई का सामना करना पड़ता है, वह केवल थोड़े से ही रुपये के लिये महीनो परेशान होते हैं फिर भी पता नहीं लगता कि तकावी मंजूर हुई या नहीं हुई। गांव के अन्दर अगर बोरिंग कराना है तो मशीन मंगवाने में बहुत ज्यादा रुपया खर्च होगा और साथ ही साथ ५० रुपया फीस भी देनी होगी परन्तु अगर गांव की ग्राम सभा को यह कुएं दिये जाते हैं तो ग्राम सभा सब के लिये एक साथ ही मशीन मंगा कर बोरिंग करा सकती है और मरम्मत भी आसानी से करा सकती है और कलेक्टर या पंचायत आफिसर के पास लिखकर वह सब प्रबंध करा सकती है और उसके लिये रुपया भी आसानी से मंजूर हो सकता है और उसको किसी तरह की दिक्कत नहीं हो सकती ।

दूसरे अगर आप उन कुओं को जमींदारों को देते हैं तो जो पहले के जमींदार थे वैसे वह अब नहीं रहे, उनके पास भी अब पैसे की कमी हो गई है और उसका नतीजा यह होगा कि उनके पास इतने फंड्स नहीं होंगे की वह उनकी मरम्मत और देख-रेख कर सकें अंत में होगा यह कि आपकी जो योजना कुएं बढ़ानें की है वह सफल नहीं होगी और जो कुएं हैं भी वह सब बेकार हो जायेंगे । साथ ही अगर आप उनको जमींदारों को देते हैं तो एक बात और है और वह यह है कि अगर किसी से उनकी दुश्मनी है या वह रंज मानते हैं तो वह उस आदमी को उनको उपयोग में न लाने देंगे और यह भी नतीजा हो सकता है कि जिस वक्त उनके पास पैसे की कमी होगी तो वह पानी लेने पर तरह तरह के टैक्स लगवायेंगे और कुछ लोग मजबूर होंगे और आबपाशी न करेंगे ऐसी सूरत में मैं प्रार्थना करूंगा कि इन कुओं में गांवसभा के अतिरिक्त किसी को भी किसी प्रकार का अधिकार न दिया जाय। साथ ही मैं एक ला प्वाइंट यह पेश करना चाहता हूं कि जितनी भी प्रापर्टी किसी को देना चाहें तो उसके तीन स्टेजेज विधेयक में दिये हुए हैं।

पहला यह है कि उनको आप देने का अधिकार दें कि उनको दिया जाय। दूसरा यह कि यह सब कुएं वगैरह दफा ९ से मध्यवर्ती के या काश्तकार के बने रहेंगे और तीसरा यह कि जो ग्राम सभायें हैं जिनको दफा ११७ के अन्दर आपने उनके प्रबंध करने का अधिकार दिया है उसे भी आपको खत्म करना होगा। इस बिल के अन्दर कहीं इस चीज का जिक्र नहीं है कि जिससे यह स्पष्ट हो सके कि यह कुएं जो इस विधेयक के अन्दर जमींदारों को दे रहे हैं उनका बन्दोबस्त किसी प्रकार से उनके साथ हो सकता है। बल्कि आप इस बिल की दफा चार को देखें तो उसमें दिया हुआ है कि मूल अधिनियम की धारा ९ में शब्द ऐसे सब निजी कुएं, जो खातों, बागों अथवा आबादी में हों या और शब्द "उन कुओं को" निकाल दिये जावें।

[श्री कमला सिंह]

आपकी आज्ञा से मैं इस धारा को पढ़ना चाहता हूं कि इस अमेंडमेंट के हो जाने पर क्या परिस्थिति होगी। यह इस प्रकार हो जायगा, किसी आस्थान में स्थित आबादी के पेड़, और सब इमारतें, जो किसी मध्यवर्ती या काश्तकार या दूसरे व्यक्ति की हैं या उसके उपभोग में हों, चाहे वह गांव में रहता हो या न रहता हो, मध्यवर्ती काश्तकार या अन्य व्यक्ति के, जैसी भी दशा हो, बने रहेंगे या उसके उपभोग में रहेंगे और सम्बद्ध क्षेत्र सहित इमारतों के स्थल के विषय में यह समझा जायगा कि उनका बन्दोबस्त राज्य सरकार ने उसके साथ ऐसे प्रतिबन्धों और शर्तों पर किया है, जो नियत किये जायं। तो इससे तो बड़ा अन्याय होगा और यह काश्तकारों के साथ परेशानी हो जायगी।

फिर धारा ११७ में यह दिया है कि धारा ४ में दिये हुए प्रकाशन के बाद सभी कुएं आदि जो मंडल में स्थित हों और इस अधिनियम के अधीन राज्य में निहित हो गये हों, उस मंडल के लिये स्थापित गांव समाज में निहित हो जावेंगे। तो जब तक आप इसमें भी संशोधन न करें उस समय तक आपको कोई हक नहीं है कि ऐसा इन्तजाम मध्यवर्ती के साथ किया जाय। ऐसी हालत में मैं अपने प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि हमारे माननीय मंत्री जी इसे मान लेंगे।

माल मंत्री के सभा सचिव (श्री द्वारका प्रसाद मौर्य)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं। आबादी के अन्दर कुएं जो कि मध्यवर्ती के थे वे पहले निहित नहीं हुएं थे और अब हम यह कहते हैं कि आबादी के अलावा भी मध्यवर्ती के अगर कुएं हैं, बंजर में पर्ती, में, तो वे भी राज्य सरकार में निहित नहीं होंगे। श्री कमला सिंह जी के संशोधन का आशय यह है कि आबादी के अन्दर के जो कुएं थे वह निहित नहीं हुए थे और उस सम्बन्ध में उनका संशोधन कुछ नहीं कहता। वे कहते हैं कि जो कुएं परती वगैरा के हम छोड़ना चाहते हैं वे न छोड़े जायं। हम यह जो संशोधन लाये हैं उसकी आवश्यकता हमें इसलिये पड़ी कि जो कुयें मध्यवर्ती के आबादी से बाहर हैं उनको निहित कर लेने से कोई लाभ मालूम नहीं होता। जो कुएं आबादी के बाहर सिंचाई के काम के होते हैं उनसे सिंचाई सब लोग करते हैं। उससे सिंचाई मध्यवर्ती भी करता है और जिन लोगों के खेत उसके आसपास होते हैं वे भी करते हैं। जिनके खेतों की आबपाशी जिस कुएं से होती है वह खसरे में भी दर्ज रहता है। आबपाशी का भी एक राइट होता है, उसपर उसको एक कानूनी अधिकार होता है। कहीं भी ऐसा देखने में नहीं आता कि आबपाशी में किसी ने कोई रुकावट की हो। मैं श्री कमला सिंह का ध्यान इस ओर दिलाता हूं कि आबादी के बाहर लोगों ने ट्यूब वेल्स भी लगा लिये हैं, १०-१० १५-१५ हजार रुपया लगा कर ट्यूब वेल्स बनवा लिये हैं, वे किसके अधिकार में रहेंगे? जहां तक सार्वजनिक कुओं का सवाल है वे गांव सभाओं में होंगे। जो कुएं पब्लिक फंड से बनवाये गये हैं या पब्लिक ने खुदवाये हैं वह निहित नहीं होते, हम तो जमींदार की चीज ले रहे हैं। पहले हमने बंजर के कुओं को भी निहित करने का विधान रक्खा था लेकिन हम देखते हैं कि बंजर के कुयें निहित करने में लाभ नहीं है। अगर ये कुएं जमींदार लोग अपनी सम्पत्ति समझते हैं तो उनको ठीक हालत में भी रखेंगे लेकिन अगर गांव सभा या गांव समाज को दिये जायेंगे तो उनकी देखभाल ठीक नहीं हो सकेगी। यह देखकर ही सरकार ने यह निश्चय किया कि ऐसे कुएं जो आबादी के बाहर हैं मध्यवर्ती की मिल्कियत हैं, उनको निहित न किया जाय, माननीय सदस्य ने जो विरोध में बातें कहीं उनसे ऐसा लगता है कि उन्होंने ऐसा भ्रमवश किया। यह चीज तो स्वयं सिद्ध सी है कि इस प्रकार के कुओं को रखने में कोई लाभ नहीं है। इसलिये यह जो संशोधन रखा गया है वह मुझे स्वीकार नहीं है।

श्री अवधेश प्रताप सिंह (जिला फैजाबाद)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय कमला सिंह जी के संशोधन के विरोध में बोलने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। श्रीमान्,

जी आज मुझे यह सुन कर आश्चर्य होता है कि जमींदार कुओं के लिये नजराना या लगान लेते हैं, या किसान को मजबूरन इस दशा में कर देंगे कि जब तक उनको आमदनी न हो वह सींचने न पायें। माननीय कमला सिंह जी भी इसी प्रांत के हैं और गाजीपुर के रहने वाले हैं, उनका जमींदारों से भी सरोकार रहा होगा तो क्या उनको ऐसा पता है कि किसी जमींदार ने पानी के लिये किसी को रोका हो? दुनियां में चाहे जो कुछ अन्याय जमींदार लोग करते रहे हैं लेकिन उन्होंने पानी के लिये किसी को नहीं रोका, हिन्दू मुसलमान दोनों ने। हिन्दुओं के यहां तो पानी दान करना बहुत ही श्रेयकर कार्य माना जाता है। अब रही, श्रीमन्, प्रीजुडिस होने की, जमींदारों के खिलाफ सोचने की बात। तो हर जगह की आमदनी या मुनाफोखोरी हमारे ही सर हो तब तो इसका कोई इलाज ही नहीं है। लेकिन माननीय सदस्य भी समझते होंगे कि आखिर जमींदार भी इंसान हैं, वे भी यह समझते होंगे कि ऐसी जगह जिससे और भी लोगों का फायदा होता हो तो उसको वे न रोकें। और श्रीमन्, ये कुएं जो हैं असलियत यह है कि हमीं लोगों के बनवाये हुए हैं, हमारे पूर्वजों ने ही बनवाये थे और उनकी हर तरह से देखभाल व मरम्मत करायी जाती थी। जिससे किसान भी लगान अदा कर सकते थे और पानी से सिंचाई भी करते थे। और जहां किसानों ने यह कहा कि यहां पानी की असुविधा है उस जगह जमींदार अपना फर्ज समझते थे कि पानी का उचित प्रबन्ध कर दें। श्रीमन्, इस प्रकार के संशोधन से मैं नहीं समझता हूं कि कहां तक समाजवादी सदस्य उससे फायदा उठा सकेंगे या जनता कहां तक उनके साथ जा सकती है। आज इस सदन में बैठ कर जो यह फर्मा रहे हैं कि जमींदार लोग वगैर कर लिये पानी नहीं देंगे मैं समझता हूं कि इससे कोई लाभ नहीं होगा और मुझे उम्मीद है कि वे अपने संशोधन को उठा लेंगे क्योंकि जमींदार इतने पतित नहीं हैं कि वे अपने कुओं से दूसरों को पानी न दें।

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय कमला सिंह जी ने जो संशोधन आपके सामने रखा है उसका समर्थन करना चाहता हूं। यह संशोधन सिर्फ इसलिये है कि जो कुएं सार्वजनिक थे उन्हें निजी संपत्ति न बनाया जाय। जैसा माननीय मौर्य जी ने समझाया है उससे हमारा बड़ा उपकार हुआ। जमींदारों के जरिये बंजर वगैरह में जो पुराने कुएं बने हुए हैं वे जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम के अन्तर्गत उनको नहीं दिये गये थे, अब उन्हें ये भी दिये जा रहे हैं। हमारा यह कहना है कि पहली मर्तबा दो ढाई वर्ष सोचने विचारने के बाद यह कानून बना था। इस संशोधन कानून को इतनी जल्दी पास कराने के बजाय और भी ज्यादा समझदारी से बनाया जाना चाहिये। आबादी, बाग और खेतों के अलावा पुरानें मध्यवर्तियों द्वारा बनाये कुएं तो पहिले ही से मौजूद थे। लेकिन उस समय ऐसा कोई निश्चय नहीं किया गया था। मैं मालूम पाता हूं कि मालम नहीं इसमें क्या कठिनाई पड़ी जिसकी वजह से अब उन कुओं को फिर पुराने मध्यवर्ती लोगों के हाथ में दिया जा रहा है। एक बात हो सकती है और वह सोची जा सकती है जैसा कि माननीय मौर्य जी ने कहा कि उन लोगों ने टयूबवेल्स लगाने में ही १०,१०, १५, १५ हजार रुपया खर्च कर दिया। इसका सीधा अर्थयह हुआ कि पुराने जमींदार लोगों ने वहां पर अपनी खेती की तरक्की के लिये ही टयूबवेल्स लगाये थे। हम भी इस बात को पसन्द करते यदि ऐसा कोई संशोधन माननीय मौर्य जी की तरफ से आया होता कि इस तरह की तरक्की के काम के लिये टयूबवेल्स लगाये गये हैं उन्हें पुराने मालिकों के पास रहने दिया जाय तो हम भी उस पर सोचते और उनका साथ देते। लेकिन बात यह नहीं है। जितने पुराने कुएं थे मैंने माना कि जितने पुराने कुएं थे जमींदारों के पूर्वजों ने बनवाये थे, इसलिय कि उनका गांवों में स्वार्थ था। गांवों में उनकी जमींदारी थी काश्तकार उनको लगान देते थे, काश्तकारों से मालूम नहीं कितनी कितनी तरह की रकम वे

[श्री गेंदा सिंह]

वसूल करते थे और उसके बदले में वे कुयें बनवा देते थे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय आज तो स्वार्थ न जमींदारों का उन काश्तकारों से रहा, न काश्तकारों का उन पुराने जमीदारों से रहा, दोनों का रिश्ता बदल गया है। आज की हालत में उन कुओं की क्या हालत होगी जिनके मालिक वह पाट्टी काश्त जमीदार माने जांय जिनका उन गावों से कोई सरोकार नहीं रह गया फिर उन कुओं को उनकी मिल्कियत बनाना इस वक्त मेरी समझ में बात नहीं आती कि यह कितनी बुद्धिमता की बात है। इन कुओं के अधिकार दे देने से एक बात हो सकती है कि जो पुराने मध्यवर्ती लोग थे वे इन पर अपनी मिल्कियत समझकर बेकार झगड़े में पड़ेंगे कि यह कुआं मेरा है जब कि वह उसकी मरम्मत भी नहीं हो सकेगी और उसका परिणाम यह होगा कि वे कुयें गिरेंगे और बर्बाद होंगे। ऐसी बात हो सकती है कि जहां पर पुराने मध्यवर्ती की खेती हो और वहां पर ऐसा कुआं हो उसका कुछ अर्थ है और टयूबवेल्स को देने की बात कही जाती तो यह समझ में आने वाली बातें थीं। लेकिन यहां तो आम कुओं की बात लाई गई है कि जितने कुयें बंजर या गांव के बाहर में बने थे वे सब उनकी मिल्कियत में रहने दिये जांयगे। यह बड़े झगड़े की बात है और इससे गांव के रिश्ते अच्छे नहीं होंगे बल्कि बिगड़ेंगे और माननीय अवधेश प्रताप सिंह जी जो यह समझते हैं कि उनका कोई लाभ इससे हो जायगा तो वह होने का नहीं है। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो पुराने मध्यवर्ती लोग हैं उनकी कोठियां पड़ी हुई हैं उनकी मरम्मत कराना तो कठिन ही है तो इन कुओं की जो कि १५, २० या ५० मील की दूरी पर पड़े हुये हैं उनकी ओर कौन देखेगा। एक पुरानी सम्पत्ति का मोह होता है और उसकी वजह से ही माननीय अवधेश प्रताप सिंह जी इस संशोधन का विरोध कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि माननीय अवधेश प्रताप सिंह जी ने जो यह कहा कि माननीय कमला सिंह जी अपने संशोधन को वापिस ले लें तो मैं उनसे कहता हूं कि वे अपने विरोध को वापस ले लें क्योंकि कोई लाभ नहीं है और बेकार का झगड़ा इससे बढ़ेगा। मैं माननीय राजस्व मंत्री जी और माननीय मौर्य जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह के कुओं पर अधिकार देने से अगर उत्पादन के बढ़ाने का काम या गांवों में रिश्ते अच्छा करने का काम होता तो जरूर हम उनका साथ देते लेकिन इस तरह की कोई बात नहीं है इसलिये माननीय कमला सिंह जी के इस संशोधन को स्वीकार करना चाहिये।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—माननीय उपाध्यक्ष, महोदय मैं आपके द्वारा सदन को बताना चाहता हूं कि मैं इस संशोधन का जो हाउस, के सामने उपस्थित है विरोध करता हूं। मैंने श्री गेंदा सिंह जी, कमला सिंह जी, और अवधेश प्रताप सिंह जी को सुना। मैं जानता हूं कि जमींदारी खत्म हुई लेकिन अबालिशन के माने यह नहीं हैं कि कुयें भी ऐबालिश हो गये या किसी की निजी सम्पत्ति भी अबालिश कर दी गई। माननीय श्री गेंदा सिंह जी ने भी अपने कुयें बनवाये होंगे। आज वह क्या करते हैं वह हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं। हर आदमी जो गांव में रहता है वह जानता है कि क्या बात है। कुयें जिनकी जमीन में हैं उनकी जिम्मेदारी है और वह कोशिश करते हैं कि कुछ रुपये तकाबी हासिल करके उनकी मरम्मत करा लेंगे वैसे जो चीजें पंचायती हो जाती हैं उनकी कोई पुरसा हाल नहीं है। इसके अतिरिक्त जैसा माननीय अवधेश प्रताप सिंह जी ने कहा हिन्दू संस्कृति में इसका नियम है कि पानी के लिये किसी को रोकता नहीं है। जो हिन्दू या मुसलमानों कुयें बनवाता है वह किसी आदमी को पानी के लिये तरसाता नहीं है। शाहजहां ने अपने पुत्र से कहा था :—

'ऐ पिसरे तू तो हे मुसलमानी,
जिन्दारां आब तरसानी ॥

तो किसी मुसलमान ने भी कभी कुयें से पानी लेने के लिये प्रतिबन्ध नहीं लगाया। तो हमारी संस्कृति में पानी के लिये कहीं पर प्रतिबन्ध नहीं है। हम लोग भी गांवों में रहते हैं तो कम से कम जहां हमने इतनी जमींदारी खत्म कर दी है वहां अगर कुआं रह ही जाय तो मैं

समझता हूं कि कोई बड़ा गुनाह नहीं है और बल्कि फाइव ईयर प्लान के बमूजिब मुल्क की तरक्की में एकाध कुआं बन जाय तो उसको वहां के लोग दुरुस्त करा लेंगे। गांव वाले सहायता कर देंगे तो यह चीज बनी रहेगी। अगर एक आदमी कुयें का मालिक है तो जो उसको बनवाता है वह उसकी अवश्य रक्षा करेगा। उसके जवाल को नहीं देख सकता। मैं अब कमला सिंह जी से दरख्वास्त करूंगा कि कम से कम इस संशोधन को वापस कर लें और उन बेचारे जमींदारों के पास ये कुयें रहने दें। हमारी सरकार ने जमींदारी खत्म की है। कोई यह बहुत बड़ा अन्याय नहीं होगा अगर गवर्नमेंट उनको जीवित रखना चाहती है। वे लोग भी भारत के नागरिक हैं, जैसा कि अपोजीशन से हमेशा कहा जाता है कि हम जमींदार होने की हैसियत से पापी नहीं हैं। इस देश के नागरिक हैं और प्रत्येक नागरिक को अधिकार है कि वह शान्ति और सुखपूर्वक इस देश में अपना जीवन व्यतीत कर सके। तो थोड़ी सी सम्पत्ति कुयें के तौर पर हम दे देते हैं तो कोई अनुचित बात नहीं है। हमको माडरेट गवर्नमेंट रन करनी है। यह नहीं है कि हम अपनी गवर्नमेंट को ढीली ढाली रखें। हम प्राइवेट गवर्नमेंट नहीं रन कर रहे हैं। हमको छोटे बड़े सबको साथ लेकर चलना है। हमारे साथ भी जमींदार बैठे हुये हैं। हमको छोटे बड़े सब ने वोट दिये हैं। यह दूसरी बात है कि कुछ उधर पहुंच गये हैं। लेकिन मैजारिटी में हमारे साथ बैठे हुये हैं। यह नहीं है कि जमींदार हमारे साथी नहीं हैं। तो मैं कहता हूं कि कुयें का जो प्रश्न है हिन्दू संस्कृति के अनुसार उनको रखने का अधिकार है और सरकार ने कोई अनुचित काम नहीं उठाया है। सरकार ने बिल्कुल उचित किया है कि थोड़ा बहुत हक उनको भी इज्जत और आबरू के नाते दिया जाय ताकि उनकी स्प्रिट न मर जाय। (एक आवाज) आपने तो परसों कहा था कि 'पिपुल्स' का अर्थ ही नहीं समझते हैं शिवनारायण जी। मैं 'पिपुल्स' का अर्थ खूब समझता हूं उपाध्याय जी, तो मैं भाई कमला सिंह जी से दरख्वास्त करूंगा कि कम से कम इस संशोधन को वापस कर लें।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे साथी कमला सिंह जी ने जो संशोधन उपस्थित किया है उसका मैं समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। उपाध्यक्ष महोदय, यह संशोधन इस निगाह से देखता हूं जिस निगाह से कोई गांव वाला देख सकता है। मैं गांव में रहता हूं। खेती बाड़ी का काम होता है। खास कर पूर्वी जिले में जहां पर पानी का बिल्कुल अभाव सा है। उस तरफ देखता हूं तो यह संशोधन बहुत ही महत्वपूर्ण है और जो धारा माननीय मौर्य जी की ओर से निकालने का विधेयक पेश हुआ है मैं उसको बहुत खतरनाक समझता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मौर्य जी मैं समझता हूं कि हमसे ज्यादा खेती बारी के मामले में जानकारी रखते होंगे, मुझे मालूम नहीं है कि मौर्य जी इसमें कहां तक कामयाब हुए हैं। उन्होंने कहा कि आबादी के अन्दर जो कुयें हैं उनसे सिंचाई का कोई काम नहीं होता।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—आन ए प्वाइंट आफ परसनल एक्सप्लेनेशन। मैंने यह नहीं कहा कि आबादी के कुयें जो हैं उनसे सिंचाई नहीं होती।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—आबादी के कुओं से तो सबसे अधिक सिंचाई होती है और मैं गांवों में अधिकतर यही देखता हूं कि कुओं के पास साग सब्जी की पैदावार होती है और आबादी में रहने वाले कुओं से ही उसकी सिंचाई होती है।

यह तर्क देना कि पर्ती जमीनों पर जो कुएं हैं यदि मध्यवर्तियों ने उन्हें बनाया है तो उन्हें वापस दे देना चाहिए, उपाध्यक्ष महोदय, प्रति वर्ष देखा जाता है कि गांवों में नये कुएं बनते हैं। मध्यवर्तियों ने कैसे कुएं बनाये हैं यह भी हम देखते हैं। हम देखते हैं कि गांव का रहने वाला किसान, मजदूर अगर अपने सर पर माटी न ढोयें,

[श्री राम सुन्दर पांडेय]

चढ़ाई न किये हों, तो कुयें नहीं बन सकते थे। गांव की सारी जनता जिस दिन चढ़ाई होती है कुयें की, हमारे पूर्वी जिलों में सारे किसान और मजदूरों का काम धाम बन्द हो जाता है। हर परिवार का एक एक आदमी कुयें की चढ़ाई करने के लिये जाता है, निःशुल्क जाता है। कोई मजदूरी नहीं लेता है, सिर्फ नाश्ता वग़ैरा अगर ताकत रहती है उस मालिक के पास तो दे देता है नहीं तो दिन भर किसान मजदूर वहां निःशुल्क काम करते हैं और कुआं बन कर तैयार हो जाता है और मैं देखता हूं कि इस तरह के कुओं से काफी खेतों की सिंचाई हो जाती है। मैं आजमगढ़ की बात कहना चाहता हूं कि वहां ४९,८५५ कुयें हैं और उनसे करीब ४ लाख एकड़ की सिंचाई होती है और यदि यह संशोधन मंजूर नहीं किया गया तो इस विधेयक से वह सिंचाई नहीं हो पायेगी।

हमारे माननीय सदस्य अवधेश प्रताप सिंह जी ने कहा कि कौन ऐसा जमींदार होगा जो कुयें से पानी नहीं भरने देगा। माननीय शिवनारायण जी इसको जानते हैं या जानकर के छिपाते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा दावा है कि हरिजन आबादी के बाहर के कुयें से पानी नहीं पीने पाता। आज भी गड़ही से पानी पीता है और पचासों सबूत हैं मेरे पास। यदि माननीय राजस्व मंत्री जी चाहें तो मैं पेश कर सकता हूं। इसके अतिरिक्त मैं यह कहना चाहता हूं कि इस विधेयक से ख़तरा है और विशेषकर पूर्वी जिलों में ख़तरा है। एक तरफ सरकार का ऐलान होता है कि हम सिंचाई के साधन बढ़ाना चाहते हैं और इसके साथ ही सिंचाई के साधनों को जमींदारों को लौटाया जा रहा है। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि बिल्थरा रोड, बलिया जिले में है वहां एक कोयरी है, गरीब आदमी है और उनका एक मुसलमान के दरवाजे पर कुआं बना हुआ है। कुआं गिर रहा है। मैं जब नहाने लगा तो कोयरी से पूछा कि यह गिर रहा है इसको बनवाते क्यों नहीं। तो उन्होंने कहा कि बन जायगा तो इनका हो जायगा। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि और शायद गेंदा सिंह जी भी इसका समर्थन करेंगे कि गांव में आम रिवाज है कि कुआं गिर जाय तो गिर जाय लेकिन दूसरा कोई बनवायेगा तो उसका हो जायगा। यह रिवाज सा है। इसलिये मैं राजस्व मंत्री जी और मौर्य जी से पूछना चाहता हूं कि इस तरह जो कुयें बने हुए हैं उनका आखिर क्या होने वाला है। वे धाराशायी हो जायंगे। सिंचाई का सारा काम बन्द हो जायगा। मैं यह भी दावा कर सकता हूं और अपने सर पर बीती हुई बात बताता हूं कि पानी भरने की बात कौन कहे एक हरिजन भाई अपने दरवाजे पर कुआं बनवाने जा रहे थे तो हमारे यहां के जमींदार ने बनने नहीं दिया। आजमगढ़ में मैं आपको बताऊं कि हर साल सूखा होता है अगहनी की खेती मारी जाती है, अब क्वार और कार्तिक की फ़स्ल भी ख़त्म होने वाली है।

इन शब्दों के साथ मैं भाई कमला सिंह के संशोधन का समर्थन करता हूं और माननीय मंत्री से प्रार्थना करता हूं कि इसे स्वीकार किया जायगा।

श्री कमला सिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे अफसोस है कि मैंने जो संशोधन सदन के सामने रखा था उसको राजस्व मंत्री ने अप्रिशियेट नहीं किया। धारा ६ के अन्तर्गत जो चीजें पहले निहित की गयी थीं जैसे, "गांव की आबादी खातों और बागों के भीतर स्थित निजी कुओं से भिन्न कुओं।" साथ ही साथ धारा ९ में यह चीज रखी गयी थी कि ऐसे सब निजी कुएं, जो खातों, बाग़ अथवा आबादी में हों, तो यह शब्द धारा ९ के अन्दर भी आते हैं लेकिन इस वक्त जो अमेंडमेंट किये गये हैं स्वयं सरकार की तरफ से उनमें इस चीज का ध्यान नहीं रखा गया है और न इस सम्बन्ध में कोई अमेंडमेंट इंडिपेंडेंटली मूव किया गया है। ऐसी परिस्थिति में अगर आप इस चीज को सोचें तो कुयें एक तरफ आप धारा ६ के अन्दर मध्यवर्ती को दे देते हैं लेकिन धारा ९ के अन्दर क्या हालत होगी, उनका बन्दोवस्त हो नहीं सकेगा।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—धारा ९ में अमेंडमेंट है।

श्री कमला सिंह—जो अमेंडमेंट है उसको मैंने देखा है और उसको देख कर मैं यह संशोधन सदन के सामने रख रहा हूं। साथ ही साथ माननीय अवधेश प्रताप सिंह जी ने बड़ी बड़ी बातें जमींदारों के मुताल्लिक कही हैं। मुझे अफसोस है कि आज भी वे अपने को जमींदार समझ रहे हैं, रस्सी जल गई लेकिन ऐंठन नहीं गयी। अब तो वह भी काश्तकार हो गये हैं। हम तो पुराने जमींदारों की बात यहां कह रहे थे। आप सोचिये कि कितने जमींदारों की बात आप करते हैं। आप कहते हैं कि हम विश्वास दिलाते हैं कि जमींदार बन्दोबस्त कर लेंगे लेकिन मुझे अफसोस है कि अगर धारा १० की ओर आप ध्यान देंगे तो आप देखेंगे कि मैं किन किन जमींदारों की बात कर रहा हूं। धारा १० के अन्दर दो किस्म के जमींदार हैं। एक तो पहले वे हैं जो सब काम अपना कर सकते हैं, लेकिन दूसरे स्त्री अवस्यक पागल, जड़, अन्धे और सैनिक, आदि भी हैं। मैं नहीं समझता कि कोई व्यक्ति जो सेना में भर्ती होगा वह गांव में इन्तजाम करने के लिये जायगा, या वह स्त्री जो अपना काम नहीं कर सकती है या और लोग जिनको सरकार की तरफ से रिआयत दी जा रही है, वे गांव में कुयें बनवायेंगे। इसलिये मैं नहीं समझता कि यह कहां तक अक्लमंदी की बात होगी। मैं माननीय अवधेशप्रताप सिंह जी से कहूंगा कि जिन कुओं को आप उम्मीद कर रहे हैं वे आलरेडी गांव सभा में वेस्ट कर चुके हैं और उनके लिये इस समय क्वेश्चन एराइज नहीं होता है। हमारे कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि अब वे पंचायतें नहीं रहीं, तो हम हुकूमत करने वाली पंचायतों को नहीं दे रहे हैं बल्कि उन पंचायतों को दे रहे हैं जो गांवों में इन्तजाम कर रही हैं। इसी धारा १० में ऐसे लोग हैं जो अपनी खेती की निगरानी खुद नहीं कर सकते हैं। अगर आप उनको ऐसे कुयें वगैरा देंगे तो बहुत बड़ा अन्याय होगा। ऐसी परिस्थिति में ज्यादा दूर न जाकर माननीय मंत्री जी से यह प्रार्थना करूंगा कि आप फिर इस चीज को गौर से देखें और देखने के बाद जो उचित समझें वह करें ताकि बाद में किसी किस्म का पछतावा न रहे।

माल मंत्री (श्री चरण सिंह)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि वाकयात के सम्बन्ध में कुछ ग़लतफहमी है वर्ना जो तक़रीरें हुई हैं वे शायद न होतीं। इस कानून का उसूल यह रखा गया था कि जो चीजें आम उपभोग की हैं उनको गवर्नमेंट अपने में लेकर गांव समाज को वेस्ट कर दे।

जहां तक कुओं के गांव समाज को दे देने की बात है तो मालूम होता है कि माननीय कमला सिंह की इत्तिला गलत है। अभी तक गांव समाज को केवल जमीन दी गई है। मैं यह अर्ज कर रहा था कि कानून में गांव सभा को उसी तरह की जायदाद दी जाय जो गांव वालों के मुश्तरका तौर पर, शामिल तौर पर इस्तेमाल में आती है और सबको मिलकर जो एक चीज है। अब हमने जैसा कि अधिनियम आज है उसमें जो आबादी में कुयें है जिसके हैं, वह उसके हाथ सेटिल कर दिये, उनके खेतों के अन्दर जो कुयें हैं, उनको उनके साथ सेटिल कर दिये, जो बाग़ात के अन्दर कुयें हैं वह भी उनके साथ सेटिल कर दिये। तो माननीय रामसुन्दर पांडेय ने जो एक मिसाल दी आबादी के कुओं की वह इससे कुछ ताल्लुक नहीं रखती कुयें जो बनते हैं, कच्चे या पक्के, ५ एकड़ १० एकड़ की आबपाशी के लिये बनते हैं और वह ज्यादा-तर अपनी होल्डिंग के अन्दर ही बने हुये होते हैं। जो कुयें गवर्नमेंट में वेस्ट हुये हैं वह केवल वही हैं जो कि बंजर पर बने हैं। जो जमीन खाली पड़ी हो बंजर, ऊसर हो उसके अन्दर जो कुयें बने हैं केवल उन्हीं का सवाल है। वह कुयें गवर्नमेंट में वेस्ट कर दिये गये और गवर्नमेंट तो उनका कोई इन्तजाम कर ही नहीं सकती थी। वह गांव सभा को दे दिये गये। तो ऐसे कुयें जिनसे आबपाशी मुश्किल से ५ एकड़ से लेकर १० एकड़ तक. . . .

श्री रामसुन्दर पांडेय—मैं जानना चाहता था कि कितने कुयें ऐसे हैं जो परती जमीन पर हैं?

श्री चरण सिंह—ऐसा कोई रेकर्ड नहीं है । लेकिन मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य का सबका तजुर्बा यह है कि ज्यादातर कुयें खेतों के अन्दर है, होल्डिंगस के अन्दर हैं और बंजर के अन्दर बहुत कम कुये हैं। बंजर के अन्दर कोई कुआं बनाता ही नहीं। ऐसे कुयें जिनसे ५ एकड़ से १० एकड़ तक की आबपाशी कर सकते हैं उसी जमीन पर हैं जहां काश्तकार की आबपाशी होती हो। अगर जमींदारों ने कोई कुआँ बनवाया है तो अपनी सीर और खुदकाश्त की आबपाशी के लिये। वह जमींदार ऐसे कुयें तो बनाता नहीं जिससे किराये की आमदनी करे। मुमकिन है दो चार ऐसे कुयें हों। लेकिन आमतौर पर ऐसे कुयें नहीं बने हैं। जमींदारों ने अपनी सीर और खुदकाश्त की आबपाशी के लिये ही मैं समझता हूं ९५ फीसदी कुयें बनवाये हैं।

अब ऐसे कुओं को अगर हम गांव सभा को दे देते हैं तो गांव सभा उसका क्या इन्तजाम करेगी और कुओं का इन्तजाम ही क्या होता है। आबपाशी के लिये कुयें बनाये गये हैं तो कोई उसका इन्तजाम नहीं होगा और वह जमींदार ने अपनी गरज के लिये बनवाये हैं। यह जो कहा जाता है कि काश्तकारों के लिये बनाये होंगे तो काश्तकारों के लिये क्यों बनवायेंगे। अगर ऐसा है तो वहा तो काश्तकार का राइट आफ ईजमेंट हो गया। खसरा में हर खेत के सामने यह लिखा जाता है कि आबपाशी का सोर्स क्या है। तो जिन किसानों के खेतों की आबपाशी जमींदारों के कुओं से होती हो तो वह तो अब भी उनको उसका हक रहेगा। लेकिन अगर इन छोटे छोटे कुओं को जिनसे कि कुछ आबपाशी होती थी उनको हम गांव सभा को दे दें तो मैं समझता हूं कि सबका तजुर्बा यही है कि इस तरह की जो मुश्तरका चीज हो जाती है उनका क्या इन्तजाम होता है। पहले जो किसी के बागात थे उनको अब मुश्तरका हो जाने पर कोई पानी भी नहीं देता। वह उजड़ रहे हैं। गांवों में जो पानी पीने के कुयें हैं उनमें अगर कोई समझदार आदमी हुआ तो सबको जोड़ कर ईंट वगैरह का इन्तजाम कर देता है नहीं तो वे कुयें भी बड़ी मुश्किल से बन पाते हैं। तो जिस कुयें से दो चार काश्तकार ही आबपाशी कर पाते हों उस कुयें का गांवसभा अपनी मुश्तर्का आमदनी में से इन्तजाम करे और फिर उनकी ओसरीबन्दी करे कि कौन आदमी कब, कितने घंटे पानी ले सकता है, मैं समझता हूं कि जो लोग गांव के जीवन से वाकिफ हैं वे जानते होंगे कि उससे कोई फायदा नहीं होता बल्कि और झगड़े बढ़ते हैं। तो गांव सभा उनका कोई इन्तजाम नहीं कर सकती थी। अगर जमींदार ने कुआँ बना रखा है और मानलो कि ईजमेंट का राइट भी किसी को नहीं है और उसको खुद अपने लिये कुंआ चलाने की जरूरत नहीं है तो आमतौर पर कोई आदमी इनकार नहीं कर सकता है। दूसरे आदमी को जरूरत है चाहे जमींदार हो या काश्तकार हो वह उस कुयें को चला सकता है। ट्यूबवेल्स कानूनी परिभाषा में 'वेल' नहीं है। केवल ट्यूबवैल्स के लेने से फायदा है। बलरामपुर रियासत के अन्दर ३४, ३५ ट्यूबवेल्स थे जो कि बेशक इस ख्याल से बनाये गये कि काश्तकारों को किराये पर पानी दिया जाय। तो वे कुयें अगर स्टेट में वेस्ट करते तो बेशक एक ऐसी चीज थी कि उनको इर्रीगेशन डिपार्टमेंट को हम दे देते और इरीगेशन डिपार्टमेंट जैसे और स्टेट ट्यूबवेल्स का इन्तजाम करता है उसी प्रकार इनका भी इन्तजाम करता तो उससे फायदा होता।

श्री अवधेश प्रताप सिंह—वह तो इरोगेशन डिपार्डमेंट ने ले लिये।

श्री चरण सिंह—वे ले लिये गये थे फिर हमने रेलीज कर दिया क्यों कानून के अन्दर केवल वेल्स स्टेट में वेस्ट कर सकते हैं और ट्यूबवेल्स "वेल्स" की डेफनीशन में आते नहीं हैं। इसलिये हमको रेलीज करना पड़ा। अब ये जो छोटे-छोटे कुयें हैं जिनको जमींदार ने अपनी खुदकाश्त और सीर के लिये बनाया था उनको लेकर और गांव सभाओं के ऊपर उनका बोझ डालना, इससे कोई फायदा नहीं था बल्कि वे कुयें बरबाद हो जाते। इसलिये

वे कुयें उनको वापस किये जा रहे हैं ताकि जिन लोगों ने अपने इस्तेमाल के लिये उनको बनाया है वे उनका इन्तजाम कर सकें। गांव सभायें उनको क्या करतीं। मैं फिर दोहराता हूं कि ऐसे कुओं की तादाद सारे सूबे में भर बहुत ही कम है। इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं।

श्री कमला सिंह—मैं एक बात जानना चाहता हूं कि क्या जब कंसालिडेशन आफ होल्डिंग यहां होगी तो उस वक्त इन कुओं का कम्पेन्सेशन देना पड़ेगा या नहीं?

श्री चरण सिंह—इसकी बाबत तो इस वक्त मैं कुछ नहीं कह सकता।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ३ का उपखंड (१) निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री गेंदा सिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित संशोधन पेश करना चाहता हूं—

"खंड ३ में प्रस्तावित मूल अधिनियम की धारा ६ की उपधारा (ग) के भाग (१) के अन्त में शब्द "होगा" के बाद शब्द "परन्तु इस प्रकार की रक़म लेने वाला व्यक्ति धोखा देने का अपराधी माना जायगा और वह रकम वापस कराई जायगी" रख दिये जायं।

श्री अवधेश प्रताप सिंह—प्वाइन्ट आफ आर्डर। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो चीजें माननीय गेंदा सिंह जी इस संशोधन द्वारा इस विधेयक में लाना चाहते हैं वे अगर आई० पी० सी० देखने का कष्ट सहन करें तो उनको अच्छी तरह से मालूम हो सकता है कि ये सब चीजें उसके अन्दर मौजूद हैं। लिहाजा इसमें इसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर वह लेता है तो मुमकिन है वह जबरदस्ती ले। तो ३३०, एक्सटार्शन में जा सकता है। अगर वह छीन ले तो ३९२ या ३९५ में डकैती में जा सकता है। लेकिन अगर धोखा देकर लेता है तो, श्रीमन्, दफा ४२० ऐसी है जो कि इस सदन में हर जगह गूंज रही है और अगर वह सरकारी आज्ञा का उल्लंघन करता है तो दफा १८८ मौजूद है आई० पी० सी० की। मैं समझता हूं कि माननीय राजस्व मंत्री जो कि एक अच्छे वकील रह चुके हैं इस पर विशेष प्रकाश डालेंगे। मैं समझता हूं कि ऐसी कोई चीज नहीं है जो कि आई० पी० सी० में मौजूद न हो और इस तरह से सदन का समय नष्ट करना निरर्थक है।

श्री उपाध्यक्ष—मैं समझता हूं कि यह संशोधन उपस्थित है। इस पर सदन बहस कर ले तो कोई हर्ज नहीं है।

श्री अवधेश प्रताप सिंह—माननीय राजस्व मंत्री से पूछ तो लीजिये।

श्री चरण सिंह—मैं इतनी बात तो जरूर अर्ज कर सकता हूं कि यह सिविल राइट्स को एक जगह से तय करने का कानून है। पीनल आफेंस क्या क्या चीज होगी वह है नहीं। यह तो अलाहदा कोई बिल लायें या फिर इंडियन पीनल कोड में करें। वैसे वह बहुत व्यापक है। यहां कोई तुक नहीं लगती है, बिल्कुल बोझ मरने की बात है।

श्री गेंदा सिंह—अध्यक्ष महोदय, मैं श्री अवधेश प्रताप सिंह और माननीय राजस्व मंत्री को याद दिलाना चाहता हूं कि पुराने ऐक्ट में इस तरह के पेनेल्टी के सैंक्शन्स हैं कि जहां लोगों ने गैर कानूनी रकम वसूल करी है वहां पर आई० पी० सी और सी० आर पी० सी० का बहाना नहीं लिया गया है बल्कि उसी कानून में गुंजाइश की गई है कि उनके ऊपर मुकद्दमा चल सकता है और हरजाने के साथ रकम वसूल की जा सकती है। इस तरह

[श्री गेंदा सिंह]

की गुंजाइश है और मैं समझता हूं कि यह भाग जो मैं बढ़ाना चाहता हूं उसको अगर सुन लेने की तकलीफ श्री अवधेश प्रताप सिंह जी गवारा करते तो मैं समझता हूं कि वह ऐसा नहीं कहते। इस हिस्से को मैं आपकी आज्ञा से पढ़ देना चाहता हूं। और फिर वह इस पर विचार करें कि इस तरह के प्रतिबन्ध के लगाने की आवश्यकता है या नहीं। वह इस प्रकार है कि "किसी आस्थान या उसमें स्थित खाते की भूमि से संबंधित ऐसे सभी लगान, अबवाब (सेस) स्थानिक कर (लोकल रेट्स) और सायर, जो निहित होने के दिनांक के बाद के हों और जो आस्थान न हस्तगत किये जाने की दशा में मध्यवर्ती को देय (पेएबिल) होते, राज्य सरकार में निहित हो जायेंगे और उसको देय होंगे न कि मध्यवर्ती को, और यदि इस खंड के निदेश के विपरीत कुछ दिया जाय तो देने वाला अपने दायित्व से वैध रूप से मुक्त न होगा।"

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक तरफ देने वालों के लिये पेनेल्टी मौजूद है कि देने वाला वैध रूप से मुक्त नहीं होगा। रुपया दे देने के बाद उसको रुपया देना पड़ेगा तो यह सोचना है कि रुपया लेने वाले का क्या होगा। मेरा संशोधन केवल इतना ही है कि अगर किसी ने धोखे से रुपया ले लिया है तो यह साफ हो जाय लेने वाले के लिये कि वह वापस कर दिया जाय और दूसरे यह कि जिन लोगों ने इस तरह से रकम ले ली है उनको धोखा देने की भी कार्यवाही की जाय। इसमें कोई घबराहट की बात नहीं है। मैं उम्मीद नहीं करता हूं कि श्री अवधेश प्रताप जी या उनके साथी इस वक्त गैर कानूनी रकम वसूल करने की बात सोचेंगे। अगर ऐसी बात है तो फिर घबराहट की कोई बात इसमें नहीं है कि मुकद्दमा चल जायगा। इसलिये मैं सोचता हूं कि जिस वक्त गैर कानूनी रकम जिसको सरकार समझती है कि किसानों से वसूल की जाती है तो वसूल करने के बाद अगर वह मुक्त नहीं होता और किसान को सरकार को वह रकम अदा करनी पड़ती है तो दूसरी तरफ बंधन होना चाहिये मध्यवर्ती लोगों पर इस तरह की कोई रकम उनकी सीधाई का फायदा उठाकर, उनकी कम जानकारी का बेजा फायदा उठाकर, वसूल न करें। इसलिये मैं समझता हूं कि इस प्रकार से इस संशोधन पर विचार होना चाहिये। जल्दी में मेरी बात सुनने से पहले राजस्व मंत्री जी ने अपना फैसला भी दे दिया। मैं समझता हूं कि हमारी बात सुन लेने के बाद उनको फैसला करना चाहिये था। क्या वह समझते हैं कि देने वाला ही कसूरवार है लेने वाला नहीं। मैंने तो अर्ज कर दिया अब अधिकार उनको है। वह जैसा चाहें फैसला करें। इस तरह की बात होगी कि लोग वसूल कर लेंगे और देने वाले अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं होंगे और लेने वाले मौज उड़ायेंगे। इस तरह से ध्यान देकर इस संशोधन पर विचार किया जाना चाहिये।

श्री चरण सिंह---माननीय अध्यक्ष महोदय, दफा ६(ग) (१) की मंशा यह है कि निहित होने के दिनांक के बाद ३० जून के बाद अगर जमींदार ने कोई लगान ऐसा वसूल कर लिया है या उससे पहले वसूल कर लिया हो, उस मुद्दत का, जो मुद्दत पहली जुलाई के बाद पड़ती हो, जब कि जमींदार मालिक नहीं था, उस जमीन का उस सिलसिले में सायर वसूल कर लिया हो जमींदार ने, तो वह जो देने वाला है वह अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं होगा। क्यों कि उसे जानना चाहिये था कि वह उसका रेंट देने के लिये सरकार के प्रति जिम्मेदार है न कि जमींदार के प्रति। क्योंकि इसका मतलब यह है कि अगर किसी जमींदार ने वसूल कर लिया है तो उस पर ४२० का मुकदमा चलेगा। मैं समझता हूं जैसा कि माननीय गेंदा सिंह जी ने कहा मेरे पास इस किस्म की कोई शिकायत आई नहीं। बल्कि एक शिकायत यह है कि रबी १३५९ फसली का ही बकाया है तो खरीफ १३६० का पेश्तर ही वसूल कर लिया हो ऐसी शिकायत मेरे इल्म में नहीं आई। तो ऐसा जब नहीं हुआ तो इस तरह का प्राविजन करना कि यह पीनल आफेंस होगा यह गैर जरूरी है। किसान ने गल्ती से वसूल कर लिया है तो वह उसके लिये दावा दायर कर सकता है। इसको पीनल आफेंस बनाना बिलकुल गैर जरूरी है। इससे खामखाह इस ऐक्ट को पेचीदा बनाना है। उससे कोई सार्वजनिक

हित नहीं होता। इसलिये मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय गेंदा सिंह जी इसे वापस लें लेंगे।

श्री गेंदा सिंह—माननीय राजस्व मंत्री के भाषण के बाद मैं इसका एक हिस्सा वापस ले सकता हूं "परन्तु इस प्रकार की रकम लेने वाला व्यक्ति धोखा देने का अपराधी माना जायगा" लेकिन यह हिस्सा "वह रकम उसको वापस कराई जायगी" इसे वापस लेने की इच्छा नहीं है।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—दीवानी चले जाइये।

श्री गेंदा सिंह—दो रुपये तो लगान वसूल किया है और मौर्य जी बतला रहे हैं कि दीवानी चले जाइये। वकील लोग जो रास्ता बतलाते हैं उससे बड़ी परेशानी होती है। वह ऐसा ही रास्ता बतलाते हैं जिसमें हम भूल भटक जायं लेकिन हमें उम्मीद है कि हमारे राजस्व मंत्री और उपराजस्व मंत्री दोनो वकील हैं वह कोई ऐसा रास्ता बतलायेंगे जिससे हम भूलने भटकने न पायें। उसमें बड़ी परेशानी होती है। राजस्व मंत्री जी के कहने के बाद ऐसा मालूम होता है कि संशोधन वापस ले लूं लेकिन उसे वापस लेने में जो कठिनाई है वह उसे समझें। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि लोगों ने वसूल किया है और हमारे सर पर उसकी बड़े जोर से चोट पड़ी है। हुक्म था कि लगान मुल्तवी किया जाय लेकिन मुल्तवी शुदा लगान वसूल कर लिया गया। हमको १ लाख ६० हजार रुपये जिसकी माफी मिल गई थी उसको फिर सरकार ने किसानों से वसूल कर लिया। अब की मर्तबा माननीय राजस्व मंत्री जी की मेहरबानी से रुपया कोर्ट आफ वार्ड्स को वापस करना पड़ा है। दो हजार रुपया कोर्ट आफ वार्ड्स ने वसूल कर लिया था। इसके लिये मैं उनको बधाई देता हूं। वह रुपया जबर-दस्ती वसूल कर लिया गया था। इन दो उदाहरणों के बाद मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ४२० वाला हिस्सा तो मैं वापस ले सकता हूं लेकिन बाद का हिस्सा वापस लेने से मजबूर हूं।

श्री चरण सिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे मित्र का प्रस्ताव इस प्रकार है "परन्तु इस प्रकार की रकम लेने वाला व्यक्ति धोखा देने का अपराधी माना जायगा और वह रकम वापस कराई जायगी।" इसको "धोखा देने का अपराधी माना जायगा," इसको तो वह छोड़े देते हैं लेकिन यह जरूर रहना चाहिये कि वह रकम वापस कर दी जाय। अगर यह संशोधन मान लिया जाय तो कैसे वह रकम वापस की जायगी और किस तरह से वापस होगी। यह होगा कि अगर किसी ने वसूल कर लिया है तो वह दरख्वास्त देगा और फिर अपनी रसीद पेश करेगा। लेकिन वह किसके सामने पेश करेगा। यह मान लीजिये कि कलेक्टर के सामने पेश करेगा। कलेक्टर उसको बुलाकर यह पूछेगा कि तुमने १३६० फसली का लगान वसूल कर लिया है, वह यह कहेगा कि जी नहीं, मेरा उसके ऊपर चाहता था वह वसूल किया है। लिहाजा फिर मुकदमा हो जायगा। इससे पहली बात तो यह है कि मंशा पूरा नहीं होता है और फिर दावा होने पर पता नहीं चलेगा कि असल मामला क्या है। लिहाजा केवल इतने लिख देने से काम नहीं चल सकता। यह मैं मानता हूं कि वकील लोग होते हैं उनका दिमाग भी कानूनी हो जाता है लेकिन कानूनी दिमाग से काम नहीं चल सकता है। अगर सीधे सीधे लिख दिया जाय तो इससे भी काम चलने वाला नहीं है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो मेरे भाई ने यह कहा कि लाखों रुपया वसूल कर लिया गया, १ लाख ६० हजार रुपया वसूल हो गया, वह तो अगले संशोधन से ताल्लुक रखता है जो दूसरी बात है। जो लगान वेस्टिंग की डेट से पहले वसूल हो चुका है उससे मतलब है। जब वेस्टिंग आर्डर हो गये और उसके बाद १३६० फसली का अगर लगान वसूल कर लिया है तो वह ६ सी० १ से कवर होता है। इसलिये जो मिसाल आपने दी है वह यहां पर लगती नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ३ में प्रस्तावित मूल अधिनियम की धारा ६ की उपधारा (ग) के भाग (१) के अन्त में शब्द "होगा" के बाद शब्द "परन्तु इस प्रकार की रकम लेने वाला व्यक्ति धोखा देने का अपराधी माना जायगा और वह रकम वापस कराई जायगी" रख दिये जायें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री गेंदा सिंह—उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित संशोधन पेश करना चाहता हूं कि खंड ३ में प्रस्तावित मूल अधिनियम की धारा ६ की उपधारा (ग) के भाग (२) की पंक्ति ४ के शब्द "लिये" के बाद शब्द "या उक्त दिनांक से पहले तीन वर्षों में ऐसी रकम जो सरकार द्वारा मनाही कर दी गई हो या माफ कर दी गई हो" रख दिये जायं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसमें इस समय "या" जोड़ दिया गया है ताकि और साफ हो जाय। मैं आपके सामने मूल अधिनियम की धारा के उस भाग को पढ़ देना चाहता हूं जिससे इसका समझना आसान हो जायगा (२) "यदि निहित होने के दिनांक से पहले किये गये किसी अनुबन्ध या संविदा के अधीन कोई लगान, अबबाव, स्थानिक कर या सायर उक्त दिनांक के बाद के किसी समय के लिये मध्यवर्ती को दे दिया गया हो या उसके द्वारा अभिसंधित (compounded) अथवा अभित्यक्त (released) हो गया हो तो उक्त अनुबन्ध या संविदा के होते हुये भी, वह मध्यवर्ती से राज्य सरकार द्वारा वसूल किया जा सकेगा और वसूली के अन्य ढंग को बाधित न करते हुये ऐसे मध्यवर्ती को अध्याय ३ के अनुसार मिलने वाले प्रतिकर में से काट कर वसूल किया जा सकेगा"

उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर इन शब्दों को बदलने से मेरा मतलब यह है कि यदि तीन वर्ष के भीतर जो कि बिलकुल कानूनी मियाद है यदि मध्यवर्ती ने कोई ऐसी रकम वसूल कर ली है जिस रकम को वसूल करने का उसको अधिकार नहीं था तो उस रकम को प्रतिकर में से काट लेने का अधिकार हम सरकार को देना चाहते हैं। यह सीधी सादी और बिना किसी झंझट की बात है। इसमें हम कोई मुकदमा चलाने की बात नहीं कह रहे हैं। केवल इतना कहना चाहता हूं कि जिन लोगों ने ले लिया है उनसे उस रकम को ले लिया जाय। सरकार ने अपनी तरफ से यह कह रखा था कि यह रकम वसूल नहीं होना चाहिये। अगर उस रकम को वसूल किया तो उसने बेजा किया और उसका उसको दंड मिलना चाहिये। केवल इतनी सी बात है। इस सिलसिले में मैं यह कहना चाहता हूं जैसा कि राजस्व मंत्री जी ने संकेत किया था कि वह १ लाख ६० हजार रुपया जो सालाना वसूली के सिलसिले में वसूल कर लिया था वह माफ हुआ और सरकार ने उसको माफ कर दिया। आखिरी हुक्म हो गया और उसके पहले ही बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में किसानों के ऊपर ज्यादती की गई और जमींदारों ने उनसे लगान वसूल कर लिया और जब यह बात सरकार के पास पहुंची और लगान सरकार की ओर से माफ़ किया गया उससे पहले ही यह कार्यवाही हो चुकी थी। केवल एक जगह ही नहीं, दो तीन जगहों पर ऐसा हुआ है। केवल इन दो तीन जगहों की ही बात मैं नहीं कहता, मैं तो यह कहता हूं कि अगर कहीं भी ऐसा हुआ है तो कानून में इस बात की गुंजाइश होना चाहिये कि वह रकम फिर सरकार के पास लौट आये। सरकार से हम यह मांग कर सकते हैं, दरख्वास्त दे सकते हैं और न्याय की मांग कर सकते हैं लेकिन जो पुराने मध्यवर्ती थे उनसे अपील करें कि आपने गलती से जो लगान वसूल कर लिया वह वापिस करो तो हमारी कोई नहीं सुनेगा। उनमें से बहुत से तो ऐसे हैं कि जिनसे मुलाकात ही नहीं होगी। सरकार से और उन से मुलाकात हो सकती है इसीलिये हम यह लाभ उठाना चाहते हैं कि जिन्होंने गैरकानूनी तरीके से लगान वसूल कर लिया है उनसे सरकार लेले। सरकार उसे किसानों को वापिस दे या न दे यह दूसरी बात है लेकिन सरकार के पास तो वह रकम जरूर वापिस आनी चाहिये।

श्री चरण सिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गालिबन सन् १९५० की बात है कि फ़ैजाबाद में बाढ़ आई और वहां के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने कमिश्नर को मार्फत मालगुजारी और लगान में छूट देने की तजवीज, प्रोपोजल्स गवर्नमेंट के पास भेजे, लेकिन उनको साथ ही साथ यह भी चाहिये था कि वह उनकी वसूलयाबी को उसी वक्त से सस्पेंड कर देते और आरजी हुक्म निकाल देते कि जब तक छूट के सिलसिले में कोई क़तई हुक्म न हो जायगा तब तक लगान और मालगुजारी की वसूली बन्द रहेगी, लेकिन ग़लती यह की गई कि प्रोपोजल्स तो हेडक्वार्टर या सदर आफिस के भेजे गये लेकिन मौके पर वसूलयाबी नहीं रोकी गई। नतीजा यह हुआ कि बहुत से जमींदारों ने काश्तकारों से लगान वसूल कर लिया और जब यह हो गया तो गवर्नमेंट ने भी जमींदारों से अपनी मालगुजारी वसूल कर ली। गवर्नमेंट के पास कोई ऐसा कानूनी अख्तियार नहीं था कि जमींदारों को मजबूर किया जाता कि वह लगान को उगल दें और उसे काश्तकारों को फिर वापस कर दें और काश्तकार भी उनसे वापस नहीं पा सकते थे। तो ऐसी सूरत में गवर्नमेंट के पास भी सिवा इसके कोई चारा नहीं था कि जो प्रोपोर्शनेट मालगुजारी, उसी तनासुब से जिससे लगान की छूट दी जा रही थी वह मालगुजारी उनसे वसूल की जाती। लिहाजा जमींदारों ने लगान वसूल कर लिया और गवर्नमेंट ने अपनी मालगुजारी वसूल कर ली और यह बात दो साल पहले की है। अब इस कानून के द्वारा यह रखना कि जो लगान उन्होंने वसूल कर लिया था उसको उनके मुआवजे में से मिनहा किया जाय, मैं समझता हूं कि इस वक्त यह मुनासिब नहीं है, यह तो पुराने गड़े हुये मुर्दों को उखाड़ना होगा। गाजीपुर में भी ऐसा हुआ है लेकिन वहां जोन में जमींदार नहीं आते थे। इसलिये वहां गवर्नमेंट ने किसानों को उनका लगान वापस कर दिया। लेकिन जहां बीच में जमींदार थे वहां कानूनी मजबूरियां हुईं, इसलिये वह लगान जमींदारों से वापस नहीं दिलाया जा सकता, यह काफी पुरानी बात हो गई। यह बात ठीक है कि ग़लती हुई लेकिन अब उसको ठीक करने की कोशिश करना मैं नहीं समझता कि कहां तक मुनासिब होगा। यों तो जब तक जमींदारी थी न मालूम कितनी-कितनी शिकायतें उनमें से कुछ लोगों ने की और ज्यादा सख्ती का बर्ताव किसानों के साथ किया लेकिन अब इस वक्त कानून के जरिये से उन पुरानी बातों की उखाड़ना मुनासिब नहीं होगा। इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री गेंदा सिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो उम्मीद करता था कि माननीय राजस्व मंत्री जी इस संशोधन को स्वीकार कर लेंगे क्योंकि उन्होंने इसके पहले कई बार अपनी कठिनाई बताई थी कि कानून में इस बात की गुंजाइश नहीं है कि वे किसानों को फ़ायदा पहुंचा सकें। आज यह मौका था कि वे किसानों को मदद पहुंचा सकते थे लेकिन उन्होंने गड़े मुर्दे उखाड़ने के नाम पर कहा कि इस बात को न उठाया जाय। हम भी गड़े मुर्दे को उखाड़ कर बदबू पैदा करना नहीं चाहते। हमारी मजबूरी है कि जो किसान माननीय मंत्री जी के सामने नहीं हैं जिनसे १ लाख ६० हजार रुपया वसूल किया गया है। दया करने की ताक़त अगर किसी में है तो सरकार में है। अगर वह दया कर सकती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन इस गड़े मुर्दे को न उखाड़ने में हमारी गति जो हो गई है उस पर वे गौर नहीं कर रहे हैं। हमसे इतना रुपया ले लिया गया और अब यह कहा जाता है कि गड़े हुये मुर्दे को, चाहे वह गाजीपुर में या बनारस में या बलिया में हो, उनको नहीं उखाड़ना चाहिये। यदि माननीय मंत्री जी की यह इच्छा है कि मैं इस संशोधन को वापस ले लूं तो मैं इस आशा से कि वे किसानों की कोई न कोई बात सोचेंगे जिससे उनकी तकलीफ को रफ़ा किया जा सके मैं इस संशोधन को वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री श्रीचन्द (जिला मुजफ्फरनगर)—माननीय उपाध्यक्ष, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन पेश करना चाहता हूं कि खंड ३ के उपखंड (२) की पंक्ति १, २ व ३ में शब्द "या बकाया" के स्थान पर इस प्रकार रखा जाय:

"या संयुक्त प्रान्तीय कृषि आयकर ऐक्ट, १९४८ ई० के अन्तर्गत कृषि आय पर लगाये गये कर का शेष,"

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—मुझे यह संशोधन इस प्रकार स्वीकार है "या संयुक्त प्रान्तीय कृषि आय कर ऐक्ट, १९४८ ई०, के अन्तर्गत कृषि आय पर लगाये गये कर की ऐसे समय की बकाया," यह इस प्रकार से होगा। वह इस प्रकार रहेगा :—

"या संयुक्त प्रान्तीय कृषि आयकर ऐक्ट, १९४८ ई० के अन्तर्गत कृषि आयकर पर लगाया गया कर और ऐसे समय की बकाया" यानी यह कि "१९४८" ऐक्ट के बाद आ जाय तथा शेष निकल जाय।

श्री श्रीचन्द—श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, जैसा संशोधन माननीय मंत्री जी ने किया उसमें कोई खास अन्तर नहीं है। मैं 'बकाया' के स्थान पर केवल 'शेष' शब्द रख देना चाहता था··· इसमें यह दिया हुआ है कि लगाये गये कर की बकाया' अब इसके स्थान पर चाहता था 'लगाया हुआ शेष कर' अर्थ वही है, मैं समझता हूं इसमें कोई अन्तर नहीं है।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—श्री श्रीचन्द जी को यह भ्रम है कि वही अर्थ होता है 'ऐसे समय की बकाया' का एक खास अर्थ होता है। उससे एक बिल्कुल भिन्न चीज हो जाती है। केवल उसको सुन्दर बनाने के लिये १९४८ ई० को ठीक जगह पर रख दिया गया है। 'शेष' की जरूरत नहीं है।

श्री श्रीचन्द—मंत्री जी ने जो फरमाया उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ३ के उपखंड (२) की पंक्ति २ में शब्द व अंक "१९४८ ई० का संयुक्त प्रन्तीय कृषि-आय-कर ऐक्ट" के स्थान पर शब्द व अंक "संयुक्त प्रान्तीय कृषि आय कर ऐक्ट, १९४८ ई०" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ३ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

नया खंड ३—क

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि नया खंड ३-क कि जिसे कल सदन स्वीकृत कर चुका है वह इस विधेयक का अंश माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ४

४—मूल अधिनियम की धारा ९ में शब्द "ऐसे सब निजी कुएं, जो खातों, बाग अथवा उत्तर प्रदेश अधिनियम १, १९५१ की धारा ९ का संशोधन। आबादी में हों, या" और शब्द "उन कुओं या" निकाल दिये जायं।

श्री ब्रजविहारी मिश्र—(जिला आजमगढ़) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से खंड ४ में यह संशोधन उपस्थित करता हूं—

"खंड ४ में प्रस्तावित मूल अधिनियम की धारा ६ में शब्द ऐसे सब निजी कुएं, जो खातों, बाग अथवा आबादी में हों, या आबादी के पेड़" के स्थान पर शब्द "सब कुएं आबादी के पेड़" रख दिये जायं।

श्री कमला सिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्वाइंट आफ आर्डर है। अभी जब विधेयक शुरू हुआ था तो मैंने पेड़ों के मुताल्लिक एक प्रस्ताव पेश किया था उसको इस सदन ने नामंजूर कर दिया। अब वह नामंजूर हो चुका है तो फिर पेड़ों का सवाल यहां कैसे उठ सकता है?

श्री ब्रजविहारी मिश्र—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह प्वाइंट आफ आर्डर जो माननीय श्री कमला सिंह ने उपस्थित किया है वह इससे संबंध नहीं रखता है। अभी जिस पर हम लोग विचार कर रहे ह वह मूल अधिनियम की धारा ६ है और उसी के सम्बन्ध में मेरा यह संशोधन है और पेड़ अलग हैं तथा आबादी के पेड़ और कुएं अलग हैं। इसलिये माननीय सदस्य ने जो प्वाइंट आफ आर्डर उठाया है उसका इससे कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—वैधानिक आपत्ति पर श्री द्वारका प्रसाद मौर्य जी कुछ कहना चाहते हैं?

श्री ब्रजविहारी मिश्र—उसका जवाब तो मैंने दे दिया है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—आपकी कोई व्यवस्था तो इसके ऊपर हो?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—पहले सुन तो लीजिये, उसके बाद व्यवस्था कोई मांग सकते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन श्री ब्रजविहारी मिश्र जी ने उपस्थित किया है वह मुझे स्वीकार है। इसमें कोई वैधानिक आपत्ति का प्रश्न नहीं आता। मूल अधिनियम की धारा ६ में आबादी के पेड़ों को और किसी भी कुएं को राज्य सरकार में निहित नहीं किया गया है। मूल अधिनियम की धारा ६ जिस प्रकार संशोधित हुई है उसके अनुसार यह अर्थ निकलता है कि कोई भी कुआं और आबादी का कोई भी पेड़ राज्य सरकार में निहित हुआ नहीं है। मूल अधिनियम की धारा ९ के मातहत राज्य सरकार उनके साथ कुओं, आबादी के पेड़ों और इमारतों का बन्दोबस्त कर देगी तो अब जो चीज निहित नहीं हुई है उसके बन्दोबस्त करने का प्रश्न नहीं उठता। कुएं और आबादी के पेड़ राज्य सरकार में निहित नहीं हुए ह इसलिये धारा ९ के अन्दर उसका किसी व्यक्ति के साथ बन्दोबस्त करने का प्रश्न नहीं उठता। इसलिये यह निकाल देना जरूरी है। धारा ९ में से कुएं और पेड़ निकाल दिये गये हैं क्योंकि अब उनको हम किसी के साथ बन्दोबस्त नहीं कर सकते। अब बोर्ड ले ही नहीं गयी तो उसके बन्दोबस्त करने का प्रश्न नहीं उठता। इसलिये यह स्पष्ट हो जाता है। धारा ६ के अन्दर हमने कोई भी कुआं नहीं लिया, आबादी का कोई पेड़ नहीं लिया, परती जमीन का बख्यवर्ती का पेड़ लिया गया लेकिन किसी किसान का पेड़ नहीं लिया गया। तो अब आबादी के अन्दर जो भी कुएं हैं या जो भी पेड़ हैं वे राज्य सरकार में निहित नहीं हैं इसलिये उनके बन्दोबस्त का प्रश्न नहीं उठता। इसी आशय से यह संशोधन उपस्थित किया गया है। धारा ९ से कुएं और

[श्री द्वारका प्रसाद मौर्य]

आबादी के पेड़ निकाल दिये गये है। इसलिये मुझे ऐसा लगता है कि अगर श्री [illegible] सिंह इसको ध्यान से समझ लें तो उनको कोई आपत्ति नहीं हो सकती। जब कोई चीज ली ही वहीं गयी तो उसके बन्दोबस्त करने का प्रश्न नहीं उठता। इसी आशय से यह संशोधन उपस्थित किया गया है। इसमें कोई प्वाइंट आफ आर्डर नहीं आ सकता।

श्री उपाध्यक्ष—मैं समझता हूं कि वैधानिक आपत्ति उचित नहीं है यह संशोधन इस समय लिया जायगा। माननीय सदस्य को कुछ और कहना है?

श्री व्रजविहारी मिश्र—मुझे और कुछ नहीं कहना है।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ४ में प्रस्तावित मूल अधिनियम की धारा ६ में शब्द "ऐसे सब निजी कुएं, जो खातीं, बारा अथवा आबादी में हों या आबादी के पेड़" के स्थान पर शब्द "सब कुएं, आबादी के पेड़" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित खण्ड ४ इस विधेयक का अंग बना रहे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ५

५—मूल अधिनियम की धारा १० की :—

उत्तर प्रदेश अधिनियम १, १९५१ की धारा १० का संशोधन।

(१) उपधारा (१) में शब्द "वार्षिक मालगुजारी पर देय हो" और शब्द "उस भूमि का मौरूसी काश्तकार" के बीच में शब्द "या मातहतदार, अदना मालिक या दवामी काश्तकार की दशा में उसके द्वारा प्रतिवर्ष देय लगान २५० रुपये से अधिक हो" रख दिये जायं।

(२) उपधारा (१) के बाद निम्नलिखित नयी उपधारा (१-क) के रूप में रख दी जाय :—

"(१-क) जब भूमि दो या दो से अधिक मध्यवर्तियों की संयुक्त सीर हो जिनमें से केवल कुछ मध्यवर्ती उपधारा (१) में उल्लिखित श्रेणी के हों, तो काश्तकार, भूमि के उस भाग का मौरूसी काश्तकार समझा जायगा, जो उक्त भूमि में उपधारा (१) में उल्लिखित मध्यवर्तियों के अंश के अनुपात में हो; और

(३) उपधारा (२) में शब्द और संख्या "उपधारा (१)" के स्थान पर शब्द और संख्या "उपधारा (१) और (१-क)" रख दिये जायं।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्न संशोधन उपस्थित करना चाहता हूं—

खंड ५ में प्रस्तावित मूल अधिनियम की धारा १० के स्थान पर निम्नलिखित किया दिया जाय—

"ऐसी भूमि का प्रत्येक काश्तकार जो ऐसे मध्यवर्ती की सीर लिखी ही जिसके खेवट में निहित होने के दिनांक से पहले के दिनांक पर ३० एकड़ से

अधिक सीर दर्ज हो या ऐसे सीरदार के असामी जिसके खाते में ३० एकड़ से अधिक जमीन हो उक्त भूमि के मौरूसी काश्तकार समझे जायेंगे और उनको उसमें से कहे पर उसके जायदाद को उक्त विनांक पर उनके द्वारा देय हो और इस १९४ के प्रयोजनों के लिए काश्तकारी को ऐसी भूमि सीर नहीं मानी जायगी।

मूल अधिनियम की धारा १० की जो व्यवस्थायें हैं पहले में यह रखा गया था कि ऐसा जमींदार जो २५० रुपये से ज्यादा मालगुजारी देता हो उसकी सीर आदि व्यक्ति की जोत में है तो वह उक्त तारीख पर मौरूसी काश्तकार समझा जायगा। अब जो मौजूदा अमेंडिंग बिल है उसमें यह भी रखा गया है कि २५० रुपये तक जिसका लगान हो ऐसे काश्तकार के भी असामी असली मौरूसी काश्तकार हो जायेंगे। तो उपाध्यक्ष महोदय, इन दोनों से असहमति प्रकट करते हुये मैंने यह संशोधन रखा है कि लगान या मालगुजारी का प्रतिबन्ध न लगाया जाय बल्कि रकबे की सीमा रखी जाये और यह रखा जाय कि दोनों मामले में ३० एकड़ से अधिक जमीन का काश्तकार मौरूसी काश्तकार समझा जाये। मूल अधिनियम की धारा १० की उपधारा २ में कुछ ऐसे खंड (प्रावधान) दिये गये हैं कि अगर वह स्त्री है, अवयस्क हो, पागल हो, जड़ हो, या अन्धा हो या शारीरिक दुर्बलता उसमें हो, या राष्ट्रीय सैनिक, नौसैनिक या वैमानिक सेना में नौकर हो तो उपधारा १ की कोई बात लागू नहीं होगी लेकिन मेरे संशोधन का मतलब यह है कि अब यह हर एक के लिये लागू होगा चाहे वह जड़ हो, स्त्री हो, या पागल हो या और कोई हो। वह ऐसे सब लोगों के लिये लागू होगा। अब ऐसे जितने भी किसान या मध्यवर्ती हैं जिनकी सीर या काश्त की जमीन ३० एकड़ से फाजिल है तो ३० एकड़ से फाजिल जमीन के असामी होंगे वह वास्तविक काश्तकार समझे जायेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, इससे जाहिर हो सकता है कि मैंने तो ऐसा प्रतिबन्ध लगा दिया कि तमाम ऐसे लोग जिनके पास तीस एकड़ से अधिक जमीन हो वह मौन ले ली जाय। यह ऐसी कैटिगरी के लोग हैं जिनकी जोत में जमीन नहीं है उनके लिये नहीं है। मैंने जो यह हद तीस एकड़ की बांधी है यह कोई नयी बात मैंने नहीं कही है। जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा १३, १५४, और १९६ में भी इसी प्रकार की व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा की गयी है कि जिसमें लिमिट बताई गई है कि लोगों की भविष्य होल्डिंग क्या हो। धारा १९६ में तो ५० एकड़ की बात रखी गई है लेकिन धारायें १३ और १५४ में यह साफ ३० एकड़ ही रखी गई है। तो हमारे प्रदेश की जैसी हालत है हम समझते हैं कि उसमें यह संशोधन जरूरी है। जहां हम जानते हैं ऐसे भी जमींदार और किसान हैं जिनके पास तीस एकड़ से ज्यादा जमीन है वहां हम यह भी जानते हैं कि भूमिहीनों की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या हमारे प्रदेश की है और मैं समझता हूं कि ३० एकड़ जमीन पांच, सात या दस आदमियों के परिवार के भरणपोषण के लिये काफी है। तो इसलिये इस संशोधन को मान लेने में मैं समझता हूं सरकार को कोई आपत्ति नहीं होगी और इस किस्म की कोई प्रतिबन्ध, यू० पी० टेनेंसी एक्ट की धारा १६ में भी इसी राज्य सरकार द्वारा रखा गया था जिसमें मध्यवर्ती की सीर की लिमिट बांध दी गयी थी और पचास एकड़ थी। उन धाराओं को माननीय सभी सचिव स्वयं देख लें। मैं अधिक समय लेना नहीं चाहता।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे संशोधन के बाद अगर आप दूसरी तरफ आज की कार्य सूची में भी। कांग्रेसी सदस्यों के संशोधनों को देखें तो उसमें नम्बर १६पर एक संशोधन माननीय श्री बलबहादुर सिंह जी का है। उसमें भी इस प्रकार की व्यवस्था रखी गई है और १६ (ए) पर माननीय बाबूराम सिंह कांग्रेसी का संशोधन है। उसमें भी इस समस्या को सुलझाने और हल करने का प्रयत्न किया गया है। उन्होंने यह अपने संशोधनों में कहा है कि अगर किसी असामी की काश्त पांच एकड़ से ज्यादा हो तो उसको बेदखल करते समय सब निकल जाती है कम से कम ५ एकड़ रहने देना चाहिए। इन दलीलों के साथ में यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो हमारे प्रदेश में हजारों

[श्री रामनारायण त्रिपाठी]

लाखों भूमिहीन किसान हैं उनकी समस्या का बहुत बड़ा हल हो सकेगा । उपाध्यक्ष महोदय, प्रादेशिक सरकार की ओर से बार बार कहा गया था और राजस्व मंत्री ने यह चैलेंज भी दिया था कि तीस एकड़ से ज्यादा के खाते हमारे यहां नहीं है और हमारे यहां भूमि के वितरण की समस्या बहुत कम है। तो इस बात के वादविवाद में न जाकर इतना तो जरूर है कि कुछ ऐसे खाते हैं जो तीस या पचीस एकड़ से ज्यादा हैं। ऐसी सूरत में जब कि प्लानिंग कमीशन ने मंजूर कर लिया है और आल इंडिया कांग्रेस वर्किंग कमेटी और पार्लियामेंट की कांग्रेस पार्टी ने इस बात की सिफारिश की है कि एक होल्डिंग सीलिंग बांधनी चाहिये और वह प्लानिंग कमीशन सरकार द्वारा बनाया हुआ है और वह भी हम लोगों की राय से सहमत है कि कोई न कोई सीलिंग किसानों और जमींदारों के लिये बांध देना चाहिये ताकि अनावश्यक जमीन उनके पास न रहे जिससे रोजगार करके वे जीवन की सुविधाओं के अलावा भी एशो आराम से जिन्दगी व्यतीत न कर सकें जब कि हमारे प्रदेश ऐसे लाखों किसान हैं जिनके पास बिल्कुल भूमि नहीं है, ऐसी हालत में यह हमारी ही सिर्फ मांग नहीं है बल्कि प्लानिंग कमीशन ने भी सीलिंग रखने के लिए कहा है तो राजस्व मंत्री या उनकी सरकार को यह भी आपत्ति नहीं उठ सकती कि सोशलिस्टों की तरफ से संशोधन पेश किया गया और अगर मान लेंगे तो सारा क्रेडिट उन्हीं को चला जायगा। मुझे खुशी होगी अगर सारा क्रेडिट सरकार ही हासिल कर ले। इन शब्दों के साथ मैं आशा करता हूं कि माननीय मौर्य जी इस पर सहानुभूति-पूर्वक विचार करेंगे।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री गेंदा सिंह जी का ध्यान विशेष रूप से इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि अगर इस संशोधन को स्वीकार कर लिया जाय तो उसके जो नतायज होंगे उन पर बहुत गौर करें और इस बात को देखें और विरोधी दल के सभी सदस्य यह बात देखें कि आज किसानों के हक में सरकार जाती है या सोशलिस्ट पार्टी का यह संशोधन ज्यादा जाता है। जो मौजूदा विधेयक की धारा १० है, उसके द्वारा हमने ढाई सौ से ऊपर के जमींदार की सीर पर जो शिकमी हैं उनको हमने मौरूसी अधिकार दे दिया। अब संशोधन अगर मान लिया जाय तो ३० एकड़ से ऊपर के तो बेदखल हो जायेंगे और ३० एकड़ तक बेदखल करके रखे रहेंगे। हमारा यह था कि २५० से ऊपर वाले माल-गुजार ने अगर सीर किसी को उठा दी है तो वह जोतने वाला मौरूसी काश्तकार हो जायगा। संशोधन के जरिये से ३० एकड़ तक की बेदखली जायज हो जाती है। तो ३० एकड़ तक के किसान तो बेदखल कर लिये जायेंगे लेकिन किसको बेदखल करेंगे, किसको नहीं करेंगे। मान लिया कि सौ एकड़ है, ३० एकड़ बेदखल किया गया तो किस किसान को बेदखल किया गया और किसको बेदखली से छोड़ दिया गया यह एक अलग समस्या खड़ी हो जायगी। वह तो एक मुसीबत हो जायगी। वह जो मध्यवर्ती होगा वह पहले एक किसान से कहेगा कि मैं तुम्हें बेदखल कर दूं और दूसरे रोज दूसरे किसान से एक हैंगिंग स्वोर्ड की तरह से कहेगा कि मैं तुम्हें बेदखल करूंगा। यह चीज होगी।

दूसरे जो अक्षमय व्यक्तियों के लिये आपका संशोधन है। उसके लिये हमने यह प्रतिबन्ध हटा लिया। हमने यह कहा कि अक्षमय व्यक्ति की सीर पर जो भी काश्तकार है अक्षमय व्यक्ति उनकी बेदखली करा सकता है। आपने यह कहा कि अक्षमय व्यक्ति भी ३० एकड़ से ऊपर का बेदखल करो, कम का न करो। उसमें एक दिक्कत होती है। हमने एक राइट वेस्ट कर दिया ऐसे व्यक्तियों को, चाहे वह ५० एकड़ का हो, १०० एकड़ का हो वह भी भूमिधर होगा। आज अगर हम उसको ३० एकड़ महफूज करके बाकी से उसके भूमिधरी के हक को ले लेते हैं तो जो राइट भूमिधरी

का वेस्ट किया गया वह डाइवेस्ट करना पड़ेगा और उसको कांस्टिट्यूशन के मुताबिक कम्पेंसेशन देना पड़ेगा और वह क्या होगा। वह नहीं होगा जो जमींदारी अबालिशन में दिया था, बल्कि अब उसको दूसरी रुपरेखा होगी। तो अब जिसको हमने भूमिधरी का हक़ दे दिया उसको लेने में मुश्किल पड़ती है, हम उनको डाइवेस्ट नहीं कर सकते। और सब के लिये कर दी। ३० एकड़ की बेदखली उसमें तो मैं कहूंगा कि आपने उन किसानों के साथ हमदर्दी नहीं दिखाई, क्योंकि हमने तो २५० से ऊपर की सीर के जितने काश्तकार हैं उनको मौरूसी का राइट दे दिया है, लेकिन आप कहते हैं कि ३० एकड़ उनसे छीन लिया जाय। तो यह संशोधन मानने के काबिल नहीं है। पहला अंश तो इसलिये नहीं है कि बहुत से किसानों को आप तबाह व बरबाद कर देंगे, दूसरा इसलिये नहीं है कि उसमें जो राइट वेस्ट हो गया है, उसको डाइवेस्ट नहीं कर सकते। इसलिये मैं समझता हूं कि इन कठिनाइयों को देखते हुए, शायद कुछ हद तक मध्यवर्ती इसको स्वीकार करने को तैयार हों लेकिन किसान नहीं तैयार होगा, इसलिये वापस ले लें।

श्री गेंदा सिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय मौर्य जी की बातों को सुनने के बाद में उनकी राय से अपनी राय को मिलता हुआ नहीं पाता हूं। परस्पर विरोधी दो बातें वह स्वयं कह रहे हैं। किसानों से तो उन्हें हमदर्दी है। और वह यह चाहते हैं कि २० एकड़ क्या अगर एक एकड़ का भी जमींदार हो और उसने अपनी जमीन दे रखी हो शिकमी पर तो उस शिकमी को मौरूसी हक देने की बात करते हैं। दूसरी तरफ वह यह कहते हैं कि हमने ऐसा अधिकार उसको दे रखा है भूमिधरी का कि अगर हम इस वक्त इस संशोधन को मान लेंगे तो डाइवेस्ट करने की बात हो जायगी। यह दोनों बातें हमारी समझ में नहीं आई कि किस तरह से दोनों बातों की दलील वह दे रहे हैं। डाइवेस्ट करने की बात को छोड़कर के मैं कहता हूं कि ३० एकड़ की बात वह क्यों छोड़ देना चाहते हैं? उनका जैसा इरादा मैंने सुना यह है कि थोड़ी जमीन भी जिसके पास हो चाहे वह एक एकड़ ही हो लेकिन अगर उसको दूसरे के कब्जे में दे रखा हो तो जमीन उसको मौरूसी हो जाय। मैं बहुत स्पष्ट इस बात को कहना चाहता हूं कि जमींदार नाम से हमें नफरत नहीं है। जमींदार के काम से नफरत थी। आज जमींदार समाप्त हो गये। जमींदारी समाप्त हो गई तो जमींदार नाम भी समाप्त हो गया। आज कोई जमींदार जो खेती करके अपनी गुजर करता है उसको हम समझते हैं कि उसके पास खेत रहना चाहिये। हम यह नहीं सोचते कि उसके पास से सारी खेती निकल जाय और फिर उसको भूख से मरने के लिये मजबूर किया जाय। लेकिन मौर्य जी का जो कहना है वह भूख से मरें हम ३० एकड़ का एक-एक एकड़ जमीन उनसे ले लेना चाहते हैं। दूसरी बात मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि आज जमींदार नहीं रहे और आज उस तरह की मालगुजारी जैसी मालगुजारी का हम सपना देखते हैं पुराने जमाने की उस तरह की मालगुजारी भी आज नहीं है। २५० रु० की बात सन् १९३९ में छेड़ी गई थी कि जो २५० रुपया का जमींदार हो और ५० एकड़ से ज्यादा सीर खुदकाश्त रखता हो तो उनके शिकमी काश्तकारों को मौरूसी हक दे दिया जायगा। उस जमाने की २५० रु० की मालगुजारी जो आज के २५० रु० की मालगुजारी से उसका कोई मुकाबिला नहीं। आज का २५० रु० का मालगुजार जो होगा वह लगान वसूल करने वाला मालगुजार नहीं होगा। २५० रु० का मालगुजार ज्यादातर तो खेत जोतने वाला होगा। जो सरकारी मालगुजारी का हिसाब था आज की मालगुजारी से भिन्न था अगर बिलकुल ठीक आंकड़े में नहीं पेश कर रहा हूं तो भी एक अन्दाजा हमारा है कि दो रुपये से कम प्रति एकड़ मालगुजारी की सारे उत्तर प्रदेश में थी। आज जो भूमिधर के ऊपर या मातहतवार के ऊपर या जो कोई भी सीरदार या भूमिधरी या खेत जोतने वाले इस प्रदेश के हैं उनकी मालगुजारी का औसत अगर हम देखें तो किसी भी हालत में वह ४ रु० प्रति एकड़ से नीचे नहीं पड़ेगा। ४ रुपया फी एकड़ होगा। तो ऐसी हालत में वह अनुपात और वह सारा हिसाब पहले का आज काम नहीं करता।

[श्री गेंदा सिंह]

आज २५० रुपये की मालगुजारी देने वाला कितनी जमीन का मालिक होगा यह देखना होगा। वह मुश्किल से ५० एकड़ का मालिक हो सकता है। ६० एकड़ का हो सकता है, ६२ एकड़ का हो सकता है या संभव है उससे कम का भी हो सकता है मगर लगान उसका ज्यादा हो और दुर्भाग्य की बात है कि अभी रामपुर स्टेट में जमींदारी विनाश कानून लागू नहीं है, नहीं तो रामपुर में तो और कम जमीन का मालिक था जहां कि ८ रु० और १० रु० एकड़ उसका लगान जारी है। तो ऐसी हालत में उसकी तुलना करना इस वक्त मैं मुनासिब नहीं समझता। मैं बहुत ही सीधा सादा उसका मतलब लगाना चाहता हूं, सीधी बात कहना चाहता हूं कि यह मालगुजारी का हिसाब छोड़ कर हमको आइनी के रकबे पर अपना हिसाब रखना चाहिये और उसी मंशा के मुताबिक यह रखा गया है कि अगर ३० एकड़ तक किसी के पास जमीन हो। तो वैसी हालत में वह अपनी जमीन के मालिक रह सकते हैं। जिस तरह की शंका माननीय मौर्य जी को हो रही है कि तीस एकड़ के नीचे वाले को बेदखल कर लेंगे, तो उनकी सेवा में मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि अभी तो उनकी २३७ धारा इसी अधिनियम की मौजूद है और उसके अनुसार मैं समझता हूं कि उनकी हिफाजत हो जायगी जो तीस एकड़ से नीचे वाले के शिकमी होंगे और मैं समझता हूं कि वे इस चीज को करने भी नहीं जा रहे हैं कि उनकी बेदखली का अधिकार देवें। मैं नहीं चाहता और न इस संशोधन का मतलब ही है कि इस तरह से लोग बेदखल किये जायं। आगे जो अभी संशोधन आयेगा उसको मैं चाहूंगा कि वे गौर से पढ़ लें। हम लोगों का वह संशोधन भी है और उस संशोधन में इस तरह की गुंजाइश की गयी है कि ऐसे लोग बेदखल न होने पावें। इसलिये वह दलील बहुत ठीक नहीं मालूम होती। हां, एक बात जरूर है कि इस पर मैं आगे उनकी सेवा में निवेदन करूंगा लेकिन इस समय मैं सदन का समय नहीं लेना चाहता हूं क्योंकि अभी एक संशोधन आगे ही आने वाला है और वह तमाम दलीलें जो इस वक्त मैं दे रहा हूं उस पर दे लूंगा। इस समय जो भ्रम माननीय मौर्य जी को था और जो सदन के सामने रखा गया था केवल उसी भ्रम को मैं मिटा देना चाहता हूं। हो सकता है कि यह कहा जाय कि हम घूम फिर करके फिर भूमि बटवारे की बात करना चाहते हैं लेकिन जमीन के बटवारे की बात हम आज नहीं करना चाहते हैं यह तो स्वयं माननीय मौर्य जी ने, जो कानून बनाया था सन् १९३९ ई० में, उस कानून के अनुसार ५० एकड़ की सीमा मुकर्रर कर दी थी। अब ५० एकड़ से इस जमींदारी विनाश अधिनियम में उन्होंने ३० एकड़ की सीमा मुकर्रर कर दी है। वही बात मैं कह रहा हूं कि तीस एकड़ की सीमा यदि सरकार मुकर्रर करती है तो उसको व्यवहार में आना चाहिये। यह तो जरूर उन्होंने कर दिया कि तीस एकड़ से ज्यादा जमीन कोई खरीद नहीं सकेगा, किसी को ज्यादा जमीन दी नहीं जायगी, लेकिन इस संशोधन से यह हो जायगा कि जिन लोगों के पास तीस एकड़ से अधिक भूमि है और उन्होंने अपनी जमीन को जिनको शिकमी पर दे रखा है, तो उन शिकमियों को मौरूसी अधिकार मिलना चाहिये। इस संशोधन का बहुत सीधा साधा मतलब है कोई इसके पीछे दूसरा उद्देश्य नहीं है। जमीन के बटवारे की यह बात नहीं है। जमीन के बटवारे की बात तो हम सीधे सीधे कहते हैं। उसके कहने में कोई संकोच नहीं करते हैं और फिर वह तो करना ही पड़ेगा, चाहे आज करें चाहे कल करें। इसलिये मैं यह कैसे कहूं कि माननीय मौर्य जी को भ्रम हो गया है, क्योंकि वे हमारे बुजुर्ग हैं, उनको भ्रम हो नहीं सकता है, इतना है कि अब स्पष्टीकरण हो गया होगा और उसके अनुसार अब वे विचार करेंगे।

(इस समय ४ बजकर १२ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

श्री कमला सिंह—अध्यक्ष महोदय, एक संशोधन मेरा इसके साथ ही है। दोनों साथ ही ले लिये जाते तो बहुत सुन्दर होता।

श्री अध्यक्ष—अच्छी बात है, आप भी उपस्थित कर दीजिये। इससे समय ही बचेगा।

श्री कमला सिंह—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ५ के उपखंड (१) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

"(१) ऐसे मध्यवर्ती मातहतदार (under proprietor) अदना मालिक (sub-proprietor) या दवामी काश्तकार (permanent tenure holder) की अभिलिखित सीर या खुदकाश्त का प्रत्येक काश्तकार जो निहित होने के दिनांक के ठीक पहले के दिनांक पर उत्तर प्रदेश में ३० एकड़ से अधिक भूमि पर खेती करने के रूप में काबिज हो इस अतिरिक्त भूमि का मौरूसी काश्तकार समझा जायगा और उसके लगान की दर वही समझी जायगी जो उक्त दिनांक पर उसके द्वारा देय हो और धारा १८ के प्रयोजनों के लिये ऐसी भूमि सीर नहीं मानी जायगी।"

अभी तक जहां तक धारा १० जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था का संबंध है उसके खंड १ अन्दर ढाई सौ रुपये से अधिक के जो जमींदारान हैं उनकी बात की गयी थी। यदि सरकारी रिपोर्ट जो जमींदारी उन्मूलन के मुताल्लिक है उसको देखा जाय तो उसमें ढाई सौ उपर लगान देने वाले जो जमींदारान हैं उनकी संख्या ३० हजार १४२ है। और इसके और इसके नीचे वाले जो हैं उनकी संख्या १९,८६,६४३ है। इस तरह से जितनी रेलीफ ढाई सौ रुपया लगान पर दी जाती है वह सिर्फ ऐसी हुई कि ३० हजार संख्या के जो लोग हैं उन्हीं लोगों की जायदाद के ऊपर जो असामी हैं उनको काश्तकारी का हक दिया गया है। लेकिन १९ लाख जो जमींदारों की संख्या है उनके पास भी अक्सर यह देखा गया है कि हजारों बीघे या १०० बीघे से ज्यादा भूमि पड़ी है और ऐसी परिस्थिति में है कि उसको न वे खुद जोत सकते हैं न वे दूसरों को दे सकते हैं। इस तरह से उनको भी कठिनाई है। और साथ ही साथ १० के खंड २ में जमींदारों में ऐसे लोग हैं जो स्त्री, पागल या जड़ लोग हैं या ऐसे लोग हैं जो मिलिटरी के अन्दर है। उन लोगों के अधिकार की हम हर तरह से रक्षा करना चाहते हैं। ये लोग ऐसे हैं जो खुद अपनी जमीन की देखभाल नहीं कर सकते हैं, उसे खुद नहीं जोत सकते हैं। अब सोचना यह है कि उन लोगों के पास जमीनें देने जा रहे हैं जो कि खुद उनका इन्तजाम नहीं कर सकते, जो अंधे हैं या लंगड़े हैं या माइनर वगैरह हैं। साथ ही साथ १३५९ फसली का जब विधेयक इस सदन के अन्दर आया था उसमें इस सरकार ने उद्देश्य और कारणों में यह दिया था कि हमारा उद्देश्य यह है कि "लैंड शुड गो टु दि टिलर आफ दि स्वाएल"। यह हमारा सिद्धांत शुरू से ही है कि भूमि उसी को देनी चाहिये जो कि अपने हाथ से खेती करता है। अब जहां तक इस सिद्धांत का सवाल है अगर इस विधेयक के अन्दर धारा १०(२) को लीजिये तो उसमें स्त्री, पागल या जड़ ऐसे लोग हैं जिनकी रक्षा की जा रही है। उनके पास अधिक से अधिक जायदाद जो पहले थी वह अब भी मौजूद है। उसका किसी तरह से वितरण नहीं हो रहा है। नतीजा यह होगा कि जो डिसेंट्रालाइजेशन की पालिसी पहले से थी वह बाक़ी है। हमारा हमेशा यह उद्देश्य होना चाहिये कि जमीन उन लोगों को देने की कोशिश करें जो उस जमीन को खुद जोतें। और ऐसी हालत में जहां तक धारा १०(२) का संबंध है उसमें ऐसे लोगों से जितनी जमीन हो सके छीनने की कोशिश करनी चाहिये। हां, एक चीज हमारे माननीय राजस्व मंत्री जी जो इस सदन के सामने पेश करें वह हो सकता है कि उनके मेंटिनेंस का सवाल पेश करें। तो मेंटिनेंस के लिये जैसे जमींदारी हम लोगों ने हासिल की और जमींदारों को वसगुना दिया उसी तरीके से उनको भी कुछ रुपया दे सकते हैं कम्पेनसेशन या प्रतिकर के तरीके पर। रुपया अगर उनको मिल जाता है तो उनकी मेंटिनेंस की भी प्राबलम हल हो जाती है और इस प्रदेश में खाद्य की समस्या की वजह से जो कठिनाई हो रही है वह भी हल हो जायगी और जो लैंडलेस लोग हैं या जिनके पास ८ या १० एकड़ से कम जमीन है उनको जमीन पाने का भी हल हो जाता है। साथ ही साथ यह भी हमें देखना है कि इस विधेयक के अन्दर जो उद्देश्य है, यानी एक खानदान के लिये जो मैक्सिमम जमीन रखी गयी है वह १५४ धारा में साफ़ दिया हुआ है कि ३० एकड़ से ज्यादा किसी खानदान के पास नहीं होनी चाहिये। हमारा यह

[श्री कमला सिंह]

निश्चित मत है। और यही उद्देश्य था जिसकी वजह से हम लोगों ने उन लोगों के रास्ते में जो ३० एकड़ से ज्यादा जमीन खरीदना चाहते हैं हर तरह की रुकावट डाली है। इतना ही नहीं बल्कि १६५ धारा को देखिये तो इसमें ३० एकड़ ही रखा है और धारा १३ में भी ३० एकड़ का ही जिक्र किया गया है। इस तरह से इस विधेयक के अन्दर यह देखा गया है कि ३० एकड़ जमीन हर आदमी या खान्दान को देने के लिये कोशिश की गई है और साथ ही साथ जहां तक बेदखली का सवाल है जो ८ एकड़ से कम भूमि वाले हैं उनके शिकमी या काश्तकारों के लिये बेदखली के आदेश दिये हैं। ऐसी हालत में मैं उम्मीद करूंगा कि अगर वही पालिसी रहती है तो जो अब तक रही है कि २५० रुपये के ऊपर के जो जमींदार हैं उनको भूमिधरी या मौरूसी काश्तकार कर दें तो हितकर होगा। ऐसी हालत में जब हमारे यहां भूमि वितरण की समस्या बड़े जोरों से चल रही है तो मैं उम्मीद करूंगा कि इस चीज को दूर करना चाहिये।

इसके साथ ही साथ श्री गेंदा सिंह जी ने कहा है कि माननीय उप राजस्व मंत्री ने कहा है कि जो जमींदार २५० रुपये के हैं उनके पास जमीन नहीं रखना चाहते हैं। मैं नहीं समझता कि एक बड़ा आदमी जो खेती की इच्छा रखता है तो हम उसके पास कोई भी जमीन न छोड़ें। हमारी जो यह कोशिश होनी चाहिये कि ऐसा आदमी जो खेती खुद कर सकता है या देश का फायदा कर सकता है या अधिक अन्न उपजाओ योजना को कार्यान्वित करने की कोशिश कर रहा है तो ऐसे लोगों को हमें ज्यादा से ज्यादा जमीन देना चाहिये। इस उद्देश्य को लेकर मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय राजस्व मंत्री जी इसको स्वीकार करेंगे और २५० रुपये के ऊपर के जमींदारों के बारे में विचार करेंगे और जिनके पास ३० एकड़ से ज्यादा जमीन है उनको बेदखल करने की कोशिश करेंगे। इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन को सदन के सामने रखता हूं।

श्री रामसुन्दर पांडेय—अध्यक्ष महोदय, मैं अपने साथी श्री रामनारायण त्रिपाठी और श्री कमला सिंह के संशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ माननीय मौर्य जी के आश्वासन के बाद या यह कहने के बाद कि आप लोग पीछे जा रहे हैं तो मैं एक शंका या एक प्रश्न कर चाहता हूं राजस्व मंत्री जी से कि धारा १० है जिसमें स्त्री अवयस्क, पागल, दुर्बल और सैनिक व्यक्तियों को छूट दी गई है। मैं यह जानना चाहता हूं कि यह व्यक्ति जो अक्षम हैं जो उनके अभिवावक थे उनके खेतों पर कोई शिकमी है, उनका हाल क्या होगा। जो धारा है अगर वह मंजूर हो जाती है तो इस तरह से वहां भी अगर कोई किसान, जमींदार या मध्यवर्ती के खेत पर काबिज है तो वह भी बेदखल किया जा सकेगा।

अध्यक्ष महोदय, यह बहुत बड़ी परेशानी है और मैं समझता हूं कि इससे हमारे प्रदेश में हजारों आदमी ऐसे हैं जो ऐसे ही खेतों पर जिन्दगी बिताते हैं। अध्यक्ष महोदय, कानून यह है कि पति के मर जाने के बाद अगर अकेली विधवा औरत होती है तो उसके नाम से ही सारी जायदाद मिलती है तो जब उसके घर में सिवाय उस स्त्री के और कोई नहीं है तो वह जायदाद उस स्त्री को जो ३० एकड़ से ज्यादा खेत है वह मिलेगा। अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा जो पागल है, जड़ है, शरीर से दुर्बल है तो ऐसे लोग ३० एकड़ पर या हजारों एकड़ पर या सैकड़ों एकड़ पर उसके अनुसार उनके खेत बने रहेंगे और उन खेतों पर शिकमी जो सैकड़ों हजारों वर्षों से खेत जोतते चले आ रहे हैं वे बेदखल किये जा सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा राजस्व मंत्री जी से अर्ज करना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश में एक बहुत बड़ी फौज है ऐसे लोगों की जो जिन्दगी से शिकमी के ही खेतों को जोतते चले आ रहे हैं और जब ये बेदखलियां हो जायंगी तो ऐसी बड़ी जबरदस्त फौज इकठ्ठा हो जायगी जिसकी रक्षा करना इस सरकार के लिये बहुत मुश्किल हो जायगा। मैं जब देखता हूं कि ऐसे मजदूर, किसान

हर गांव में बीसियों की तादाद में मौजूद हैं और उनके परिवार बहुत लम्बे हैं लेकिन एक बिस्वा भी खेत उनके पास नहीं है, शिकमी के खेतों को ही वह जोतते चले जा रहे हैं। इन बेदखलियों द्वारा वे बिना खेत के होने वाले हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय राजस्व मंत्री से पूछना चाहता हूं बान की जमीन का वितरण करने के लिये ऐक्ट बनाया गया और यह सदन ऐसे लोगों को जो हरिजन हैं उनको जमीन से निकालने के लिये यह सदन ऐक्ट बनाने जा रहा है, मैं समझता हूं कि अध्यक्ष महोदय, यह बहुत खराब बात होगी और उन लोगों के लिये खराब होगी जो आचार्य विनोबा भावे के पीछे पीछे घूमते हैं और यही नहीं उनकी मांग में पूर्ण सहानुभूति रखते हैं। अध्यक्ष महोदय, यह मैं बहुत ही अदब के साथ राजस्व मंत्री से पूछना चाहता हूं कि इस संशोधन से जो हमारे साथी गेंदा सिंह और राम नारायण जी ने पेश किया है इससे यह मसला हल होने वाला है। मैं नहीं समझता कि जब माननीय राजस्व मंत्री जैसे जिस संख्या (वर्किंग कमेटी) के सिपाही हैं जिसने यह फैसला कर लिया है कि जमीन का बटवारा होगा और बिना जमीन का बटवारा किये बिना जमीन गरीब लोगों के दिये हमारे देश की अन्न की समस्या हल नहीं हो सकती। २७ दिसम्बर को मैं माननीय राजस्व मंत्री जी से मिलने गया था। उन्होंने कहा कि मैं यह चाहता हूं कि जो लोग अपने हाथ से खेत नहीं जोतते, हल नहीं चलाते, खेती बाड़ी नहीं कर सकते उनसे जमीन जरूर छीन लेनी चाहिये। यदि मैं झूठ कहता हूं तो माननीय मंत्री जी को इंकार कर देना चाहिये। उस दिन मैं बहुत प्रसन्न हुआ और सोचा हो सकता है कि आगे दिनों में यह संशोधन आने वाला है और माननीय राजस्व मंत्री जी अपने कथनों को पूरा करने की हिम्मत करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, लेकिन जब मैं देखता हूं कि हमारे मित्र कमला सिंह और श्री रामनारायण त्रिपाठी जी के संशोधन के खिलाफ मौर्य जी खड़े हो गये तो बड़ी परेशानी मालूम होती है। अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि सदन का एक व्यक्ति जो सही मानी में अन्न की समस्या को हल करना चाहता है, अध्यक्ष महोदय, हमारे देश में अन्न की विकट समस्या है हमारे देश के नेताओं को भीख मांगना पड़ती है, दूसरे देशों से गल्ले के लिये भीख मांगनी पड़ती है, एक तरफ किसान जो सही मानी में खेती करना चाहता है, हल जोतता है उसको हम बेदखल करने जा रहे हैं, इससे यह समस्या कैसे हल हो सकती है।

श्री चरण सिंह—क्या मैं अपने मित्र से सजेस्ट कर सकता हूं कि फूड प्रोडक्शन ड्राइव पर तो बहुत कुछ कहा जा सकता है लेकिन यह संशोधन उससे ज्यादा मुताल्लिक नहीं है। अगर अमेंडमेंट तक ही वह अपने को कंफाइन करें तो मुनासिब होगा। इससे समय नष्ट होता है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—माननीय अध्यक्ष महोदय, एक तरफ तो अन्न की समस्या हल करने का सवाल है और दूसरी तरफ जो अन्न पैदा करने वाले मजदूर हैं, किसान हैं उनको जब खेत देने की बात आती है तो राजस्व मंत्री उससे मुकरते हैं।

अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मैं यह चाहता हूं कि सरकार हमारे साथियों के इस संशोधन को स्वीकार कर ले। अगर यह मान लिया जाता है तो इससे अन्न की समस्या हल होने में बहुत सहायता मिलेगी। नहीं तो इसी तरह से हमको दूसरे देशों से भीख मांगते रहना होगा। माननीय राजस्व मंत्री जी ने जो कहा है कि मैं भी उसके अनुसार सदन का समय बचाने के लिये ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं और मंत्री जी से उम्मीद करता हूं कि वह इस संशोधन को स्वीकार करेंगे।

श्री अवधेश प्रताप सिंह—अध्यक्ष महोदय, मैं इस संशोधन के विरोध में खड़ा हुआ हूं। जब हमारे माननीय सदस्य यह कहते हैं कि जमींदार या भूतपूर्व जमींदार खेत नहीं जोत सकते हैं तो इसके क्या माने हैं? क्या जितने इस सूबे में जमींदार रहते हैं उनके हाथ नहीं है जिसके पास ३० एकड़ से ज्यादा है उनके असामियों को मौरूसी करार दिया जाय इस तरह

[श्री अवधेश प्रताप सिंह]

की बात कहने से कोई लाभ होने वाला नहीं है। अगर एक जमींदार अन्न पैदा करता है तो उससे भी सारा देश फायदा उठाता है। जमींदार और काश्तकार के अन्न पैदा करने में कोई अन्तर नहीं है और न हो सकता है। इस तरह की बातें यहां पर कही जाती हैं जो कि बिलकुल निराधार है और निस्सार हैं। मैं समझता हूं कि इस तरह की बातों के यहां पर कहे जाने से सदन का समय बरबाद होता है। अगर इस तरह की बातों के लिये इस सदन का समय न लिया जाय तो बहुत अच्छा है। संक्षेप में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जमींदार के भी हाथ पैर हैं और वह भी हल जोत सकता है और वह जो अन्न पैदा करेगा वह भी दूसरे अन्न से भिन्न नहीं होगा।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—अध्यक्ष महोदय, इस संशोधन के विपक्ष में मौर्य जी ने दो प्रश्न उठाये। पहला तो यह कि अब प्रजा सोशलिस्ट पार्टी जमींदारों के पक्ष में होती चली जा रही है। उन्होंने यह कहा कि हमने पहली धारा १० के अनुसार मौजूदा विधेयक में यह व्यवस्था की है कि २५० के ऊपर जो मालगुजारी देते हैं उनके असामी असल मौरूसी काश्तकार हो जायं। । अगर हम ३० एकड़ जमीन मान लेते हैं तो इसका मतलब यह है कि अगर २५१ रुपया कोई मालगुजारी देता है और ऐसा जमींदार है जिसके पास ३० एकड़ से कम जमीन है तो वह उनको बेदखल नहीं कर सकता है। लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्व मंत्री जी के प्रस्तुत बिल में जमींदारी अबालिशन ऐक्ट की धारा १० के अनुसार कोई योजना नहीं थी अब अगर २५० रुपये मालगुजारी या २५० रुपये लगान तक की जो हद बांधी जाती है तो इसका नतीजा यह होगा कि समस्या का कोई सुनियोजित हल नहीं होता हो यदि सरकार यानी ३० एकड़ तक की हद बान्धे तो यह समस्या सुलझ सकती है। अगर कोई २५० रुपये से ऊपर का मालगुजार है तो उसको ३० एकड़ तक बेदखली करने का अधिकार होना चाहिये। इसका नतीजा लाजिमी यह होगा कि २५० के नीचे बहुत से ऐसे जमींदार हैं जिनके पास ३० एकड़ से बहुत अधिक जमीन हैं उनकी जमीन भी काश्तकारों को मिल जायगी। इसमें थोड़ा सा भेद हो सकता है लेकिन सैकड़ों जमींदार ऐसे हैं जो कहने को तो छोटे जमींदार हैं और २५० रुपया मालगुजारी देते थे और उनके पास जो जमीन थी उसका उन्होंने असामियों को उठा रखा था। दूसरी तरफ २५० रुपया लगान देने वालों का किसानों का जहां तक सम्बन्ध है अगर उन्होंने भी उठा रखा है तो उनके काश्तकार भी असामी होंगे और वे भी मौरूसी काश्तकार हो जायंगे। यह भी कहा जाता है कि ३० एकड़ के ऊपर अगर असामी हैं वे भी बेदखल हो जायेंगे। जो छोटे जमींदार हैं या काश्तकार हैं और जिनके पास जमीन है उनके ऊपर भी इसका असर पड़ेगा।

दूसरी चीज यह है कि अगर मौर्य जी की बात दलील के लिये मान ली जाय कि ऐसे जमींदार ज्यादा हैं जो २५० रुपया के ऊपर के हैं या जिनके पास ३० बीघे से ज्यादा सीर है। अगर एक तरफ कुछ जमींदारों को जिनका दोष केवल यही है कि वह २५० रुपये से ज्यादा के मालगुजार थे कुछ फायदा हो जाता है तो दूसरी तरफ उससे कई गुना ज्यादा, सैकड़ों गुना किसानों का भी लाभ हो जाता है यह तो कोई ठीक बात न होगी कि जो २५० रुपये से ऊपर का मालगुजार है वह अगर सीर दे दे तो वह खुद भीख मांगे और अगर ढाई सौ रुपये से नीचे का मालगुजार है अगर वह २०० बीघे भी उठा देता है तो वह बेदखल हो जाय इससे कुछ जमींदारों का लाभ अवश्य होगा लेकिन किसानों का कहीं ज्यादा फायदा होगा। इसलिये कि उससे तो किसानों की भी जमीन छिन जायगी और ढाई सौ रुपये से नीचे मालगुजारी देने वाली जमींदार की भी जमीन छिन जायगी जो ३० एकड़ से ज्यादा होगी और यह योजना हमारे संशोधन के अन्तर्गत आ जाती है। दूसरे धारा १० की उपधारा २ में अक्षम व्यक्तियों का जिक्र है, उसमें कहा गया है कि कोई स्त्री

हो तो उसके लिये प्रतिबन्ध लागू नहीं होगा जो ढाई सौ रुपये से ज्यादा की मालगुजार हो। मैं माननीय मौर्य जी का ध्यान ऐक्ट की धारा २५७ की ओर दिलाना चाहता हूं जिसमें उन्होंने कुछ लोगों को जमीन पट्टे पर देने का अधिकार दिया है और उसकी उपधारा १ का जो सब-सेक्शन (ग) है उसमें अविवाहिता, परित्यक्ता या विधवा हो और अगर भूमिधर की स्त्री हो तब भी दिया गया है परन्तु धारा १० की उपधारा (२) के अनुसार अगर जमींदार की स्त्री हो पति जिन्दा भी हो और २५० रुपये से ज्यादा मालगुजारी देता हो तब भी प्रतिबन्ध लागू नहीं होगा, ऐसे ही माइनर्स के बारे में है। तो धारा १० और १५७ आपस में कान्ट्रेडिक्टरी हैं। किसानों के मामले में तो यह रखा गया है कि अविवाहिता, परित्यक्ता हो या विधवा हो लेकिन जमींदार स्त्री के लिये केवल स्त्री होना काफी है चाहे उसका पति जिन्दा हो लेकिन हम यह रखना चाहते हैं कि चाहे कोई भी हो हम सबको ३० एकड़ देना चाहते हैं और अगर किसी के पास ज्यादा है तो वह सरकार लेकर गांव सभा में निहित कर दे और उसके बाद वहां से सब जमीन का बटवारा हो सकता है।

दूसरा प्वाइंट जो क़ानूनी उठाया गया है कि एक जुलाई को यह क़ानून लागू हो गया और कुछ हकूक लोगों में निहित हो गये और अगर हम उसके बाद कुछ करते हैं तो उसका मुआविजा देना पड़ेगा। लेकिन हम यह घोषणा करना चाहते हैं कि हम जमींदारों को मुआविजा दिये जाने के विरुद्ध थे लेकिन अगर किसानों को मुआविजा देना भी पड़ जाय तो माननीय राजस्व मंत्री महोदय उस मुआविजे का प्रबन्ध रूल्स के वक्त कर सकते हैं और १५ गुने का रेट अधिवासियों के लिये तो खुला ही है, वह भूमि धर हो जायं ५ गुना मालिक को और दस गुना सरकार को दे दें, अगर सरकार चाहे तो उसको इसमें कोई दिक्कत न होगी। अगर यह कानूनी दिक्कत है तो मुआविजा उनको देने में कोई हर्ज नहीं है। इससे बड़ी भारी समस्या का हल होता है। दो एक जिलों का मुझे मालूम है। रायबरेली में ऐसे-ऐसे कितने ही अवयस्क हैं जिनकी जोत पर हजारों बीघे के किसान खेती करते हैं उनका क्या हाल होगा, उनको तो यह फिक्र है कि हमारे संशोधन से कुछ जमींदारों को लाभ हो जायेगा, लेकिन यह भी देखना चाहिये कि यह सैकड़ों, हजारों किसान जो बेरोजगार हो जायंगे, खेती विहीन हो जायंगे उनका क्या होगा, इसका जवाब सरकार के पास क्या है। मुआविजा देकर भी अगर ऐग्जम्पटेड व्यक्तियों की जमीन ली जा सकती है क्योंकि वेस्टिंग पहली तारीख को हो चुकी है तो उसकी भी व्यवस्था हो सकती है। यह मांग हमारी ही नहीं है बल्कि दिल्ली की सरकार द्वारा बनाये हुये प्लानिंग कमीशन की भी यही सलाह है। माननीय जवाहरलाल जी ने भी घोषणा की है कि अब जमींन की सीलिंग बांधनी होगी। इन शब्दों के साथ मैं आशा करता हूं कि माननीय राजस्व मंत्री जी कम से कम इसे जरूर मान लेंगे।

श्री चरण सिंह—मैं यह समझता हूं कि यह संशोधन ग़लतफहमी पर मबनी हैं। कुछ ऐसा खयाल है कि २५० रुपये से बड़े मालगुजार का सीर का काश्तकार तो मौरूसी हो जाता है और लिहाजा सीरदार हो जायगा और २५० रुपये से छोटे मालगुजार का सीर का काश्तकार बेदखल हो रहा है। क़ानून में तो यह है कि कोई भी बेदखल नहीं होने वाला है चाहे २५० रुपये से बड़े मालगुजार की सीर का काश्तकार हो या इससे छोटे मालगुजार की सीर का काश्तकार हो। यदि यह क़ानून है तो फिर ये संशोधन बिल्कुल गैरजरूरी हैं। २५० रुपये से बड़े मालगुजार की सीर का जो काश्तकार है उसे हमने सीरदार क़रार दे दिया। दफा १० में हमने उसे हियरिडिटेरी टेनेंट माना और दफा १६ में उसे सीरदार कह दिया। दफा २० के अन्दर हमने छोटे मालगुजार की सीर के काश्तकार को अधिवासी क़रार दे दिया। मान लीजिये कि ८० रुपये का मालगुजार है और उसकी सीर है महज १५ एकड़ और ५ एकड़ में उसका एक टैनेंट है, तो वह बेदखल नहीं होगा। वह अधिवासी

[श्री चरण सिंह]

होगा। आप उसमें ३० एकड़ की शर्त रख रहे हैं कि ३० एकड़ तक वह बेदखल करा ले और उससे ज्यादा सीर हो तब उसके पास रहे। हमारे यहां ३० एकड़ का कोई ख़याल नहीं है। ३० एकड़ हो या ५ हो या १५०० एकड़ हो, किसी भी सीर का काश्तकार बेदखल नहीं होगा। सिर्फ फर्क है कि उन काश्तकारों की आगे की हैसियत में फर्क है और वह यह है कि २५० रुपये से बड़े मालगुजार की सीर का काश्तकार सीरदार होगा और २५० रुपये से कम मालगुजार की सीर का काश्तकार अधिवासी होगा। लिहाजा ३० एकड़ का सवाल कहां उठता है? यह इतने व्याख्यान की और फूड प्रोडक्शन की बात इसमें लाने की गुंजायश नहीं थी। इसलिये मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य इन संशोधनों को वापस ले लेंगे। अगर राजनारायण जी बनारस में जाकर किसी वकील से पूछेंगे तो वह यही कहेगा कि वापस लेकर ठीक किया वर्ना किसानों को नुक़सान होता और इसी पर उन्हें प्रगतिशील होने का सर्टीफिकेट मिल जाता। यह संशोधन पास होने वाले तो नहीं हैं लेकिन अगर मंजूर किये जाते हैं तो सोशलिस्ट पार्टी के माथे में कालिख लग जायगी।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—मैं अपना संशोधन वापस नहीं लेता।

श्री कमला सिंह—मैं अपना संशोधन वापस नहीं लेता।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि—खंड ५ में प्रस्तावित मूल अधिनियम की धारा १० के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"ऐसी भूमि का प्रत्येक काश्तकार जो ऐसे मध्यवर्ती की सीर लिखी हो जिसके खेवट में निहित होने के दिनांक से पहले के दिनांक पर ३० एकड़ से अधिक सीर दर्ज हो या ऐसे सीरदार के असामी जिसके खेत में ३० एकड़ से अधिक जमींन हो उक्त भूमि के मौरूसी काश्तकार समझे जायेंगे और उनके लगान की वही दर समझी जायगी जो उक्त दिनांक पर उनके द्वारा देय हो और धारा १८ के प्रयोजनों के लिए मध्यवर्ती की ऐसी भूमि सीर नहीं मानी जायगी।"

खंड ५ के उपखंड (१) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"(१) ऐसे मध्यवर्ती, मातहतदार (under proprietor), अदना मालिक (sub proprietor), या दवामी काश्तकार (permanent tenure holder) की अभिलिखित सीर या खुदकाश्त का प्रत्येक काश्तकार जो निहित होने के दिनांक के ठीक पहले के दिनांक पर उत्तर प्रदेश में ३० एकड़ से अधिक भूमि पर खेती करने के रूप में काबिज हो इस अतिरिक्त भूमि का मौरूसी काश्तकार समझा जायगा और उसके लगान की दर वही समझी जायगी जो उक्त दिनांक पर उसके द्वारा देय हो और धारा १८ के प्रयोजनों के लिये ऐसी भूमि सीर नहीं मानी जायगी।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

राजा वीरेन्द्र शाह (जिला जालौन)—मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव पेश करना चाहता हूं कि खंड ५ का उपखंड (१) निकाल दिया जाय।

श्रीमान्जी, मैं इसको पढ़ देना चाहता हूं :—

"५—मूल अधिनियम की धारा १० की —

(१) उपधारा (१) में शब्द 'वार्षिक मालगुजारी पर देय हो और शब्द 'उस भूमि का मौरूसी काश्तकार' के बीच में शब्द या 'मातहतदार' अदना मालिक या दवामी काश्तकार की दशा में उसके द्वारा प्रति वर्ष देय लगान २५० रुपये से अधिक हो' रख दिये जायं।"

श्रीमन् इसके द्वारा सरकार यह चाहती है कि जो जमींदारी अबालीशन बिल में धारा १० में जमींदारों के २५० रुपये से ऊपर सीर और खुदकाश्त के शिकमी थे उनको सरकार ने सीरदार बना लिया, अभी मंत्री महोदय ने यह बतलाया। अब सरकार यह चाहती है कि मातहतदार और अन्डर प्रोपराइटर रह गये हैं, जो छोटे जमींदार या छोटे काश्तकार हैं उनके काश्तकारों को भी सरकार इस संशोधन के द्वारा यह चाहती है कि उनको सीरदार बना दिया जाय। मैं आपके द्वारा सरकार से यह कहना चाहता हूं यह चीज जब बिल पेश हुआ था तब क्यों नहीं रखी गयी जो इतने दिनों के बाद रखी गयी है। इतने दिनों बाद आदमियों को कितनी परेशानी होगी जो लोगों के पास बच गयी थी उससे भी बेदखल हो जायेंगे और न जाने क्या क्या झगड़े पड़ेंगे। यह तो सोचना ही चाहिये था कि यह किस वजह से छोड़ दिया गया था। वैसे वे लोग शिकमी पर उठाते ही नहीं थे लेकिन अगर गरीबी के कारण उन्होंने उठा भी दिया तो अगर उनको शिकमी का हक़ दे दिया जायगा तो उनके साथ बड़ा अन्याय होगा। मैं समझता हूं कि इस स्टेज पर यह संशोधन न लाया जाय तो बड़ी कृपा होगी।

शनिवार, १० जनवरी, १९५२ को सदन की बैठक करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव

माल मंत्री (श्री चरण सिंह)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, १९५२ अत्यन्त आवश्यक विधेयक है, अतएव नियम ११ को निलंम्बित करते हुए सदन की बैठक १० जनवरी, १९५३ शनिवार को भी होगी और यह बैठक सायंकाल ५ बजे के बाद भी जब तक विधेयक पारित न हो जाय, रहेगी।

राजा वीरेन्द्र शाह (जिला जालौन)—श्रीमन्, अभी जो संकल्प राजस्व मंत्री जी ने उपस्थित किया है, मैं उसका विरोध करता हूं। कि सरकार यह जो कहती है कि इस बिल का पास करना बहुत जरूरी है इसलिये शनिश्चर को भी भवन का बैठना आवश्यक है, मैं समझता हूं श्रीमन्, कि कांग्रेस का अधिवेशन होने वाला है इस बात को न कह कर सरकार इस तरह से कहना चाहती है कि यह बिल बड़ा अहम है इसलिये इसको पास करने के लिये शनिश्चर को भी बैठना चाहिये। मैं समझता हूं कि बहुत से मेम्बरान जो जाना चाहते हैं वे तशरीफ ले जायं लेकिन कोरम तो आपका इस भवन में रहेगा ही। बार बार आपका यह कहना कि हम शनिश्चर को बैठें इसके लिये कोई माकूल वजह नहीं है जिसकी वजह से ऐसी बात कही जाय वैसे हमें शनिश्चर को बैठने में कोई एतराज नहीं है अगर काम जरूरी हो लेकिन मैं समझता हूं कि हम सोमवार को बैठ सकते हैं। यह कोई जरूरी नहीं है कि चूंकि आप अपनी पार्टी के काम से जा रहे हैं इसलिये किसी पार्टी के लिये भी इस तरह से नियम को छोड़ा जाय और नियम ११ तको मुल्तवी किया जाय। मैं समझता हूं श्रीमन् कि यह अनुचित है और मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)---राजा वीरेन्द्र शाह का कथन तो बहुत ही ठीक है कि सरकार जब-जब चाहती है तब-तब अपने मन के मुताबिक इस तरह से कार्यक्रम में परिवर्तन कर देती है और इस समय इनको शायद हैदराबाद के कांग्रेस सेशन में जाना है उसके लिये और जल्दी चाहते हैं। यह तो सही बात है कि यह सरकार की मनोवृत्ति की बात है। मगर एक बात में श्रीमन् अपने मित्र श्री वीरेन्द्र शाह से निवेदन करूंगा कि आखिर शनिवार की ही तो बात है तो हम तो यह चाहते हैं कि इस समय एक मौका सरकार को चेतावनी देते हुए हमको दे देना चाहिये और शनिवार को बैठने का जो प्रश्न रखा गया है उसको मान लेना चाहिये। हमारे मित्र वीरेन्द्र शाह ने जो आपत्ति की है उसे हमने विचार लिया है और इस चेतावनी के साथ कि सरकार हर समय आगे जरा सचेत रहा करे और जब इस तरह का कोई विधेयक लाना हो तो उस पर काफी समय विचार विनिमय के लिये दिया करे। तो इस सरकार को गम्भीर चेतावनी देते हुए श्रीमन् मैं चाहता हूं कि हमारे मित्र श्री वीरेन्द्र शाह अपने विरोध को वापस ले लें और सैटरडे (शनिवार) को भी बैठ कर इस पर विचार विनिमय कर लें।

श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)--- हैदराबाद के लिये हम आपको भी दावत दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष---क्या आप अपना विरोध वापस लेना चाहते हैं ?

राजा वीरेन्द्र शाह---माननीय नेता विरोधी दल की इस बात को स्वीकार कर कि हम शनिवार को भी बैठें मैं अपना विरोध वापस लेता हूं।

श्री चरण सिंह---अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इजाजत से जरा एक बात और कहना चाहता हूं वह यह है कि माननीय राजनारायण जी ने बड़ी मेहरबानी की। पर गंभीर चेतावनी देने का लालच वे संवरण न कर सके, यह मुझे अफसोस है। मैं एक सुझाव देना चाहता हूं कि कल जो नान आफीशियल डे है उसे परसों शनिवार को कर दिया जाय और यह जो विधेयक चल रहा है बजाय इसके कि परसों आये इस पर हम कल विचार कर लें। अगर यह कल पास हो जायगा तो सोमवार को कौंसिल में इस पर विचार हो सकता है और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ; अगर कल यह यहां से पास हो जाता है तो परसों शनिवार को उसे कौंसिल में मेज पर रक्खा जा सकता है। अगर इस तरह से नहीं होता है तो ज्यादा समय लग सकता है और २०-२५ दिन विधेयक के पारित होने में लग सकते हैं। मैं समझता हूं कि यह एक माकूल बात है। अगर माननीय राजनारायण जी चाहें तो इसके लिये भी मुझे एक और चेतावनी दे सकते हैं। अगर चेतावनी देकर ही इसको भी स्वीकार कर लें तो बड़ी अच्छी बात होगी।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, माननीय मंत्री जी ने जो बात अभी कही उस पर मुझे बहुत तक़लीफ और दुःख है। इसके ऊपर काफी चर्चा बाहर हो चुका था, माननीय मंत्री जी से और उनकी पार्टी के चीफ ह्विप से भी। नियम यही है कि जिस दिन नान अफीशियल डे हो उसी दिन वह रहे अगर कोई विशेष कार्य हो तो वह शनिवार को विरोधी पार्टी से बातचीत करके रक्खा जाय। इसलिये हम समझते हैं कि कल ही नान आफीशियल डे (ग़ैर सरकारी दिन) रक्खा जाय और अगर जरूरत होगी तो हम रविवार को भी बैठ सकते हैं। जैसे कि हमारी बात उनसे हुई थी शनिवार के लिये उस पर हम अपने स्थान ही पर हैं और उसी कारण हमने माननीय वीरेन्द्र शाह जी से भी अपना विरोध वापिस लेने के लिये निवेदन किया था और उसके लिये हमने कहा है कि हम शनिवार को बैठ सकते हैं और अगर जरूरत हो तो रविवार को भी बैठ सकते हैं। वह इसलिये कि हम यह जानते थे कि सरकार की कमजोरी है तब भी हम उनको

मौका देना चाहते हैं। इसलिये हम आपसे अपील करेंगे कि कल जो नान आफिशियल डे (गैर सरकारी दिन) है उसको रहने दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—यह कोई प्रस्ताव तो उन्होंने किया नहीं है, उन्होंने तो आप पर ही छोड़ा है। यदि आप चाहें तो वह होगा।

श्री राजनारायण—तो मैं आपके जरिये से माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे कल के कार्यक्रम को चलने दें और परसों जब तक यह बिल पास न हो जाय तब तक हम बैठेंगे।

श्री अध्यक्ष—उसके लिये तो आपकी ही बात चलेगी।

(एक क्षण के अनन्तर)

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, १९५२ ई० अत्यन्त आवश्यक विधेयक है; अतएव नियम ११ को निलम्बित करते हुए सदन की बैठक १० जनवरी, सन् १९५३ ई०, शनिवार को भी होगी और यह बैठक सायंकाल ५ बजे के बाद जब तक यह विधेयक पारित न हो जाय रहेगी ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

विकास तथा नियोजन समिति के एक रिक्त स्थान की पूर्ति की घोषणा

श्री अध्यक्ष—एक सूचना मैं देना चाहता हूं। वह सूचना यह है कि विकास तथा नियोजन समिति में जो श्री नारायण दत्त तिवारी का स्थान रिक्त हुआ था उसके लिये नामजदगी आज दोपहर तक मांगी गयी थी और केवल उस समय तक एक ही नामजदगी आयी और वह श्री मदन मोहन उपाध्याय जी की और इसलिये वह निर्वाचित हो गये।

(इसके बाद सदन ५ बजकर २ मिनट पर अगले दिन ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

कैलासचन्द्र भटनागर,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ,
८ जनवरी, १९५३।